

RAJYA SABHA

Monday, the 1st September, 1997/
10 Bhadra, 1919 (Saka)

The House met at eleven of the clock, The Vice-Chairman, Shri Ajit P.K. Jogi, in the Chair.

DISCUSSION ON PARLIAMEN- TARY DEMOCRACY—CONTD.

श्री राजनाथ मोदीय (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आयोजित इस विशेष सत्र में बोलते हुए अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। आपने मुझे इस अवसर पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको आभारी हूँ। सब से पहले मैं उन लक्ष्यों को, जिन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी जान कुर्बान की उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और आज़ादी हासिल करने में प्रथम पंक्ति के जो नेता थे महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, डा० अम्बेडकर, राजा जी, डा० रमन प्रसाद, मुन्शी, पटेल मोहन प्रसादवीर आदि-आदि, इन सभी नेताओं के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मैं उन तमक वैयक्तियों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य भारत के दो स्वतंत्रता सेनानी जो इतिहास के पन्नों तक नहीं पहुँच सके उनके नाम विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। मध्य भारत की दो महिला कीरंगनबाई, एक की लोधी राजपूत परिवार में जन्मी एनी अमर्तीबाई और दूसरी कोरी बुन्कर परिवार में जन्मी कीरंगन बलबारी बाई, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सक्रिय योगदान दिया। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जो हम सब को संविधान मूल्य हुआ है वह मानवीय और नैतिक मूल्यों पर आधारित अनेका संविधान है। स्वतंत्र भारत का यह संविधान हम सब के लिए बर्बाद है, कुरान है, गीता है, रामायण है और गुरुग्रंथ के समान है। महोदय, मैं इस अवसर पर संविधान निर्माताओं — डा० अम्बेडकर और उन के सभी सहयोगियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने एक ऐसा अनेका संविधान इस देश को दिया।

महोदय, मैं सर्वप्रथम संविधान की उद्देशिका का प्रारम्भ की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिस में व्यवस्था, — सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं समानता, — प्रतीक्षा और अवसर की बात कही गयी है। लेकिन आज हमें आत्म-पश्चिन्न करना है कि क्या हम अपने सभी देशवासियों को वह दे पाए हैं? महोदय, उत्तर स्पष्ट है कि उन की उपलब्धि करने में हम सफल नहीं हुए हैं। इस देश की वह 37-38 करोड़ जनता जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, उन को पिछले 50 वर्षों में हम मूल-भूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा पाए हैं और वह मूलभूत क्षेत्र है — बेसिक शिक्षा, नौकरी व रोजगार और पेयजल। मैं विशेषकर उन पिछड़े और दलितों की बात कर रहा हूँ जिन को व्यवस्था नहीं मिली और बरबारी के समान अवसर नहीं मिले। मैं इस संवेध में कहना चाहता हूँ कि संविधान में उन्हें राजनीति और सेवाओं में आरक्षण मिला। महोदय, मैं स्वयं को केवल सेवाओं के आरक्षण तक सीमित रखना चाहूँगा। सेवाओं में यह आरक्षण वर्ष 1955 से मिला और इस की सीमा 10 वर्ष रखी गयी। महोदय, संविधान निर्माताओं के मन में यह बात रही होगी कि दलितों को एक समान अवसर और आरक्षण की सुविधा देकर हम उन्हें 10 वर्षों में "ए" वर्ग" ले जाएँ। इसलिए उन्होंने 10 वर्ष की समय-सीमा रखी। अब वह सीमा पार हो चुकी है और वह बढ़ते-बढ़ते 50 साल तक पहुँचने वाली है, लेकिन आज भी जो हुए "ए" सर्विसेस है, उन में सरकारी आँकड़ों के मुताबिक उन का प्रतिशत केवल 8 है। वह खेद की बात है। उन्हें मिलना चाहिए था 15 प्रतिशत क्योंकि दलितों की आबादी, रोडवुल्ड कास्ट और रोडवुल्ड ट्राइब — दोनों को मिलाकर करीब 25 प्रतिशत होती है। अब इस के लिए कौन दोषी है? दोषी हम सब हैं, लेकिन विशेषकर मैं कार्यपालिका के प्रति संकेत करना चाहता हूँ और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वह दोषी हैं। उन की यदि इच्छा-शक्ति होती, यदि उन की नीयत होती, मेंटैलिटी होती तो वह सब देने के बाद वह ऊपर उठकर आ गए होते।

महोदय, सर्विसेस में सूटेबिलिटी की बात की जाती है। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें जो राजनीतिक आरक्षण मिला उस में लोक सभा या विधान सभा की जो आरक्षित सीट होती है, उस पर सभी आरक्षित वर्ग के लोग चुनस लड़ते हैं और वहाँ की जनता उन को चुनकर भेजती है जिस को वह अच्छा समझती है। महोदय, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग आरक्षित सीट पर चुनकर आते हैं उन के परफॉर्मेंस में कोई कमी

नहीं होती है। उन को मौका मिलता है और वह आगे आते हैं। महोदय, मैं सरकार से एक निवेदन के रूप में अपील के रूप में कहना चाहूंगा कि यदि पार्लिमेंटल रिजर्वेशन में इस प्रकार की बात है तो सर्विसेस में यह बात क्यों नहीं हो सकती। महोदय, मेरा अभिप्राय यह है कि यदि उन को अवसर मिले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह अपने दायित्व में खरे उतरेंगे।

महोदय, मैं यहां सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि 1997 (3) स्केल (SCALE) पेज 289 पर दी गयी है। इस जजमेंट का नाम है-अशोक कुमार गुप्ता वर्सस उत्तर प्रदेश। महोदय, इस केस में तीन जजेज की बेंच ने यह निर्णय दिया था

जस्टिस के० रामास्वामी, जस्टिस एस० सागर अहमद और जस्टिस जे० बी० पटनायक।

महोदय, पैरा 34 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है-

"The question then is: what is the meaning of the phrase 'efficiency of administration'? In D.T.C. case, it was observed in para 275 that "the term 'efficiency' is an elusive and relative one to the adept capable to be applied in diverse circumstances. If a superior officer develops liking towards sycophant, thought corrupt, he would tolerate him and find him to be efficient and pay encomiums and corruption in such cases stand no impediment. When he finds a sincere, devoted and honest officer to be inconvenient it is easy to cast him/her off by writing confidential reports with delightfully vague language imputing to be 'not up to the mark' 'wanting public relations' etc. At times it may not interfere with the honest endeavours of the Government to find answers and solutions. We do not mean to say that efficiency in the civil service is unnecessary or that it is a myth. All that we mean to say is that one need not make a fastidious fetish of it"

महोदय, एक पैरा से और चार लाइन उद्धृत करना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): श्री कोविन्द, आप बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, परन्तु आपको पार्टी ने एक-एक व्यक्ति को दस दस मिनट के लिए कहा है। आपके दस मिनट हो गए हैं। कृपया अब आप समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री रामनाथ कोविन्द: महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पैरा 38 में कहा गया है—

"Efficiency in service attracts the well-known parable that insanity cannot be cured until married and marriage cannot be celebrated till insanity is cured. Unless one is given opportunity and facility by promotion to hold an office or a post with responsibilities, there would be no opportunity to prove efficiency in the performance or discharge of the duties. Without efficiency one cannot be promoted. How to synthesise both and give effect to the Constitutional animation to effectuate the principle of adequacy of representation in all posts or classes of posts in all cadres, service or grade is the nagging question..."

महोदय, मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि यदि हमें अवसर मिलता है तो हम किसी से भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। अब मैं अन्तिम किन्तु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले पांच दिनों से यहां काफी बर्बाद रही है। जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन मुद्दों को मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन विशेष रूप से यह कहना चाहता हूँ कि संसदों के दायित्वों, कर्तव्यों के स्तर में बहुत गिरावट आई है। जो हम लोग यहां पर भाषण देते हैं, उनकी जो गुणवत्ता है, उसके स्तर में कमी आई है। यह बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा क्योंकि हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, रामजन्म भूमि — काबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, पापुलेशन का मुद्दा उठाया, लेकिन जो अपने आपकी बात है इंटरसेप्शन, उसकी बात कभी नहीं की।

महोदय, हमारे जो प्रायश्चित्त होते हैं उसमें नेशनल एरानेजियर नहीं होता, जिसकी हम दायित्व दृष्टिकोण की कमी कस्य लगती है। सदा पक्ष के सदस्यों का जो परफोमेंस है उसकी परीक्षा आई है, कोर्रप्टनसी पर निर्भरता अधिक बढ़ी है। जो स्पेशल गैरान, जेजे उल्लेख

सबमिशन हम लोग यहां उठाते हैं उनमें सरकार का कोई प्रभावी रेस्पोंस नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं कि हमको जो आश्वासन दिए जाते हैं उनमें दिने-दिन बढ़ोतरी होती जाती है, कोई फॉलोअप एक्शन नहीं होता। यदि होता है तो इतनी देर से, कि उसकी अहमियत ही समाप्त हो जाती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोशी): कृपया अब समाप्त करें।

श्री रामनाथ कोविन्द: महोदय, अन्त में, मैं कुछ सुझाव के रूप में रखते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि संसदीय कार्यों को और कैसे सार्थक बनाया जाए। मेरा कहना यह है कि चैरिटी बिजनेस एट होम। हमने जो यहां बहुत सारी बातें कहीं, उनका सीधा हमसे संबंध नहीं है, लेकिन जो हमसे संबंध है वह संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाने से है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि संसदीय चर्चा में हम समय रखें, जैसा अभी हमने पिछले पांच दिनों में देखा कि बिना इंटरपान के चर्चा हुई और हमने राष्ट्रीय परस्पेक्टिव पर डिसकशन किया, हम बहुत कुछ प्राप्त कर सके। महोदय, हम प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन जो उसमें हम डिसऑर्डरली सीन क्रिएट करते हैं, वह हम क्रिएट न करें और यदि हमें प्रोटेस्ट ही करना है तो उसका एक अच्छा तरीका है कि हम वाक-आउट करें, अपने संसदीय कार्यों में जो हमारी रुचि है, उसमें हम बढ़ोतरी करें, देश में जो विचारधारा की ज़रूरतें हैं, उसकी भावना को बढ़ाएं और जो समय हमें मिलता है, उसका अधिक से अधिक उपयोग करें।

महोदय, संसद की भूमिका गंगोत्री के समान है, यदि हमारे कार्यों में पवित्रता ईमानदारी और राष्ट्रीय परिवेशता है यदि हमारी गतिविधियां भ्रष्टाचार रूपी प्रदूषण से मुक्त होंगी तो निश्चित ही हम देश को हर क्षेत्र में खुराहाल बना पाएंगे।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI) Since we have to finish the debate today before four o'clock, no Member who speaks, should exceed ten minutes. Please remember this.

SHRI V. N. GADGIL (Maharashtra): Sir, at the outset, I would like to pay my tributes to all the freedom fighters who enabled us to celebrate the 50th Anniversary of our Independence. I would like to express my gratitude to the Chair for

arranging this debate on self introspection.

The topic that we are supposed to discuss is Working of Parliamentary Democracy. What do we mean by parliamentary democracy? I will not define terms because I have been a lawyer for 30 years and a professor for five years and you know what happens to these people when they start defining terms.

Some years ago, a sugarcane grower filed a writ petition in the Bombay High Court. The question for consideration before the two Judges was: what is the definition of "vegetable" under the Sales Tax Act? A number of lawyers on this side and a number of lawyers on that side argued and argued. Dictionaries were quoted, authorities were cited and precedents were enumerated. At the end of 15 days' elaborate arguments, the two distinguished Judges of the Bombay High Court solemnly declared that sugarcane was a vegetable. This is what happens to lawyers.

With due apologies to professors, I want to remind a story about Hegel, guru of Karl Marx. He was a professor. One of his students fell in love. He went to Hegel and said, "Sir, I have fallen in love, but I do not know what love is." After all, Hegel was a professor. He said, "Young man, don't worry. I will define for you what love is. Love is the ideality of the reality of the infinitesimal portion of the absolute totality of the infinite being." I do not know what it means. But this is what happens to professors.

Therefore, I will only describe the parliamentary system. At stated intervals there will be elections to the legislature. The party which gets majority, forms the government and rules till it enjoys the confidence of the House. Therefore, the essence of the parliamentary form of government is accountability. The government is answerable, responsible and accountable to the legislature.

Let us apply some test to our performance for the last fifty years. What is the role of Parliament? What are the tasks?

What are its functions? Before I go into that, two things are necessary for the success of parliamentary democracy. Number one, Parliament must remain the centre of political gravity. It is a non-violent substitute for revolution. Parliament has to be used as an instrument, a non-violent instrument of socio-economic reform. Therefore, Parliament must remain the centre of political gravity. The centre must not shift outside to *satyagrah*, *morchha* and that kind of thing. Therefore, Dr. Lohia's concept of ultra-parliamentary and extra-constitutional acts has no place in the working of parliamentary democracy. And the second requirement is strict adherence to the rules and procedures of Parliament.

Now, with this background, let us see what we have done in the last 50 years. What is the role of Parliament? In the first place, Parliament has to protect the liberties and democratic rights of the people of India.

Secondly, it has to control the Government, keep the Government accountable. Thirdly, it has to maintain the rule of law. Fourthly, it has to protect various institutions, independent judiciary, apolitical civil service and a free press. Lastly, it has to maintain a secular democratic plural society. What is our performance in this respect in the last 50 years? I would like to say that our system has worked fairly well and tried to achieve these five objectives and played its role correctly. Then, what are the functions of the Parliament According to me, there are five functions. The first is, since it is the legislature, it has to legislate. Secondly, it has to control the executive. Thirdly, control of public purse. Fourthly, to ventilate people's grievances and the last, what Churchill called, to provide a Grand Inquest of the nation and Grand Forums of the Nations and in the last five days that is precisely what we have done. That we have done very well in the last five days. The first function, some may be surprised to hear my statement that legislature no longer legislates. Take any parliamentary

democracy. Only the broad framework is laid down and the detailed legislation is made by rules under rule making clause, or what is called delegated legislation. Under that rules are made and the irony is, the people who are our representatives do not make the rules which govern your or my life. It is some Tahsildar or Municipal Commissioner who makes these rules and they are governing my life and there is the danger. Here, our performance is not to my satisfaction. We do not keep enough vigilance about delegated legislation. All kinds of abuses are made. I was Chairman of the Committee of Delegated Legislation for two years. We found instances where officers took to themselves powers under rules which were not given to them by the Act. There is an abuse in delegated legislation and they have vested interest in framing them in such a way that nobody understands. I would quote a classic one from British history. This has gone into the Guinness Book of World Records. This is how they make laws so that nobody understands and they alone understand and they themselves can interpret anyway they like. This is bureaucracy. The rule is in the Guinness Book of Records: "In the 'Nuts' (underground) (other than groundnuts) order, the expression 'nuts' shall have the same reference to such nuts other than groundnuts, but for this amendment order not qualify as nuts (underground) (other than groundnuts) by reasons of their being nuts underground." Two judges of the British High Court expressed helplessness. They said that this is something which they can never interpret. This is how it has gone into the Guinness Book of Records. This is what bureaucracy is. The second function is control of executive. Again, some may be surprised at my statement that this has become almost academic. In every parliamentary democracy, it is the Government that controls the Parliament, instead of the Parliament controlling the Government. Control of Parliament is in latent, occasional and not everyday. Therefore, we have not performed very

well in this respect. The third is control of public funds. For that we have Public Accounts Committee. It produces a report but its nature is *post mortem*. The real financial control is rarely exercised by Parliament except through questions, calling attention and other methods when you expose financial misfeasance, malfeasance and various scams, that is what we have done. Here we have done fairly well in the last fifty years. The last function is, ventilating people's grievances. Here, I think, we have done remarkably well. In everyday's Question Hour, we expose many things and protect individual citizen's rights and I do claim that our performance in this respect is even better than that of the House of Commons. The House of Commons does not perform this much effectively this function. These are the five functions which were performed in fifty years.

Then let us see what other institutions come in. Parliament does not function in a vacuum. It has to react with the judiciary, with the civil service, with the media and so many other things. What is our performance in the last 50 years. The judiciary is gradually encroaching on our field and we have been complacent. Judicial populism may soon generate into judicial tyranny. Therefore, we have to be vigilant that we do not interfere in the field of the judiciary, but also not allow the judiciary to encroach on our field. That is the task before us.

The second institution is that of the civil servants. I have already mentioned how they behave, how far Parliament controls it. It is very little. The bureaucracy does what it likes and it acts very blindly. Rules are made. They go according to the rules. They do not bother to question whether the rules are for men or men are for the rules. If you permit me, Sir, to strike a personal note, I will narrate an incident. In 1958, when I was a young practising barrister in the High Court, my father was appointed the Governor of Punjab. In December, 1958, I went to Chandigarh. When I reached there, the Military Secretary came with a

file. He said, "Your approval is necessary." I said, "Who am I? I am nobody". He said, The Prime Minister of another country is coming. A dinner is arranged. The menu is prepared. And your approval is necessary for the menu." I said, "How am I concerned?". He said, "There is a rule that when the eldest male member of the Governor's family is in station, his approval should be sought." I checked the menu and I told the Military Secretary, "I am very fond of fish. There is no fish here. Shall I say fish should be included?". He said, "Please do not." I asked, "Why?". He replied, "The file will go down. The Head Cook will make a query whether it is river fish or sea fish. Then the file will go to the P.A., the Military Secretary, the ADC, the Joint Secretary and to the Private Secretary. Then the query will be if you say, 'Sea fish', under what rule it can be brought by a plane from Bombay and the rule will be ambiguous and the department will refer it to the Law Ministry for interpretation. And, by the time the file comes back, the Prime Minister would have come, had his dinner and gone back to his country." Then I had nothing else to do. I started doing research. Do you know what I found? Somewhere in 1906, when the capital of Punjab was Lahore, a British Governor's son came to India, stayed in the Government house; he did not like the menu; he complained to his mother; the mother talked to his father; and the father made the rule that when a male member was in station, his approval should be sought. That was followed blindly for 75 years. That is our bureaucracy. We have to deal with the bureaucracy also. (*Interruptions*).

I have dealt with the civil servants. Then comes the media and the intellectuals. It is a fashion among them to denigrate the M.Ps. I would like to tell them what a distinguished British journalist has said. He has said: "A people which holds its freely elected governors in contempt has taken the first step towards rejecting free institutions. It is one thing to scrutin-

ise the activities of individual Members of Parliament. It is quite another to criticise the activity of being a Member of Parliament. It is one thing to look at Parliament with a cool, comprehensive and sometimes cynical eye. It is quite another to belittle Parliament." "Member of Parliament practise the daily business (which is not always savoury) of making free Government which we enjoy possible. The first duty of those who are not Members of Parliament is to understand what they are doing." Sir, another distinguished Constitutional lawyer, Sir, Ivor Jennings said, "The worst that can be said about Members is that they are ordinary people with a fair slice of ambition. It is also the best, the enduring virtue of Parliament is that it has been composed, largely of ordinary men, of ordinary talents; that they are ordinary people, that they can react as ordinary people, not only at moments of crisis but especially at moments or crisis is their value, their virtue, although they are seldom given it their glory. This ordinariness which is made a subject of ridicule is really the essence of parliamentary democracy. Finally, Sir, this House has to perform, I will not elaborate much, I will make eight suggestions and after those eight suggestions, I will conclude. My first suggestion is, the quality of Members has to improve and for that two things are necessary. Barring criminals for contesting elections and State financing of elections. Today it is the money power and the muscle power which are dominant. Today, politics is, with money you acquire power and with power you acquire money. A person like me gets suffocated in this atmosphere. So State financing. Second, annual declaration by M.P.s of their assets and liabilities. Third Ethics Committee, of Rajya Sabha and Lok Sabha. Fourth, a code of conduct for M.P.s. Fifth, norms of behaviour in the House. After 1971, a change has come. Till 1971, elections to Assemblies and Parliament were held together. They were separated. The result is, people expect much more from an M.P. than

before. We have almost become welfare officers of the constituency. So something has to be done for this. Then the Standing Committees have to be strengthened. Their power have to be increased and they should be accountable. As I said, accountability is the essence of parliamentary democracy. Finally—I have no time to elaborate—a drastic change in the procedure in the House is necessary. What I mean is, we spend too much time in the House on legislative business. Let us introduce a Bill and immediately send it to the relevant Committee. Let the report come back. Ninety per cent reports are unanimous. Immediately pass it and concentrate on the other two functions, ventilating of grievances and controlling the Government. On that let the Parliament consider and conclude. Lastly, when I look to the Parliament and the role it is expected to play and the task it is expected to play, I am reminded of an instance about Winston Churchill. During the First World War in March 1917 when England was in danger and Germany seemed to be triumphant....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Please conclude.

SHRI V.N. GADGIL: Yes, yes, I am concluding. In March 1917 Churchill took one M.P., Macallum and he describes in his diary what Churchill did. The M.P. in his diary says, "As we were leaving the House that night, Churchill called me into the Chamber, to take a last look around the Parliament Chamber. All was darkness except a ring of faint light all around under the gallery. We could dimly see the tables but the walls and roofs were invisible." 'Look at it,' Churchill said. This little place is what makes a difference between us and Germany. It is by virtue of this that we shall muddle through to success and to the lack of it would lead the Germans, despite their brilliant efficiency, to a disaster. This little room is the shrine of world's liberties. Let our successors in 2047 say the same thing when they celebrate centenary of freedom that this little House...

guarantor of the liberties of the people of India.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Now, Shri Ramakrishna Hedge. Mr. Hedge, you have to confine yourself to the time-limit of 10 minutes.

SHRI RAMAKRISHNA HEDGE (Karnataka): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir.

I join my other hon. colleagues by paying my homage, tribute to those people who sacrificed their lives during the freedom struggle but for whose sacrifices we would not have been here in this House today. In the last 50 years after freedom, our country has gone through various political vicissitudes. When we look back, we have a mixed feeling in our hearts in that while we feel proud of certain achievements, we also feel that in certain other areas we have to feel ashamed because of our failures.

I compliment and thank the Chairman of this House and the Speaker of Lok Sabha for arranging this Special Session to discuss various national issues. There has been some criticism in the Press that this is an exercise in futility; a lot of public money is being wasted. They even calculated how much money has been spent in discussing various matters. Nobody says that democracy is the cheapest form of governance. Democracy is expensive. But democracy is democracy. I would like to suggest that the practice that has been started in the 50th year of our independence, the practice of holding a Special Session of Parliament, to discuss various issues should be continued. If possible, 4-5 days should be set apart every year to discuss certain specific issues—not general issues—like illiteracy, provision of minimum needs to people like drinking water, etc., so that on these issues the Government can find a consensus on the basis of which it can prepare time-bound schemes for solving them as early as possible. It is not a matter of great pride that after 50 years of freedom there are about two lakh villages in our

country where people do not get potable drinking water.

Sir, we have seen the working of our Constitution during the last 47 years. I think a time has come when we should have a second look at our Constitution. No doubt, our Constitution is a beautifully prepared document, but still in the light of our experience of the working of the Constitution and the working of the system that we have adopted, it is necessary to have another look at it. It is necessary to have another look at the Constitution and I would request both the Chairman and the Speaker to appoint a Committee of experts, in consultation with the Government, so that whatever loopholes we have, whatever drawbacks we have found during the last fifty years, could be corrected. How democratic is our democracy? This is the question we have to put to ourselves today. There have been claims that the sovereignty of Parliament should be protected. Parliament is sovereign. On several occasions, I had to say that if real sovereignty is to be established, we have to take into account the importance of people. It is the people who are sovereign and they cannot be delegated to anybody. I had introduced a radical Panchayati Raj rule in Karnataka. We had set up Gram Sabhas. Every voter is a member of a Gram Sabha. Gram Sabha is to meet once in six months compulsorily and all the office-bearers of Gram Sabha and the officials have to be present so that they could be questioned. I say that Gram Sabha is more sovereign than Vidhan Sabha; Gram Sabha is more sovereign than Lok Sabha because whatever happens, it would be happening right under the critical eyes of the people, who are the masters of the country. Are we really democratic? Since independence, I don't think any Lok Sabha had the mandate of more than 50 per cent of the people. The highest percentage was secured when Indira Gandhi died and Rajiv Gandhi became the Prime Minister and we had elections the following year. The percentage at that time was

49.7 or 49.8. Democracy means rule by majority, democracy means full mandate of the people. If you take democracy in that sense, I am afraid, I have to say that today, whether it is Lok Sabha or whether it is Vidhan Sabha in the State, they are not fully democratic. They do not have the full authority to represent people, to speak on behalf of the people, and therefore, I venture to say this thing on this occasion that we have to see whether parliamentary system of democracy is really suitable to our country. We have had the experience. In the present system, not only is there inadequate representation of the people but also in the parliamentary system, we have had the experience, a very bitter experience, of manipulative politics playing the prime role. In 1979, there was a change in the Government. How did that change come about? Did the people have any voice in that? Did they have any role to play in that? Similarly, when V.P. Singh was the Prime Minister, suddenly, there was a change in the Government. The people had nothing to do with that, and later on, again, the same thing we have seen. If a Government can be changed without any reference to the people, without even the knowledge of the people, I am sorry, I cannot call that system truly democratic. Therefore, I venture to suggest that we should see the possibility, desirability of changing the present democratic system into a Presidential system and our country should not be a Union of India but it should be a United States of India. Then only can we save the integrity and unity of India.

Sir, I will take another couple of minutes and...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Please try and conclude as early as you can.

SHRI RAMAKRISHNA HEGDE: If the present system has to continue for some time—because the presidential system can not be brought about immediately—then drastic changes in the election system are necessary. The elec-

toral system today is ridden with corruption, casteism and influence of muscle-power, influence of money power, with the result that people cannot express freely their will, their opinion; they cannot give their mandate. Therefore, I would suggest that we should adopt the system of proportional representation, if not fully, at least partly, and partly the list system. There has been a lot of controversy about reservation of seats for women in Parliament. Some people want reservation within reservation. I would like to suggest that these 33% that we have agreed already to reserve for women, should be elected on the basis of the list system. According to this List system in Germany, for instance, people vote for the party—for the party's performance, for the party's programmes and policies—and the party nominates its representatives after the election. If any party wants to reserve seats for various sections of the society—whether it is 10%, 15% or 20% or in proportion to the percentage of population of the respective castes—then the party is welcome to do it. Unless we do this, I am afraid, Sir, our democracy will not be a full democracy, a freer democracy.

Lastly, as long as there is criminalisation of politics, you cannot have fair elections. It is a matter of great shame that the Parliament has more than 12 or 13% of its Members who have a criminal record. It doesn't behave a great country like ours. Therefore, I welcome the suggestions made by the Election Commissioner that any person who has been convicted for an offence and sentenced to imprisonment for more than one year must be debarred from contesting elections—even though he has gone in appeal to the superior court. We know that in the present system, sometimes it takes years and years, maybe 15 years, 20 years, to get the final judgement. I would strongly urge that the recommendations of the Election Commission must be accepted. The Home Minister has moved a resolution the other day. I do not think it has come a day too soon. With that

sanction (Time Bell rings) of this House, the Government can go ahead in bringing about suitable laws and regulations to bar any person having criminal record from contesting elections. Accountability...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Please conclude.

SHRI RAMAKRISHNA HEGDE: Okay. I thank you very much for giving me this opportunity, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): श्री शिव जगन सिंह — अनुपस्थित। श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री लक्ष्मण सिंह (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष जी, मैं सब से पहले देश के उन शहीदों को जिन्होंने देश की आज़दी में अपनी जान की आहुति दी, फाँसी के झूले पर लटक गए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और यह भी दुआ करता हूँ कि भगवान उन की आत्मा को शांति दे।

उपसभाध्यक्ष जी, आप अंडमान गए होंगे और आप ने वहाँ कालोपानी की सजा काटनेवालों की लिस्ट देखी होगी। वहाँ जितने शहीद हुए उनमें से 75-80 परसेंट पंजाबी हैं और उन पंजाबियों में 70-80 परसेंट सिख हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1984 के दंगों में वहाँ हजारों बेगुनाह सिखों का कत्ले आम किया गया। गोल्डन टेम्पल पर एक लाख फौज का हमला हुआ, अकाल तख्त गिराया गया, लेकिन सदन में अफसोस का रिजोल्यूशन नहीं आया। मैं अर्ज करूँगा मौजूदा सरकार से कि सिखों के मन में इस बात से काफी रोष है, गुस्सा है, इसलिए उस रोष को उन्हा करने के लिए आप रिजोल्यूशन लाएँ। आप अगर इस प्रकार का रिजोल्यूशन लाते हैं तो कोई भी पार्टी उस की मुखातिब नहीं करेगी और उस से इस सरकार का कद भी ऊँचा उठेगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पंजाब और हरियाणा के किसानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने देश के अनाज के भंडार को है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे मुँह में कोई चीज नहीं बनती थी, सुई तक नहीं बनती थी और सब इम्पोर्ट की जाती थी। फिर एक टेबल गवर्नमेंट आई, मजबूत गवर्नमेंट बन गई, एक पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, फाइव इयर प्लान बना, कानून बना और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम शुरू हुए। उपसभाध्यक्ष जी, जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ आज इन्वॉई जहाज बनते हैं। हमारी ज्वेलरी बहुत बुरा हुई है। मैं इस सरकार से अर्ज

करूँगा कि वह पंजाब और हरियाणा के किसानों की भरपूर मदद करे। पंजाब सरकार का लोन माफ कर के भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया है। इसी तरह हरियाणा की भी मदद की जानी चाहिए क्योंकि दोनों स्टेट्स मिलकर देश के अनाज के भंडार को भरती है। दोनों हर किस की चीज पैदा करती है। जहाँ तक अन-एम्प्लायमेंट का सवाल है, हरियाणा और पंजाब में उतना अन-एम्प्लायमेंट नहीं है जितना कि बाकी हिंदुस्तान में है।

उपसभाध्यक्ष जी, अभी कुछ अरसा हुआ, ओवर-पॉपुलेशन की बात हुई। अगर आप ओवर-पॉपुलेशन को वाक्यी देश से हटाना चाहते हैं तो जलसों से, लेकर्स से और रिजोल्व्यूशंस से कुछ होने वाला नहीं है। आप सारे देश में लड़कियों की तालीम को जहाँ तक भी वह बढ़ाना चाहें, फ्री कर दीजिए। प्रेजुएशन के बावजूद वह सेल्फ-रिग्युलेशन से खुद पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे। आप वहाँ जिन लोगों को सुनाते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी किसी के दो से ज्यादा बच्चे नहीं हैं। किसी पढ़े-लिखे आदमी को दो से ज्यादा बच्चे नहीं हैं, अभी आदमी के नहीं हैं। तो बच्चे किन के ज्यादा हैं? जो सड़कों पर काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं और वहाँ ओवर-पॉपुलेशन है जहाँ कि बहुत बड़ी रियासतें हैं जैसे कि यू० पी० है, बिहार है जोकि अन-मैनेजबल है। आप इन को तकसीम कीजिए। उपसभाध्यक्ष जी, आज हरियाणा की मिसाल ले लीजिए। आज हरियाणा में एक गांव नहीं, जहाँ कि बिजली नहीं, एक गांव नहीं जहाँ कि स्कूल नहीं, तीन-चार गांव नहीं जहाँ कि हॉस्पिटल नहीं और वहाँ किसी लड़के-लड़की को डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा स्कूल के लिए नहीं चलना पड़ता, मैट्रिक और प्लस टू स्कूल के लिए डेढ़ किलोमीटर नहीं चलना पड़ता। यह आप जाकर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से तो केवल आधे घंटे का रास्ता है। आज वहाँ की जमीन का हाल देख लीजिए। जो जमीन पॉर्टेशन से कुछ अरसे बाद तक सै रूपर एकड़ थी, आज वहाँ 40-40 एकड़ रूपर एकड़ का रेट फरीदाबाद और गुवागंज में है। वहीं हाल चंडीगढ़ में है। जो फ्लॉट 4 हक्टर का था वह 70 एकड़ का है, जो 9 हक्टर का था वह 2 करोड़ का हो गया है। क्योंकि देश की इकॉनमी बढ़ी है। पैस लोगों के पास है और आज टाटा, बिड़ल खरीददार नहीं हैं। इन 50 सालों में देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, देश बहुत आगे गया है। कुछ सूबे नहीं जहाँ पाएँ उसमें कसूर किस का है? वह वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का है, वहाँ के लोगों का है। आप उनको ट्रेनिंग दें, आप स्कूल खोलें और उनको

सुविधा दें। बिहार और इस्टर्न यू० पी० के लोग जब हरियाणा और पंजाब में आते हैं तो वहां जो मजदूरी है, उसको देखकर वे समझते हैं कि वे अमेरिका में आ गए हैं। यहां उनको सौ रुपये की दिहाड़ी मिलती है जब कि वहां 12 रुपये से 15 रुपये मिलती है। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस सरकार को मिनिमम प्रोग्राम में उलझने के बजाए कुछ ठोस करना चाहिए और गुजराल साहब की मदद करनी चाहिए। वह बहुत भले आदमी है। यह हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का ही नतीजा है, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की वजह है कि पाकिस्तान से आया हुआ एक ईमानदार शाख इस देश का प्रधानमंत्री है। अगर यहां प्रेसीडेंसियल फॉर्म आफ गवर्नमेंट होती तो न कोई वजीर बन सकता था और न ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। एक-एक, दो-दो मेंबर वाले घटक भी मिनिस्टर बने हुए हैं। वह पार्टी जिसके कुल दो सदस्य पार्लियामेंट में हैं वे भी वजीर हैं। आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं आप काम करिए। आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि ये आपका कुछ नहीं कर सकते। केसरी जी का जब तक आपके सर पर हाथ है आपका कुछ नहीं होगा और होने वाला भी नहीं है। ये आपको डराते हैं, आपको मिनिमम प्रोग्राम का हवाा दिखाते हैं कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे। ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल होने वाला नहीं है कि कोई घटक उधर जाए और सरकार टूट जाए। जब तक केसरी साहब हैं सरकार का कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस आपके साथ है। हमारी पार्टी में कहते रहते हैं — हम आपको कभी काम के लिए नहीं करेंगे, अगर काम के लिए आपसे कहें तो आप करते भी नहीं हैं और आपको करने की भी फुरसत नहीं है। आपको मिनिमम प्रोग्राम से ही फुरसत नहीं है। मैंने एक नेता से कहा कि आपका काम तो हो जाता होगा, कहने लगे मुझे आठ दिन हो गए मिनिस्टर का टेलीफोन नहीं मिलता। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। बैठे हैं मेरे सामने और हंस रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि गुजराल साहब हम आपके साथ हैं, दिल से आपके साथ हैं। आप काम कीजिए, ठीक से काम आगे बढ़ाइए। आप इनसे मत डरिए। इससे कुछ नहीं होगा। ये क्या करेंगे, कहां जायेंगे? वोटर आज देख रहा है, वाच कर रहा है। वह इस मिनिमम प्रोग्राम को जानता है और लक्ष्मण सिंह को भी जानता है। उसने देखा है कोलेशन गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हुई है। उपसभाध्यक्ष जी, एक गवर्नमेंट पहले 77 में बनी थी और दो साल के बाद चली गई फिर 89 में बनी और वह भी गई 91 में जो सरकार बनी वह पूरे पांच साल चली। अब 96 में जो गवर्नमेंट बनी उसके यह तीसरे गइम मिनिस्टर हैं। लोग इस बात को देखते हैं। इसलिए

कोई कुछ नहीं होगा। एक पार्टी की सरकार लोगों को दीवारों पर नजर आ रही है। मुझे मालूम है कि अब जब चुनाव होगा तो एक पार्टी की गवर्नमेंट देश में बनेगी। ... (समय की घंटी) ... आपने घंटी बजा दी। जब लोहा गर्म है तो आपने घंटी बजा दी है। यह तो बड़ा मुश्किल है। आपने घंटी बजा दी, क्या बात करूं। यह बात अच्छी नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था कि:

जमाना बड़े शौक से सुन रहा था,

हमी सो गए दासता कहते कहते।

इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, यह दिन मुड़कर नहीं आयेंगे। मैं अभी यहां पांच वर्ष रहूंगा और तमाशा देखूंगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा और आपके मार्फत मुबारकबाद देना चाहूंगा इस आउस को, जो उसने बड़े डिसिप्लिन में काम किया है और उम्मीद करता हूं कि शायद आइंदा भी इसी डिसिप्लिन में हाउस काम करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप जीरो आवर का डाइरेक्ट टेलीकास्ट बंद कर दें तो बड़े आराम से हाउस चल सकता है। जीरो आवर में 5-7 आदमी ही झगड़ा करने वाले हैं। ज्यादा लोग नहीं हैं। साउथ के भी नहीं हैं। यही लोग किया करते हैं, सबसे ज्यादा झगड़ा यही 5-7 आदमी किया करते हैं। इस आउस की गरिमा को अगर रखना है तो आप जीरो आवर में टी० वी० का स्विच आफ कर दें। फिर कुछ नहीं होगा और बड़े आराम से हाउस चलेगा। फिर वे लोग जिनकी बांहें मोटी-मोटी चलती हैं वह नहीं चलेगी।

आपने घंटी बजा दी, आप मुझे 2-4 मिनट दोगे या नहीं?

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण सिंह: मेरी बात बीच में ही रह गई।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): नहीं, फिर अगली बार कभी कह लीजिएगा।

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पिछले 50 वर्ष के अंदर नक्का बदला है, हिन्दुस्तान बहुत आगे बढ़ा है। किसी की जुरत नहीं है कि वह हमारे देश पर हमला कर सके। 100 करोड़ की आबादी पर कौन हाथ उठाएगा? कोई हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। असम में क्या हुआ? जो लोग वहां झगड़ा किया करते थे अब वहीं वहां राज में है। वे कहते हैं कि अब झगड़ा नहीं होता। होगा कैसे, जब झगड़ा करने वाले राज में आ गए हैं तो यह कौन करेगा? झगड़ा वे खुद ही करते थे। हर जगह यही

हालत है। देश का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, इस देश के सब लोग इकट्ठे रहेंगे। यह देश ताकतवर रहेगा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने बहुत आगे जाना है, फिर भी समय नहीं दिया, धन्यवाद। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। बस इतनी बात है। धन्यवाद।

श्री रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): बहुत-बहुत धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीमान्, भारत के संविधान निर्माताओं ने हमें संसदीय शासन प्रणाली दी। तो यह उम्मीद की थी कि सरकार के यह तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस तरह के कानून का निर्माण करेंगे, कानूनों का पालन सुनिश्चित कराएंगे और इस तरह से कानूनों की व्याख्या करेंगे कि एक लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना सही अर्थों में हिन्दुस्तान में हो सकेगी। आज जब हम पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह सोचना होगा कि संविधान निर्माताओं की आकांक्षा के अनुकूल संसद् ने किस सीमा तक जन-कल्याणकारी कानूनों का निर्माण किया और कार्यपालिका ने जिसमें मंत्रि-परिषद् और सिविल सर्वेंट्स सभी सम्मिलित हैं, उन्होंने किस सीमा तक कानूनों को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने का काम किया और न्यायपालिका ने कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करने और कानूनों की संवैधानिक व्याख्या करने में किस सीमा तक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। जहां तक विधायिका का प्रश्न है, भारत की संसद् ने कई अवसरों पर समय और परिस्थितियों के अनुकूल कानूनों के निर्माण का काम किया। जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक को पटना और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया कामेश्वर सिंह वर्सेज़ स्टेट आफ बिहार और सूर्यवली सिंह वर्सेज़ स्टेट आफ उत्तर प्रदेश के मामलों में और इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह सम्पत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, मुआवज़ा पूरा नहीं दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को संसद् में, लोक सभा में कहना पड़ा कि अगर इस तरह फैसले होंगे।

"Then haves will remain haves and have nots, have nots."

श्रीमान्, इसके बाद लगातार सम्पत्ति का मौलिक अधिकार प्रगतिशील कदमों के बीच रोड़े के रूप में काम करता रहा और जब गोलकनाथ केस में यह फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के आधार पर कि संसद् को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का हक नहीं है और जब इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो इसी

आधार पर उसको भी रद्द कर दिया गया। अंततोगत्वा हिन्दुस्तान की संसद् ने संविधान में संशोधन कर के सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया तो यह समय की मांग थी। संसद् ने सही काम किया लोक कल्याणकारी कार्यों में जो भी बाधाएं थी न्यायालयों के ज़रिये, अन्य वेस्टेड इंस्ट्रुस के ज़रिये उनको समाप्त किया। यह सही है लेकिन हमने यह भी देखा है कि कई अवसर ऐसे भी आए जब इस संसद् ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर नेशनल इंस्ट्रेट में काम करना चाहिये था, तब काम नहीं किया। इसी संसद् में एक ऐसा संविधान संशोधन विधेयक भी आया था जिसमें यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव के खिलाफ कोई पेटिशन नहीं की जा सकती है। अगर पेटिशन किया गया है तो रद्द समझा जाए और अगर किसी न्यायालय के ज़रिये इनमें से किसी का भी चुनाव रद्द कर दिया गया है तो वह न्यायालय का फैसला भी रद्द समझा जाए। उस संविधान संशोधन विधेयक को जिसे 39वां संशोधन विधेयक कहा गया, लोक सभा में जिस दिन आया, उसी दिन पास किया गया बिना बहुसंख्यक के। अगले दिन राज्य सभा में आया, बिना बहुसंख्यक के पास हो गया। नेक्स्ट डे हिन्दुस्तान के आधे से ज्यादा विधानमंडलों ने उसका अनुसमर्थन कर दिया और उसके अगले दिन राष्ट्रपति की सहमति के बाद नोटिफिकेशन हो गया क्योंकि उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई होनी थी। संसद् ने अपने कर्तव्य का सही निर्वहन नहीं किया। अगर इसी तरह का स्वरूप, इसी तरह का नेचर अमरीका की सीनेट का होता तो जहां दो तिहाई बहुमत से इपीचमेंट होता है तो निक्सन कभी इस्तीफा नहीं देता। वाटरगेट केस को ले कर जब प्रेज़ीडेंट निक्सन पर इपीचमेंट की प्रक्रिया शुरू होनी वाली थी तो निक्सन ने हाऊस आफ रिप्रेज़ेंटेटिव और सीनेट के रिपब्लिकन पार्टी के दोनों लीडर्स को बुलाया और पूछा कि क्या स्थिति है। दोनों लीडरों ने कहा कि ज्यादातर संसद् सदस्य महाभियोग के पक्ष में वोट करेंगे। Then, he had to resign.

लेकिन हमने अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन नहीं किया। श्रीमान्, यही नहीं, संविधान ने हमें मौलिक अधिकारों को दिया है। यह सही है कि जिस आर्टिकल ने सबसे ज्यादा इम्पार्टेंट मौलिक अधिकार हमें दिया है, आर्टिकल 21 ने उसी आर्टिकल 21 के सब सेक्शन 4 और उसके आगे प्रिवेंटिव डिटेनशन की व्यवस्था की गयी। संविधान सभा में प्रो० रंगा और अन्य लोगों को कहना पड़ा कि एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए जा

ये हैं और दूसरे से छिने जा रहे हैं। उस धक्के परिलक्षित दूसरी चीं। वहाँ संसद के सदस्यों से ठानीय की जाती थी कि विजेटिव डिटेन्शन को एक बहुत राख्ये असें तक हिंदुस्तान में नहीं रखा जाएगा। डी-आर्-आर-आबा, मेन्ट्रेस आफ इन्टरनल सिक्वेरिटी एक्ट आया। ये खत्म हो गए तब नेशनल सिक्वेरिटी एक्ट आया, टाडा आया। टाडा खत्म हो गया है। टाडा की जगह दूसरा कानून नहीं है। नेचुरल जस्टिस यह डिमांड करता है, क्लस आफ ला यह कहता है कि अगर प्रचलित कानून का उल्लंघन किसी ने नहीं किया है तो उसके दण्डित नहीं किया जा सकता है तब भी लोग टाडा के अंदर जेल में बंद हैं। हिंदुस्तान में हमारी जो आर्-पी-सी और सी-आर-पी-सी है, इतनी कंस्ट्रिक्ट है कि कोई ऐसा अपराध नहीं जिसके लिए दण्ड देने की व्यवस्था न हो। उस से प्रचलित कानून के तहत लोगों को दण्डित किया जा सकता है। लेकिन हम यहां से कोई बात नहीं उठा सकते हैं। संसद का अपना अधिकार है। संसद सर्वोच्च है। हम कह सकते हैं संविधान सर्वोच्च है। लेकिन संविधान बनाया किसने और संविधान की बनाने की कांटीट्यूट पावर्स जब तक संसद को रहेंगी तब तक संसद सर्वोच्च रहेगी। फिर भी संसद के अधिकारों का अतिक्रमण होता है। हम संसद में कैसे वोट देंगे, हम संसद में क्या कहेंगे इसको लेकर न्यायालयों में हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों पर मुकदमें चले हैं। कभी इस संसद वा उस सदन ने यह मामला नहीं उठाया। यह हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। हम दण्डित कर सकते हैं किसी को अगर हमारे प्रिविलेज का उल्लंघन हुआ है, संसद के प्रिविलेज का उल्लंघन हुआ है। हमारा यह परमाधिकार है कि हम किसीको वोट दें किसीको नहीं दें। इसको बाहर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन इस पर भी मुकदमें चले हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने, संसद ने जहां एक तरफ अच्छा काम किया, अच्छे कानून बनाए हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ अवसर ऐसे आए हैं जब संसद सदस्य चुपचाप बैठे रहे, संसद के दोनों सदन चुपचाप बैठ गए और आपके अधिकार चले गए। अतीत और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब दुनिया के किसी सदन ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो वह शक्तिहीन हो गया। मान्यवर, ब्रिटेन की इस आफ लाईस मूल रूप से संसद थी। सारे अधिकार उसमें थे। लेकिन लार्ड और बैरिस ने जब आना बंद कर दिया तो कामर्स ने उन अधिकारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सैकड़ों वर्षों के बाद जब याद आया लाईस को तब कामर्स सभा ने कहा कि नहीं वे हमारे अधिकार हैं

आपके नहीं। तो अगर दोनों सदन अपने अधिकारों को भूल जाएंगे, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो सरकार के दूसरे अंग, चाहे वह कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, ये संसद के अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे और उसके अधिकारों को छीन लेंगे। यह तो संसद की बात है। जहां तक कार्यपालिका का प्रश्न है — मैं बहुत टाडम नहीं लूंगा — कार्यपालिका का काम यह है कि कानून लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी एम-पी के दरवाजे पर जाइए तो सी आदमी सुनह छड़ा हुआ है। क्यों छड़ा हुआ है, क्यों रहता है, क्योंकि जो कानून लागू होना चाहिए, जो स्वाभाविक तरीके से काम हो जाना चाहिए वह होता ही नहीं कभी। वह काम कभी नहीं होता। क्या कभी किसी मंत्री ने यह जानने की कोशिश की कि उसके पास जो आदमी आबा है उसका जायज काम है। कानून के हिसाब से जो बात होनी चाहिए वह 6 महीने, 6 साल से क्यों नहीं हो रही है और नहीं हो रही है तो किसी अधिकारी, किसी सेक्रेटरी के खिलाफ कार्यवाही की है। अगर यह नहीं होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। सबसे ज्यादा अगर मेस, सबसे ज्यादा अगर गड़बड़ है तो कार्यपालिका के पार्ट पर हुई है जिसने कानून सही तरीके से लागू कराने के लिए, ईमानदारी से और इफेक्टिवली, कोई काम नहीं किया। यह सही है।

ब्रिटेन में जब कैबिनेट सिस्टम के बारे में चर्चा होती है, मंत्रियों के बारे में चर्चा होती है, प्रधान मंत्री और मंत्रियों की स्थिति के बारे में चर्चा होती है तब कभी एक बार कहा गया कि अगर छोट्टे लाइन पर हस्ताक्षर करने वाले मंत्री होंगे तो नौकरशाही मन्माने तरीके से काम करेगी। इसके लिए कोई बहुत पढ़ाई तिखाई और योग्यता की भी जरूरत नहीं होगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता है तो नौकरशाही काम करेगी। नौकरशाही तो उस थोड़े मुँह रख होती है अगर पुइसवार्ड खांदा है तो वह फरटि से चलेगी। और पुइसवार्ड अगर दबांग नहीं है तो उठाकर फेंक देगा, भले ही जान बली बच्चा कानून का पालन नहीं होता। कानून का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। इससे अनावश्यक रूप से लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप आरचर्च करेंगे, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, कागज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं स्वयं भुक्तपोगी हूँ। जब सेन कमेटी की रिपोर्ट सुनिवर्सिटी टीचर के लिए लागू और हमारा सेलेक्शन ग्रेड होना था तो टीचर्स ने कहा कि वो सब प्रैक्टि टीचर का काम लेकर जाएगा तभी होगा। मैंने कहा कि मैं कभी पैसा नहीं दे सकता। जब मैंने पैसा नहीं दिया तो हमारा सेलेक्शन ग्रेड नहीं लागू और सब का लग गया। मुझे

जाना पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के पास, जेम्स पंत वहाँ ईमानदार सेक्रेटरी थे, वे बेरी आनेस्ट आफिसर, उन्होंने तब एकतरफ लिखा और हमें न्याय मिला। बिना फैसले का काम नहीं हो रहा, वह मैंने खर्च बेखा है।

महोदय, जहाँ तक सुप्रीमकोर्ट का इशारा है। लखनऊ मुकदमें आज कोर्टों में लंबित हैं। क्या किसी प्रचलनमें ही ने का किसी मंत्री ने कहा दिया है कि अप्र फैसले मत कीजिए। लखनऊ मुकदमें पड़े हैं। जब क्लॉक न्यायपालिका दी गई थी तो उम्मीद थी गई थी कि हिन्दुस्तान का मामूली, गरीब आदमी भी न्यायालय में जा सकेगा। सारा एट्ट एक तरफ हो, सारी स्टेट्स एक तरफ हो, तब भी वह कोर्ट में जाकर लड़ सकेगा। क्या वह आज लड़ सकता है अपना केस? क्या कोई गरीब आदमी आज सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता है, आ ही नहीं सकता। जीवन खला जाए, फांसी हो जाए, गलत मामले में फंसा जाए, तब भी उसके पास पैसा नहीं है कि वह वकील को पैसा दे और न्यायालय में न्याय के लिए जाए। गरीब-गरीब खल फैसले नहीं होते, छह-छह साल फैसले नहीं होते। उन केसों में कभी जल्दी तारीख नहीं पड़ती, लेकिन अगर हिन्दुस्तान के किसी पोलिटिकल लीडर का केस हो तो न्यायालय रोजाना तारीख लगाए। अप्र आश्चर्य करेंगे, महोदय, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो दिन पहले एक जज ने वकील से कहा दिया कि आप कितनी बहस कीजिए, आप जानते हैं कि मुझे क्या फैसला करना है? जब इस स्तर के जज हो जाएंगे तो फिर तो बात सबकुछ पर उठने लगेगी। आप आश्चर्य करेंगे, जब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बरखास्त हुई। सुप्रीम कोर्ट में केस गया। डिवीजन बेंच ने कहा कि कंस्टीट्यूशन बेंच देखे कि — A point of law is involved in this. एक सीनियर एडवोकेट ने कहा कि कभी कंस्टीट्यूशन बेंच का गठन नहीं होगा क्योंकि बोम्बेई केस का फैसला है, इसलिए फैसला मुलायम सिंह के पास में हो जाएगा, यह पांच जज की बेंच होगी और वह नौ जज की बेंच थी। इसलिए कंस्टीट्यूशन बेंच का गठन नहीं हो सकता। It was unheard of for me. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह सही थे। मैंने लाख कोशिश की, लाखों रुपया खर्च किया, बड़े बड़े सीनियर वकील से मेरा न करवाया।

I failed to get a Constitution Bench constituted.

सर, यह स्थिति न्यायालय की है। केवल पापुलरिटी लेने के लिए, केवल अखबारों में आ जाए कि क्या फैसला हुआ, यही चीज है। इसीलिए हमने कहा था

लोगों से, जब कल्पनाथ राम वाले मामले में जमानत के दौरान संसद सदस्यों के बारे में एक जज ने गंदी भाषा का प्रयोग किया था, मुझे याद है कि जोशी जी ने हमारा सहयोग दिया था, कि इस जज को गिरफ्तार करके सदन के सामने लाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने यह आदेश दिया था केशव सिंह वाले केस में। इस ओर ध्यान जाना चाहिए अन्यथा संसद की गरिमा, संसद की मर्यादा, संसद की सुप्रीमसी जो है, वह खतम हो जाएगी। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, हमने अगर कहीं अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है तो इन पचास साल में हमने कई जगह चुक भी की है।

महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आधा मिनट भी नहीं लगेगा, यह क्रिमिनलाइजेशन और पोलिटिक्स की बात है। यहां इस हाउस में 250 सदस्य हैं, कितने क्रिमिनल हैं? एक भी नहीं। Not a single man's criminal history is there. आखिर, यह बात कौन सबसे ज्यादा कह रहे हैं? बोहरा कमेटी की रिपोर्ट सबने पढ़ी होगी। अपराधियों-राजनीतिज्ञों, अपराधियों-जजों, अपराधियों और नैकराहों, सबके गठबंधन की बात है, लेकिन चर्चा करेंगे अपराधियों और राजनीतिज्ञों के गठजोड़ की। आप में तो एक होगा अपराधी, लेकिन जो अपराधी का प्रचार करते हैं, जिनकी कलम से काम होता है, आप बताइए कोई कलेक्टर या एसपी० बेईमानी करता है तो क्या आप किसी को दंडित कर सकते हैं? किसी एम०पी०, एम०एल०ए० को अधिकार है दंडित करने का? अगर कोई कलेक्टर या एसपी० ईमानदार है तो किसी मिनिस्टर की, किसी एम०पी० की हैसियत नहीं है किसी अपराधी को संरक्षण देने की? लेकिन, जब स्प्राइनलेस आफिसर हो जाएंगे, अच्छे पोस्टिंग के लिए जो किसी सीमा तक जा सकते हैं, पोलिटिक्स आकाओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, तब इस तरह की बात होती है। अपराध और अपराधियों के इतिहास में फर्क करना पड़ेगा। हम यह कर सकते हैं। माफ करें, मैं अगर किसी दरोगा से कह दूं गाजियाबाद में, वहां कल कोई रिपोर्ट लिखा दे कि माननीय रामकृष्ण हेगड़े आए थे गाड़ी में बैठकर आए। इनके साथ दो आदमी थे, हमारे दो थप्पड़ मारे, हमारी गाड़ी उठाकर ले गए। इस आदमी एफिडेविट दे देंगे, गवाही दे देंगे, मुकदमें की पैरवी कर देंगे। हमने तमाम झूठे केसों में लोगों को सजाए होते देखी हैं। इसलिए यह मत कीजिए। इलेक्शन कमीशन को क्या यह अधिकार है? संसद द्वारा बनाए कानून में संशोधन इलेक्शन कमीशन एक आर्डर से कर सकता है? इज इट पास्सिबल? इज

इट लीगल? इज़ इट कॉन्स्टीट्यूशनल?

श्रीमान, इसलिए मैं संसद सदस्यों से कहूंगा कि अपने अधिकारों का प्रयोग करें, अपने आपको अपमानित करने की कोशिश न करें। आज भी देश का बेईमान से बेईमान पोलिटिशियन दो-चार घंटे रोज देश के बारे में सोचता है, गरीब आदमियों से बात करता है। माफ कीजिए, चेरयमैन साहब, आप बहुत अच्छे पोलिटिशियन हैं, आप आई-एन्फोर्स अफसर रहे हैं, आप मुझे माफ करेंगे लेकिन अगर सुबह 9.00 बजे टेलीफोन करें तो अधिकारी के यहाँ उत्तर मिलता है कि साहब बाथरूम गए हैं, 10.00 बजे टेलीफोन करें तो पता लगता है कि साहब पूजा कर रहे हैं, उसके बाद सीधे चले गये हैं आफिस। कभी किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति से मिलने का टाइम उसके पास नहीं होता है। बेईमान से बेईमान नेता के पास भी अगर कोई जाता है तो वह उसकी बात सुनता है, आधी रात को आता है तो उसकी बात सुनता है। मुझे अफसोस है कि इनको रोज बदनाम किया जाता है। 80 फीसदी अधिकारी भी अगर अपने कर्तव्य का सही प्रयोग—

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): अब समाप्त कीजिए।

श्री रामगोपाल वादव: कर लें तो सही समस्या समाप्त हो जाएगी।

वैकुंठ वेरी मच: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिव चरण सिंह (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष जी, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा हेतु विशेष अधिवेशन पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूँ, इससे पूर्व सर्वप्रथम मैं उन महान पुरुषों को एवम् शहीदों को, जिन्होंने राष्ट्र को आज़ादी दिलाई, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों एवम् देश की रक्षा हेतु शहीद हुए शहीदों को नमन करता हूँ। मान्यवर, हम जो छोटी रियासतों के लोग थे, उनको आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार पटेल ने निभाई थी, उनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ।

मान्यवर, मैंने अपने पूर्ववक्ताओं की बातें सुनीं। हमारे सभापति और लोक सभा के स्पीकर महोदय का भी मैंने सम्बोधन पढ़ा और सुना। उन्होंने कुछ विशेष मुद्दों पर प्रकाश डाला कि लोकतंत्र को खतरा है। प्रशासक है, राजनीति का अपराधीकरण है और उत्तरदायित्व का अभाव है और माननीय स्पीकर महोदय ने यह स्पष्ट कहा कि लोकपाल, सरकारी काम-काज में

पारदर्शिता लाना, जनता को जानकारी प्राप्त करने के अधिकार और चुनाव सुधार आदि के बारे में हमको विचार-विमर्श करना चाहिए। हमारे इस अधिवेशन में चार विषय रखे गए थे — प्रजातंत्र, फेमिली प्लानिंग, भ्रष्टाचार और मानवीय विकास। मान्यवर, मैं सूक्ष्म रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे देश में, हम जब आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के पश्चात हमारे सामने तीन विकल्प थे। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि यह गरीब किसानों और गरीब लोगों का मुक्त है, हमारे यहां डिसैटूलाइज व्यवस्था से राज-व्यवस्था चलानी चाहिए और ग्राम आधारित पंचायती राज के माध्यम से हमको इस सारी व्यवस्था को चलाकर के ग्राम स्वराज्य लाना चाहिए। हमारे देश के कर्णधारों ने अमेरिका के पैटर्न का जो प्रशासन तंत्र था, उसको पसंद नहीं किया बल्कि ब्रिटेन के प्रशासन तंत्र को हमारे यहां पसंद किया गया और वही प्रजातांत्रिक पद्धति आज हमारे यहां चल रही है। उसी प्रजातांत्रिक पद्धति से चलते हुए आज हमारे देश में 50 साल के बाद हम लोगों को यह सुघ आई कि हमारे देश में प्रजातांत्रिक पद्धति के माध्यम से जो राज-व्यवस्था हम चला रहे हैं, उसमें क्या कमी है। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि प्रजातांत्रिक पद्धति सबसे अच्छी व्यवस्था है। इसमें गरीब के वोट से राज चलता है। संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र होने का हमको गर्व है। मान्यवर, इसे बिगाड़ा तो राज करने वालों ने बिगाड़ा क्योंकि प्रजातंत्र में रूल आफ लां होता है। मान्यवर, अभी मेरे से पूर्ववक्ता कह रहे थे कि हमारे देश में जो रूल आफ लां की व्यवस्था है, उसमें अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है तो वह एंज़ीक्यूटिव और ज्यूडिशरी पर है। मान्यवर, हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लेफिसस रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के रहे हों, चाहे नीतियों की बात रही हो, हमने ज्यूडिशरी और एंज़ीक्यूटिव के कितने लोगों के खिलाफ आज तक 50 सत्रों में करवाई की? हम लोग यहां कानून बनाते हैं, कानून बनने के बाद कार्यपालिका उसको कार्यरूप में परिणत करती है, लेकिन आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार के मामलों में अनेक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैं इसी सदन में था, हमारे कान्युनिकेशन मिनिस्टर पर आरोप लगा, एक अन्य मंत्री पर शूगर छोटा ले का आरोप लगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वह फ्रेंडलींग का नेटिंग सिस्टम है। मान्यवर, आप क्लिफ़ीश रहे हैं, आपको मालूम है कि हमारे देश की शासन प्रणाली किस प्रकार से चल रही है। मान्यवर, मैं भी दो बार मिनिस्टर रहा हूँ मुझे मालूम है कि एक कर्त्तक से लेकर सैक्रेटरी तक की ओर नेटिंग है वह फ्रेंडल होती है और

मिनिस्टर के पास बाद में जाती है। यह नोटिंग प्रणाली, जो हमारे प्रशासन तंत्र में है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां कुछ अनाड़ी मिनिस्टर आते हैं। जितने नोट सैक्रेटरी से आते हैं, उसमें से कितने टर्न डाउन होते हैं? मान्यवर, क्लर्क लेवल से चलने वाला जो नोट है, वह सैक्रेटरी तक डिडो होता चला जाता है और वही सबका कारण है।

मान्यवर, भ्रष्टाचार जब ऊपर होता है मंत्री स्तर पर तो क्या सैक्रेटरी को उसके बारे में मालूम नहीं पड़ता? क्या नीचे का क्लर्क, सेक्शन-ऑफिसर और दूसरे जो डिप्टी-सैक्रेटरी या ऐडिशनल सैक्रेटरी और सैक्रेटरी है, उनके लेवल तक मालूम नहीं पड़ता? अगर मालूम पड़ता है तो इन 50 सालों में यह लेखा-जोखा आपको करना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी के कितने लोगों ने कितनी गलतियाँ की हैं। महोदय, हमने ब्रिटेन का जो प्रशासन तंत्र इम्प्लैन्ट किया, उसकी वजह से भी कई कमियाँ आईं। मान्यवर, अभी बहस में कई बातें सामने आईं। यहां पर जात-पात की बात आई, भ्रष्टाचार की बात आई और उसका कारण भी आपने देखा होगा। सैक्रेटरी लेवल पर जातिवाद के बारे में दो तरह की चर्चा आई कि जातिवाद फैल गया और अपराधीकरण हो गया। अपराधीकरण हुआ है, यह सच है। अपराधी हमेशा राज के सहारे पर चलता है। जो राज में आता है, अपराधी उसके नजदीक चला जाता है। आज यहां मिली-जुली सरकार है, सारे अपराधी उनसे चिपक गए होंगे। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो सब उससे चिपक गए थे। कल हम बी-जे-पी के लोग आएंगे तो हमारे साथ आ जाएंगे। अपराधी सहाय देखता है, अपराधी और कुछ नहीं देखता। वह अपने ऐंठों पर पर्दा डालने के लिए सहाय ढूंढता है। लेकिन यह देखना पड़ेगा कि उन अपराधियों को शरण कौन देता है? यह देखने की बात है।

महोदय, हमारे यहां की जुडिशियरी के हालात आप देखिए। हमारी जुडिशियरी बहुत अच्छी है, उत्तम है लेकिन जुडिशियरी में बहुत धिले हो रही है। आज देश भर में करोड़ों मुकदमों लेबित पड़े हुए हैं। आज अगर कोई अदालत रुल ऑफ लॉ के तहत कानून की शरण में जान चाहे तो गरीब आदमी नहीं जा सकता है। क्योंकि उसमें बहुत खर्च आता है। मान्यवर, सारे हालात को हमें सुधारना होगा। इसमें जो-जो कमियाँ हैं, उनको हमें सुधारना होगा।

मान्यवर, दूसरा प्वाइंट या फैमिली-प्लानिंग का। सबसे पहले हमारे देश में पारिवारिक अमृत की जरूरत

है-मिनिस्टर थीं तो उन्होंने फैमिली-प्लानिंग शुरू की थी फर्ट प्लान में 1951 से लेकर 1956 तक। मान्यवर, इस दौरान अनेक देशों से तरह-तरह के साधन हमारे यहां आए फैमिली-प्लानिंग के लिए इस पर हमारे देश का करोड़ों रुपया खर्च हुआ लेकिन हुआ क्या? इस वर्ष का आंकड़ा यदि आप देखेंगे तो हमारे यहां जो आबादी की रफ्तार थी, जो पहले 1.9 परसेंट थी, आज वह 2.4 परसेंट हो गई है यानी बढ़ गई है। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह जो आपकी पापुलेशन पॉलिसी पर स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट आई, उसका क्या हुआ? हमारे यहां जो मंत्री साहिबा आई हैं, पहले इनका "2 के 2" का नारा था, अब एक का एक कर रहे हैं। उस समय जो हैलथ मिनिस्टर थीं, तब से लेकर आज तक यानी 1956 से लेकर आज तक हमने फैमिली-प्लानिंग में कुछ ऐचीव नहीं किया, फैमिली-प्लानिंग के टारगेट्स हमने पूरे नहीं किए। हमने देश, विदेश, अपने प्लान और नॉन-प्लान का साथ रुपया खर्च कर दिया लेकिन हम गांवों में स्वास्थ्य और चिकित्सा का इंतजाम नहीं कर पाए। अगर हम गांवों में स्वास्थ्य और चिकित्सा का इंतजाम करते, लोगों में जागरूकता आती, लड़कियों की शिक्षा होती तो फैमिली-प्लानिंग ऑटोमेटिकली हो जाती। वह कमगांवों पर फैमिली-प्लानिंग फैल हो गई है।

महोदय, आज हमको फिक्र किस बात की हुई है? आज हमको इस बात की फिक्र हुई है कि हमारे देश का जो एथीकलरल प्रोडक्शन है, जो प्रतिवर्ष जाता था 4.2 परसेंट तक, आज वह गिर गया है। आज वह चला गया है। 1.7 परसेंट तक और हमारे यहां जनसंख्या बढ़ने की जो रफ्तार है, वह 1.9 परसेंट हो गई है। इसलिए हमको फिक्र हुई है। मान्यवर, दूसरे और कारण भी हैं। हमारे यहां शहरीकरण हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1962 में दिल्ली के अंदर एक योजना आई थी कि यहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे देश की कुल आबादी 32 करोड़ थी। सन् 1991 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश की आबादी 85 करोड़ हो गई थी और अब 95 करोड़ हो गई है। हमारे वहां करीब 75 परसेंट आबादी देशलों में है और 25 परसेंट आबादी शहरों में है। आज शहरों की आबादी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में भी कल पानी नहीं है, कल-कल की समस्या है। तब इसकी फिक्र नहीं हमारे राज करने वालों को कि गांवों के बारे में खेचें।

मान्यवर, गांवों की दुर्दशा क्यों हुई? यद्यप्य गांधी ने जो कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था, उस पर विचार न करके हमने गांवों की अनदेखी की और हमने गांवों के विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाए वे पैसेज में अफसर। ग्रामीण विकास के लिए अपने छठी पंचवर्षीय योजना में 3.5 परसेंट, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 4.5 परसेंट और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 7.9 परसेंट रुपया आपन दिया है। यह ग्रामीण विकास कार्यक्रम की दशा है। मान्यवर, हमारी एग्रीकल्चर की दशा क्या हुई? एग्रीकल्चर में हमने बहुत कुछ किया, इन्फ्रस्ट्रक्चर बनाया। सन् 1876 से लेकर 1928 के बीच में अंग्रेजों ने हमारे यहां कृषि का विकास किया और उन्होंने 17 करोड़ खोले। आजादी के बाद हमारे यहां एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। "प्रो मोर फूड" का प्रोग्राम हमारे वहाँ 1950 में लागू किया गया। उसके बाद हमारे यहां एग्रीकल्चरल रिसर्च के क्षेत्र में जो कुछ हुआ, चाहे स्वामीनाथन हों, चाहे कुरियन हों, आज आपको पता लगेगा कि हमारे देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना होता है? हमारे कृषि क्षेत्र को हमने इग्नेर किया हमारा परसेंटेज घटता चला गया। ग्राम विकास को इग्नेर किया हमारे गांव की दशा खराब हो गई। राबरीकरण के करण से रेत की परियां देखिए-झुगी वालों ने घेर ली। मुम्बई में आबादी क्या हो गई, दिल्ली की आबादी क्या हो गई, रहने की जगह नहीं। यह चलने वालों को देखिए तथा देहात और शहर के बारे में यह खोजने का मौका मिला और आज इन बीमारियों को सामने लाकर के हमारे और आपके सामने डिस्कशन के लिए लाए हैं। मान्यवर, आपकी घंटी बार-बार बज रही है, मन में मेरे बहुत जगह थी और मैं बोलना चाहता था। मैं वह आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जो अभी माननीय हेण्ड्रे सहाय ने राष्ट्रपति प्रणाली की बात कही, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति प्रणाली का हवा देखिए, अमेरिका के निम्न और किंस्टन दो राष्ट्रपति हुए। आज अदालत करो निम्न का क्या हुआ, निम्न सहाय को इस्तीफा देना पड़ा। केवल इसलिए कि महाभियोग और पैसन से बच जाए। दूसरे जो राष्ट्रपति थे — किंस्टन सहाय उन्होंने क्या किया? चन्दा लाए चीन से और क्या किया उन्होंने? पोलिजोन्स के एक-दो सदस्य थे उनके सामने नेगे होकर खड़े हो गए। वह वहां की प्रणाली है। हमारे यहां की सबसे अच्छी प्रणाली है — प्रजातंत्र। इस प्रजातंत्र पद्धति में वोट का अधिकार भी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): अब सामान्य करिए।

श्री हिंजवराज सिंह: प्रजातंत्र पद्धति सर्वोपरि है। शहर का और देहात का जो यह फेद है इसको मिटान चाहिए। मान्यवर, जो हमारा प्रशासन तंत्र है इसको टाइट करें। जात-पात, भ्रष्टाचार सब की जड़ बह है। यह सबसेना, वह मजदूर, वह शर्मा, वह गोकल और गर्ग जो समेत लगाते हैं उसको हिन्दुस्तान में ब्रेक कर दो। --(समय की घंटी)-- जातिवाद नहीं रहेगा, भ्रष्टाचारियों को सब बातों से रोक दो भ्रष्टाचार नहीं रहेगा और सारे लोग इस बात की कसम खाकर जाएं कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। आज साढ़े पांच हजार हमको मिलते हैं, इसमें गुजार करते हैं, वह कैसे हो सकता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Shri M.A. Baby, not present. Shri Bratin Sengupta, he is also not here. Shri H.R. Bhardwaj.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh): Thank you, Sir. I will not take much of your time because most of the topics have been covered. I am not concerned with the Members have said today, because they have their own views, but I am concerned with what concerns the parliamentary democracy, and in that regard, one area has not yet been noticed. The people who get elected to the two Houses of Parliament have allowed their own privileges to be usurped by the judiciary and the result is that there is a judicial despotism in the country. I have served this system, particularly for a long time. I have great respect for the institution of judiciary, but this respect is subject to one thing, that they follow the Constitution and the law because the judiciary takes oath in the name of the Constitution, as an upholder of the Constitution, but if they cross the line of demarcation, if they usurp areas of legislature, then they violate the Constitution, Sir, today we are worried. What has happened in the last 50 years? You see that never in the history of India, M.Ps. have been arrested, harassed and convicted for what they do on the floor of the House. It is a very important question. I refer to Article 105(1) and (2). If you kindly go through that Article—and the judges must go

through that Article—you will find that whatever we say in the House, whatever we speak in the House, is immune from the judicial proceedings; it is not a matter for the courts to look into in the same way as this House cannot ask the judiciary to dictate an order or a judgement within a specified time and how they decide their cases. Therefore, this is a reciprocal arrangement in the Constitution, that whatever happens in the House, in the debate or in the voting—voting is a privilege protected under Article 105(2)—once that becomes a Constitutional provision, then only this august House, or the Lok Sabha as a respective House, has the jurisdiction to pull up a Member or Members for their alleged breach of conduct or breach of privilege. It had happened in the case of Mudgil Swamy in 1952. He was alleged to have accepted a bribe. A resolution was moved and before the House could pass a resolution, he had to go. The House took cognizance of the said offence and protected the privilege of the House. Rather than allowing the C.B.I. or the police, they took action immediately. In the House of Commons, two Tory MPs—a recent case of John Major's Government, took money. A newspaper man was a conduit. Immediately the House took cognizance of the said offence, suspended the MPs and punished them. This is a self-regulatory and self-propelled system by which we not only protect our privileges but also take care of the erring MPs and punish them. The freedom of speech is a power of the sovereign in a Member of Parliament. In the same way, the Judiciary has power to punish offenders for doing an unlawful thing, strike down the Executive action if it is arbitrary. What does the Constitution say about this? The Legislature holds the purse—a very vital power. We distribute the financial cake of the country amongst various organs and if we are corrupt in its distribution, naturally, there should be somebody who should take care of the Legislature. Rather than giving that power to some outside agency, we exercise control on the floor of the

House. Recently, the House has taken care of all these things. But we abdicated the functions, and I agree with Gurudas Das Gupta and several other speakers that it is high time for us to do some introspection. While we are aware that the MPs should be men of highest integrity and should maintain a clean standard of public life, we should not allow any of our privileges to be usurped by the subordinate judiciary or the superior judiciary, as provided in the Constitution. This is not my personal matter. There are people who speak with double—standards. If something affects me, they will be very happy. If something affects them, they will say that justice is not being done. But one thing has been clearly provided in article 102 of the Constitution. Article 102 of the Constitution says that MPs cannot hold office of profit. Then how can you say that they are government servants? I am surprised to hear all this. We are saying: "Yes, the High Court of Orissa has said so." Well, the High Court of Orissa cannot go against the Constitution or articles 102 and 105 of the Constitution. As Hegde Ji has recently said: "This is a marriage of convenience." If I become a Minister by hook or by crook, I must stay on as Minister. What is your genuine governance in this country? There is one political party of 200 MPs sitting idle. There is another political party of 140 MPs sitting idle. There is another political party of 40 MPs sitting idle and a few MPs, are governing the country, caring for nothing. They are not caring for the privileges of Members of Parliament. The courts are requesting the military to enforce the summons. Is this the parliamentary system of democracy or the civil administration envisaged? You have thirteen parties constituting the Government. There should be a provision in the Constitution that unless you have a two-thirds majority, you cannot form the Government. I agree with some of the speakers that the Government should have a continuity at the Centre. But you cannot have an unethical Government functioning and saying that in the name

of democracy we are running the Government. There are no political untouchables in this country any more. After V. P. Singh shook hands with the BJP, can you say that they are untouchables? I have no brief for the B.J.P. They have a particular philosophy. I don't share that philosophy. But there are no untouchables in the country. You have embraced each other for years. For the sake of democracy, join hands on ideology, join hands on principles. Let those principles be defined. The Executive can commit mistakes. There have been cases of corruption—scandals after scandals. But we can take remedial measures to correct the situation. In Greece, which is also an ancient civilisation, Parliament takes care of the erring Ministers also, MPs also. We can do so by a legislative decree. But why are we not doing it? It is because 140 MPs of the Congress Party can be sacrificed, they can be massacred, their houses can be raided, they can be insulted and humiliated in courts. But still it does not affect the privilege of the ruling coterie. Is this parliamentary democracy? We should here and now decide that the Presidential form of Government will be disastrous to this country. We have a commitment to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. We have a protective discrimination in the Constitution that these people, who have been suffering for centuries, their interests should be protected. We have to elevate their position. Therefore, their representation in both the Houses is fundamental for the governance of the country. Socially educated, backward; all these schemes which Dr. Ambedkar gave to this great country need another fifty years unless they can stand on their own legs. What is the situation of minorities in this country? Minorities are suffocating. Can't we give an assurance to them? This is your country. The magnificence of Din-e-Elahi or Akbar cannot be forgotten. The magnificence of Jama Masjid or Lal Quila or Taj Mahal cannot be forgotten. This is a country where Sufis have ruled, ruled the emperors; Din-e-Elahi, Amir

Khusro, Hazrat Nizamuddin Aulia and our magnificent Urdu. One speaker was saying that Mr. Gujral is a Pakistani. Mr. Gujral is a freedom fighter's son. He has migrated because of the sad partition of the country, a man whose fore-fathers served with distinction this country for years. So I am not taking more time. Article 105 is your Constitutional right and if we commit mistakes, I do not want that corruption of M.P.s should be condoned. But there should be a self-correcting method here and now. These courts must be told in unequivocal terms, "please deliver speedy, inexpensive and substantial justice for the country" and once you speak in loud language and proper language from this august Chamber, everybody will understand.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P. K. JOGI): I called the name of Shri M.A. Baby. I have just been informed that he has had a cardiac problem and he has been admitted to the Ram Manohar Lohia Hospital. I have asked the Secretariat to check up about him. I on behalf of the House and all of us wish him an early and speedy recovery. Shri Solipeta Ramachandra Reddy.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a great privilege for me to be in this august House in this Golden Jubilee Year of India's Independence. At the outset I pay homage to those patriotic heroes who have sacrificed their lives and properties and those who have suffered a lot in the freedom struggle.

I and all of us are here in this House of a great nation, due to their sacrifices. We are proud of our parliamentary democracy for successfully conducting Eleven Lok Sabha elections, and over 300 Assembly elections and for a peaceful transfer of power. We must also look to the other side. We are proud of the 60 per cent voters who have participated in the elections, 60% literacy we have achieved. Sixty per cent of the population is above

poverty line. Parliamentary democracy and we belonging to all parties can take credit for this achievement. But at the same time, we have to pay serious attention to 40 per cent voters. Quite a considerable number are not participating in elections. Even after 50 years of Independence and after eight Five Year Plans forty per cent people are below the poverty line, forty per cent are illiterates and about forty per cent are keeping themselves away from population control programmes. So the forty per cent figure is a magic figure. As long as these forty per cent are below poverty line, and illiterates we cannot boast of development, democracy and success of democratic institutions. This 50th anniversary offers Parliament a great opportunity for introspection and for future course of action. Although Indian parliamentary democracy, the largest democracy in the world, has stood steadily for the last 50 years, I would like to stress about some of the failures and shortcomings in the present style of our democratic set-up. From a galloping start fifty years ago, the standard of India's Parliament has dwindled. The Parliament has miserably failed to uphold its standards. In 1951, when Shri H. G. Mudgal, a Congress Member of the provisional Parliament was found guilty of having taken Rs. 2700/- from Bullion merchants in Bombay to canvass their case in the House, Prime Minister Nehru, in spite of his being a Congress Member, moved a resolution to expel the M.P. Even thereafter, Shri Feroze Gandhi highlighted the Mundhra affair wherein LIC was accused of purchasing shares of some Mundhra companies at a price higher than the market rates and owing to this scandal, the then Finance Minister, Shri T.T. Krishnamachari lost his job. After knowing about any scam, the Members at that time used to rise above petty party considerations and brought the matter before the House for an impartial enquiry. Such high traditions were set out and have been followed in 1950s and early 1960s. In contrast, in 1996 when the Central Bureau of Investigation came up with evidence to show that four M.P.s

had received illegal payments of Rs. 40 lakhs each before a crucial vote in the House, the House never even felt the need to condemn their action. This is how we are dwindling our standards since independence. Rampant corruption and criminalisation of politics are a big menace to our parliamentary democracy. These twins are reaching a stage where they can easily swallow democracy and democratic institutions in the country. Recently, our Election Commissioner, Shri G.V.G. Krishna Murthy, has disclosed that as many as 40 MPs with criminal background entered the Parliament. We are on the verge of losing the faith of the people because of the delay in the passing of the Lok Pal Bill and the Bills concerning electoral reforms. These Bills should be introduced on the first day of the Winter Session and get passed.

I take this opportunity to welcome the Election Commission's order barring the convicted persons from contesting elections regardless of the fact whether there is an appeal pending in any higher Court.

Our Constitution states that 'India is a Union of States'. The main thrust of developing the States and solving their problems lies with the States. Our Constitution envisages a harmonious relationship between the Union and the States. Even now the relations are not up to the expectations of the founding fathers of our Constitution. Several States are increasingly of the view that there is too much centralisation and that there is a need for greater devolution of powers and decentralisation. As this Government has already committed itself, through its Common Minimum Programme, to strengthen federalism through devolution of powers and finances to the maximum extent possible, I urge upon it to take immediate steps in this regard without wasting any further time.

With the 73rd and the 74th Constitution Amendments, powers have been devolved on panchayats and nagar palikas. It was felt that this transmission of power to the people would make the system not

only more democratic but also administratively more efficient. I am sorry to state that neither democratic functioning nor powers nor even finances are to be found at the grassroot level in a large number of villages.

Regarding national integration, I must say that we have only geographical integration but not political and emotional integration. We are consciously or unconsciously driving the nation towards disintegration by encouraging communalism, casteism, regionalism and linguistic chauvinism. To strengthen parliamentary democracy and national integration, we must solemnly swear today that we highly respect religions, castes, regions and languages; but we desist from communalism, casteism, regionalism and linguistic chauvinism.

I am sorry to state that for removal of poverty, illiteracy, unemployment and for economic development of the country, some hon. MPs in both the Houses have suggested redrafting of our Constitution and shifting to the Presidential form of Government. Yet some other friends have advocated creation of smaller States or autonomous States. I honestly feel that these changes will further destabilise and weaken our parliamentary democracy. I feel, Sir, that the failures during the last 50 years are not because of the defects in our Constitution or in the system of governance but because of the actions of the functionaries presiding over our democratic institutions. It is high time for all of us, belonging to different political parties, to undertake an indepth heart-searching about ourselves, our commitments and our efforts to bring up the downtrodden. Are we discharging our duties to fulfil the aspirations of the people or are we more interested in the wellbeing of ourselves, our friends and relatives and our party workers only? Are we devoting much of our time and energy for mass problems or for individual problems of bureaucrats, industrialists, contractors and businessmen? I feel that the proposed second freedom struggle should start from today itself as we are leaving

to our areas after this introspection. Every one of us should go with dedication and determination to save and strengthen parliamentary democracy by serving the people, for population control, for eradication of poverty, for health care, for compulsory education and for empowerment of women.

People have elected us and sent us here. We are spending more than four lakhs per hour on this House. They are watching our attendance and performance in the House through televisions. To remove the bad message which has already gone, I humbly appeal to the Leaders of all political parties to ensure that at least half of their Members are present in the House at any given time.

Finally, I would say all of us are very much happy for the last five days and for today's decent and dignified proceedings of the House. Let us keep up this in all ensuing Sessions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Now, Kumari Nirmala Deshpande. It is her maiden speech.

कुमारी निर्मला देशपांडे (नाम-निर्देशित): महोदय,

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): आप माइक ठीक कर लें। आप चाहें तो आगे आकर बोल सकती हैं।

कुमारी निर्मला देशपांडे: क्षमा कीजिए, मेरी उम्र इस सदन में सिर्फ दो दिन की है, इसलिए गलती हो गई। आपने मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ।

सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने हिस्सा लिया और जो शहीद हुए, उन सब के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और इस संसद में जिन महान हस्तियों ने हिस्सा लिया, आरंभ से आज तक, उन सब को भी स्मन करती हूँ। आज के इस मौके पर याद आते हैं इस युग के महान ऋषि रमन जर्हि के वह वचन, जब भी कोई उनके पास पहुँचता था तो वह एक ही चीज तमिल में बोलता करते थे नान्कार, मैं क्रॉन हूँ, अपने आप से पूछो। आज भी अपने आपसे वह बात अगर सारा देश पूछे तो सभी समस्याओं का सही उत्तर उससे मिल जाएगा। स्वतंत्रता की पचासवीं साल गिरह पर

प्रकार पृष्ठो है कि स्वतंत्रता की उपलब्धि क्या है। मैं विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, स्वतंत्रता, आजादी। आजादी सबसे बड़ी नियमित है। इसका मतलब भी कहा है कि गुलाम की इबादत भी कबूल नहीं होती और भारत के शासकों ने भी कहा है कि स्वतंत्रता कर्ता। जो स्वतंत्र होता है वही कर्ता होता है, बाकी सब करण और उपकरण होते हैं। इसलिए इस आजादी की कीमत हमें कम कभी नहीं आंकी चाहिए।

डेमोक्रेसी के बारे में सोचने के लिए यह विशेष अधिवेशन चल रहा है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र, कृषियों, कर्मियों और खासियों के बावजूद संसार का एक बहुत बड़ा और सफल लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन इसकी जो कृषियाँ, खासियाँ हैं उनको दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने सुझाया है कि डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर, सत्ता का विकेन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण के सिलसिले में जो पंचायती राज का कदम उठाया गया है, वह सही कदम है। लेकिन यह नाकाम है। जब तक ग्राम स्वराज की तरफ देश नहीं बढ़ता है और जब तक गांवों की ग्राम सभाओं को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तब तक प्रजातंत्र अधूरा रहेगा। यह जो विचार आज चल रहा है, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी पर चल रहा है। चाहे पार्लियामेंटरी फर्म हो, चाहे प्रेसीडेंसियल फर्म आफ गवर्नमेंट हो, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के प्रकार हैं। हमें पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहिए। यह तभी संभव है, जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और जब ग्राम सभायें सशक्त और समर्थ बनें, गांव गांव में अपनी योजना बनें, अपने आय स्रोतों का निर्माण हो और इस प्रजातंत्र में जनता, जो मालिक है, उस मालिक के पास सही सत्ता पहुंच जाए।

इसके साथ ही महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इस प्रजातंत्र में जो खासियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए आर्थिक और सामाजिक आजादी की दिशा में कदम उठाने जरूरी हैं। गांधी जी से पूछा गया था कि आप स्वराज क्यों चाहते हैं, अंग्रेजों को क्यों हटाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा था कि हम स्वराज इसलिए चाहते हैं कि स्वराज के बिना यह देश दुनिया की सेवा नहीं कर पाएगा और इस देश के गरीबों का उत्थान नहीं हो पाएगा। दुनिया की सेवा के मामले में तो इस देश ने बहुत बड़े कदम किए हैं, इसके लिए हमें गर्व है। गरीबों के उत्थान के काम में तात्कालिक कार्य भी हुए और सबसे ज्यादा गैर-राजसत्वीय तौर पर कार्य हुए हैं। बिना किसी भी ने पूंजी आंदोलन के माध्यम से इस देश की सबसे

बड़ी समस्या, जमीन की समस्या को हटा, लाखों एकड़ जमीन हासिल की और बांटी। लेकिन आज भी देश में बहुत से लोग बेजमीन हैं। उनकी तरफ ध्यान खींचना बहुत जरूरी है। बेजमीन को जमीन, बेरोजगारों को रोजगार देना बहुत आवश्यक है और साथ साथ बेजबान को जवान भी दिलाना आवश्यक है। इसके साथ ही एक बार और मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आखिर यह गुरुवत कैसे दूर होगी। क्या सिर्फ हिन्दुस्तान में गुरुवत है? हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी हमारी जैसी गुरुवत है। हम खर्च करते जा रहे हैं डिफेंस पर, सुरक्षा पर। दोनों मुल्कों में सुरक्षा पर खर्च बढ़ता जा रहा है और गरीबों की हालत खस्ता होती जा रही है। क्या 50 सालों के बाद भी नहीं सोचा जा सकता है इस पर कि हम मिल कर सोचें और दोस्ती का माहौल बनाएं, अमन का माहौल बनाएं। इसमें दोनों मुल्कों की जनता पहल करे। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहती हूँ कि हाल ही में एक इन्सिगेनर ले कर मुझ फकिस्तान जाने का फैसला मिला था। जितनी चाह इस तरफ दोस्ती की है, उससे कहीं ज्यादा चाह दोस्ती की उस तरफ भी है। जो वहां के आवाज का प्यार और मोहब्बत हमें मिली, उसके बारे में क्या कहा जाए। मैं एक फकिस्तानी शायर की नज़म के कुछ हिस्से सुनाना चाहती हूँ—

तुम हमें रोक नहीं सकते
खारदार तारों की बाढ़ बना कर
पत्थरों की दीवारें उठा कर।
जिस्मों को पाबन्द कर सकते हो
मगर ज़हनों को कैद नहीं कर सकते।
हम मुट्ठी भर भर फिरे लोग
सरी जनता की आवाज़ बन जायेंगे
तुम्हारे लगाये हुए
खारदार तारों के जाल को काट कर
अपनी आजादी का परवाना लिख लेंगे
अमन और खुशहाली के खानों को ताबोर पा लेंगे
नफरत की दीवारों के रुख पलट कर
चाहतों के पुल बना लेंगे।

यह फकिस्तान के आवाज के दिल की बात है, जो मैं आपके सामने रखी। दोनों मुल्कों में जब तक सशक्त जन आन्दोलन खड़ा नहीं होता है, दोस्ती का माहौल बनने के लिए, तब तक गुरुवत को मिटाना संभव नहीं होगा। दोनों मुल्कों के लोकतंत्र को मजबूत बनने के लिए जरूरी है कि अमन, दोस्ती और भाईचारे की बात की जाए। इसी के साथ महोदय, मैं ध्यान

छीन्ना चाहती है हमारे देश के महान सपूत डा० जाकिर हुसैन साहब, जो इस देश के राष्ट्रपति भी बने थे, वे महात्मा गांधी का दिया हुआ, तालीम में सुधार का काम जिन्दगी भर करते रहे। बुनियादी तालीम के लिए उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी लगा दी। लेकिन बर्दकिसती से तालीम में सुधार नहीं हो पाया। मुझे इस समय आचार्य विवेका जी का वह वचन याद आता है जो उन्होंने 15 अगस्त के दिन दिया था : आज़ाद भारत में एक क्षण के लिए हम गुलामी का झण्डा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उसको नीचे लाना पड़ा। तिरंगा झण्डा फहराया गया। उसी तरह गुलामी की, लार्ड मैकाले की तालीम भी, एक क्षण के लिए बर्दाश्त नहीं करनी चाहिये थी। लेकिन दुर्भाग्य से 50 साल बाद भी तालीम में बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रजातंत्र के लिए बहुत से खतरे जो पैदा होते हैं, उसकी वजह यह गलत तालीम है, उसकी तरफ देश का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आम सज्जति की बात आती है। देश पर जब कोई खतरा आता है तो सब एक हो कर देश की सुरक्षा करने के लिए काम करने की बात करते हैं। आज कोई कम खतरे हैं? नुक्सत है, बेरोज़गारी है, जनता के मन में असंतोष है। इन सब खतरों को मिटाने के लिए अगर सब मिल कर कन्सेंसस से सब दलों के लोग पार्टी से ऊपर उठ कर काम करें तो देश का माहौल बदल सकता है। इसी तर्कसिद्धि से विवेका जी की बात मुझे याद आती है : अब शियासत से मसले हल नहीं होंगे, रहनियत से होंगे। स्थानी हलों को हमें बूढ़ना होगा और हर मसले का हल बूढ़ते समय रहनियत की तरफ ध्यान देना होगा, जिसको श्री अरविन्द ने कहा है कि मेटल लेवल से ऊपर उठ कर सुपरामेटल लेवल की तरफ जाना होगा वन मसलों का हल बूढ़ा जा सकेगा। दुनिया एक हो रही है वही परिवर्तन की समस्या हो, वही कोई और समस्या हो। दुनिया को मिल कर सोचना पड़ता है। ऐसा हालात पैदा हुए हैं कि हम जीयेंगे तो साथ जीयेंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। तो क्या भारत में वह काम सब दल मिलकर नहीं कर सकते हैं?

मीडिया के बारे में जरूर थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि बर्दकिसती से हिंदुस्तान के मीडिया का रुख निगेटिव ज़रूर है। इस मुल्क में अनेक अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन मीडिया का ध्यान उनकी तरफ जाता ही नहीं और कुछ को खूब पब्लिसाइज किया जाता है। इसकी वजह से माहौल भी ऐसा बनता है कि लोगों को लगता है कि सारे देश में गलत ही काम हो रहा है। ऐसी बात कितनी नहीं है। मीडिया को अपना रुख बदलना चाहिए। पाजिटिव बनाना चाहिए। प्रजातंत्र में जो

अच्छे-अच्छे काम एन०जी०ओ० की तरफ से हो रहे हैं, दूसरों की तरफ से हो रहे हैं उन सबकी तरफ ध्यान देना चाहिये। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एन०जी०ओ० को भी सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी होगा। वह भी एक बहुत बड़ी इकाई है, जो इस देश की जनता को जगाकर, जनता को संगठित करके जनता के द्वारा, जनता के पुरुषार्थ को जगाकर इस मुल्क के लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। उनकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। आज हिंदुस्तान का आम आदमी भ्रष्ट नहीं है। आम आदमी भला है, अच्छा है, नेक है। कुछ खराबियाँ ऊपर के तबके में आयी हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है चुनाव की पद्धति। क्या सब मिलकर चुनाव की पद्धति में कुछ परिवर्तन लाने की तरफ ध्यान नहीं दे सकेंगे? चुनाव की पद्धति को बदले बगैर और केवल चुनाव की पद्धति ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के द्वारा दी गयी सारी यह जो पद्धति है उसे बदलना होगा—मेरे भाई गाडगिल साहब ने एक मजेंदार किस्सा सुनाया था, अभी भी वही सब चल रहा है। इसमें बुनियादी परिवर्तन लाए बगैर, अगर हम इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे, तो सफल नहीं हो पाएंगे।

इसी के साथ आखिर में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी ने हमें बर्द दिलाया था, भारत का अपना एक मिशन है। वे कहते थे अगर भारत अहिंसा को छोड़ देगा तो वह में से सफ़नी का, मेरे प्यार का भारत नहीं रहेगा। दुनिया के सामने एक अहिंसात्मक जीवन पद्धति पेश करने का मिशन गांधी जी ने हमें दिया था और उसके लिए किस किस की मानसिकता चाहिए। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने कहा था—अमेरिका के राष्ट्रपति जो द्वितीय विश्वयुद्ध के विजेता सेनापति रहे थे, उनके सम्मन में दिल्ली में आयोजित एक मीटिंग में, आम सभा में नेहरू ने कहा था—Sir, you have come to a country named India which is a very strange country.

महाशय आप एक बड़े अजीबोगरीब देश में आए हैं जिसका नाम हिन्दुस्तान है। इस मुल्क में उन लोगों की पूजा नहीं होती, इज्जत नहीं होती है, उनके सामने मुकाम नहीं जाता जो सत्ता के फलों पर आसीन हैं। यह मुल्क उनके सामने नहीं झुकता है जिनके पास अपार धन है, सम्पत्ति है। यह मुल्क उनके सामने नहीं झुकता है जिनके हाथ में शस्त्र-शस्त्रास्त्रों का भंडार है। फिर उन्होंने कहा कि महाशय, क्या अजीब देश है यह इंडिया। यह मुल्क उन्हीं के सामने झुकता है जो सब कुछ छोड़कर सन्यासी और फकीर बनते हैं। इसको हम बर्द करें। धन्यवाद।

1.00 P.M.

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Hon. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. Sir, millions of our contrymen are deprived of the right to shelter, the right to minimum health services, and the right to basic amenities, which should be provided to each and every citizen by a civilized society. 460 million illiterates of our country are yet to enjoy the freedom of literacy. At least 120 million youths of our country are yet to enjoy the freedom of having employment.

More than 50 million poor agricultural labourers and patriots of our country are yet to enjoy the freedom of having a minimum wage and a legislation in this regard. Millions of teen-agers are yet to enjoy the freedom of having a proper cultural entertainment, sports ... (Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोशी): जस्ट ए रैकंड। अब एक बज रहा है, भोजनावकाश का समय है, पर आज लगभग 21 वक्ता बचे हुए हैं और 4.00 बजे हमें प्रस्ताव पारित करना है। इसलिए अगर आप सहमत हों तो आज भोजनावकाश न लिया जाए?

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार): हां, सस्पेंड कर दीजिए। ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोशी): प्लीज कंटीन्यू। ... (व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): महोदय, ऐसा नहीं है कि 4.00 बजे ही प्रस्ताव पारित करना है, पहले बोलने वाले बोल लें। ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोशी): आज भोजनावकाश नहीं होगा। प्लीज कंटीन्यू।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: टाईम लिमिट ले रखी जाए। ... (व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: हां, टाईम लिमिट रख सकते हैं। ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोशी): अब कोई भी वक्ता दस मिनट से ज्यादा नहीं बोले, 6-7-8 मिनट में समाप्त करें।

SHRI BRATIN SENGUPTA: We have lost a golden opportunity of 50 long years to do anything very concrete for the vast sections of our people. All of us must agree that all these things cannot be done in one day or even in a few years. But, the entire direction has not been very implicit and, most importantly, there have been many promises from different authorities and eminent personalities in different documents in the last 50 years. May I humbly suggest: Can't our CrPC be suitably so amended that making a false promise before the nation, as has been done on many occasions, attracts a criminal offence in our country? We have yet to enjoy the right to education, the right to shelter, the right to health, the right to work, the right to proper entertainment, the right to sports and games. But, many people in our society seem to enjoy the right to corruption. It took 50 years to start an introspection how politicians have amassed wealth disproportionate to their earnings. Now, an introspection has started how a politician who did not have a significant portion of income before joining politics, has become a rich man, has become a millionaire after joining politics. It is good that introspection has started regarding politicians. But, even after 50 years, I am constrained to say, an introspection has not started as how the big industrialists, the big business houses of this country could multiply their wealth a hundred times, a thousand times, ten thousand times and some people even more than that. They must be having some legal portion of their income. But don't any of them, who have multiplied their wealth to astronomical figures, have any portion of illegitimate income in their custody? Why is it taking time to start introspection regarding many other sections of the society? It is very strange. I feel, introspection is also necessary regarding a concrete action plan to fight out the evil of corruption. Some Commission at some point of time, many days back, seemed to have recommended "Denominations of Indian

currency should not be higher than Rs. 10 in order to prevent corruption". I personally feel that this alone cannot prevent corruption because there are many other avenues and ways of corruption. Some people are reported to be saying these days that even Parliamentary Questions are sometimes sold.

I am not sure. But some kind of a plan should have been made. This Session itself, this historic Session being held to celebrate the fifty years of our Independence, this significant Session itself, could have been made more attractive and a more effective one—we could have planned it that way—to really attract the attention of, and inspire, our children, teenagers, the youth of the country, by preparing a time-bound action plan regarding the agenda for the nation, to tackle the burning issues before the nation, in the coming fifty years.

Sir, I would take just one or two minutes more, with your kind permission to pay, on behalf of my generation, our respects to the glorious and noble martyrs of Jallianwala Bagh who laid down their lives in the face of the brutal British tyranny. Let me pay my respects to the martyrs of the Chittagong Armoury Raid; Masterda Surya Sen and others. Let me pay my respects to the heroic fighters of the Jalalabad holocaust. Let me pay my respects to the martyrs of the Goan Independence—Dada Rano, the great martyr of Goan Independence, and others. Let me pay my respects to Motangini Hazra and Kartar Singh Sarwa, the great martyrs of Manipur. Let me pay my respects to the martyrs of the Indigo-growers Rebellion; Birsa Munda and other heroes of the Santhal Rebellion and all other tribal rebellions that have taken place during the entire period of the freedom struggle of our country.

Let respects be paid equally to the martyrs of the Kayyur Rebellion, the Sannyasi Rebellion and the Tebba Rebellion and the struggle by many other

sections of the society who took an active part in the freedom struggle of our country.

Let me pay my respects to the martyrdom of the heroes of the Hindustan Socialist Republican Army. Let me pay my respects to the martyrdom of Maharaja Vikramjit Singh of Manipur, the Deila heroes of NEFA, and other heroes of the Maratha and Rajput kingdoms, who fought for our freedom.

Let me pay my respects to the sweet memory of our national heroes like Dr. S. Visveswarayya, Dr. Homi J. Bhabha, Dr. C.V. Raman, Dr. Meghnad Saha, Acharya Satyendra Bose, Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, Raja Rammohan Roy, Singaravelu Chettiar, Deshbandhu Chittaranjan Das, and many other heroes, many other illustrious national heroes, of our freedom struggle whose names are not often repeated, many of whom have not even entered their names in national history.

Finally, I would make an appeal to the Government and to all others concerned that we should bring out a compilation, a comprehensive compilation, which gives a real picture, which gives a real depiction, of our struggle for Independence.

Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत खोसी): श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल: कृपया समय का ध्यान रखें। आप के 7 मिनट हैं।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल (बिहार): मैं उस से जल्दी समाप्त कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप का आभारी हूँ कि इस विशेष अधिवेशन में आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय, यह विशेष अधिवेशन आजादी के गत 50 वर्षों के कार्य-कर्मों का लेखा-जोखा करने का अवसर है। इस अधिवेशन में विद्यमान सन्नीव सदस्यों ने यह जीवन के हर पक्ष को छुजा है, हर समस्या का विवेचन किया है। क्या कारण है कि सब कुछ सही होते हुए भी यह कुछ मामलों में गलत रहते पर निकल पड़ा? आप प्रधान की बात से रही है, आज बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व

की बात हो रही है। महोदय, हम ने पिछले 50 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया, इस की विवेचना करने का वह अवसर है।

उपसभाध्यक्ष जी, आज का विषय भारतीय लोकतंत्र है और लोकतंत्र का साधारण मान्य अर्थ लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार द्वारा राज करना है। जहां तक लोकतंत्र की नीति का प्रश्न है, वह स्वाभाविक रूप से इस जनता के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों की नीति होने चाहिए महोदय, बहुत से पूर्व वक्ताओं ने आजादी प्राप्ति में हमारे पृथ्वीय नेताओं के नाम प्रथम पंक्ति में लिए और यह उचित भी है। परन्तु क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है। कि हम उन लक्ष्यों को जो उनके शहीदों को ध्यान में रखा था, आजादी प्राप्ति के पक्ष में बिना किसी आकांक्षा के अपने प्रणों की आहुति दे दी थी। मातृभूमि पर पर पिटने वाले हम शहीदों की चिताओं पर क्या हम ने वे श्रम और भी दिए जتناए हैं, उन्हें वाद करने हैं? आजादी में पूर्ण प्रत्यक्ष कति की कल्पना थी:

शहीदों की चिताओं पर लगे हर बरस मेले।

आज पर पिटने वालों का यही बाकी निशा होगा।

उपसभाध्यक्ष जी, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी की खातिर पर पिटने वाले इन टीनानों को हम भूल गए हैं। इसलिए हम यह भी भूल गए हैं कि इस आजादी की कीमत किनी है। इसे प्राप्त करने में हमने इस धरती के कितने सुन्दर अमूल्य रत्नों को न्योछावर किया है। इसलिए यह रूप से हम यह भूल गए कि भारी आजादी कितने अमूल्य है। नतीजा यह हुआ कि व्यक्तिगत स्वार्थ प्रधान हो गया।

महोदय, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। लोकतंत्र इस देश के एक कालखण्ड में पहले भी था और आज भी है। आजादी के पश्चात लोकसभा के 11 चुनाव हुए और हम संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र कहलाये। हमारी जनसंख्या 96 करोड़ के लगभग है। हमारे देश में लोकतंत्र तो है, परन्तु क्या सचमुच हमने लोकतंत्र की सही व्याख्या को समझा है और उस ढंग से आचरण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तकनीकी तौर पर हम लोकतंत्र है, परन्तु वास्तविक रूप से आम लोगों के प्रति हम कुछ कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं। हमारी 40 प्रतिशत से अधिक आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है। ऐसा क्यों है? जो निवेश जनता के हित के लिए जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए खर्च किया जाता है वह जनता तक पहुंचता नहीं है। जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी ने कहा था कि हम एक सच्चा जनता के लिए भेजते हैं

तो वह जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 या 19 पैसे मात्र छू जाता है। बाकी पैसा कहाँ जाता है और ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। मैंने इस संबंध में इसी सदन में एक प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में मुझे बताया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। वह सूचना मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई है।

महोदय, मुझे लगता है कि हम लोग अपनी आत्मा की आवाज को अनसुनी कर रहे हैं। उस संसदन के झकझोरों को हम भूल गए, जो सही और गलत की विवेचना करता है। नतीजा यह हुआ कि व्यक्तिगत स्वार्थ प्रधान हो गया है। सामूहिक, सामाजिक कल्याण गौण हो गया है। अब लोकतंत्र क्षेत्रीय-तंत्र और जातीय-तंत्र में बदलता जा रहा है क्योंकि कतिपय नेताओं को जनता को गुमराह करने के लिए क्षेत्रीय-तंत्र व जातीय-तंत्र के अलगाव कोई अवलंबन दिखाई नहीं देता है। यदि सचमुच हम लोग अपने लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो पूरे समाज की मनसिक अवधारणा को बदलना होगा और इसका प्रारंभ देश की सर्वोच्च संस्था में बैठे हम लोगों को अपने जीवन से करना होगा। आज हमारे जीवन की प्राथमिकताएं इस क्रम में हैं—प्रथम व्यक्तिगत, द्वितीय पारिवारिक, तृतीय वे संस्थाएं जिससे हम जुड़े हैं और चतुर्थ यह राष्ट्र। इस क्रम को बदलकर राष्ट्र को प्रथम प्राथमिकता देनी होगी, बिन संस्थाओं और संस्थानों से हम जुड़े हैं उन्हें दूसरे, परिवार को तीसरे और स्वयं को चौथे स्थान पर रखना होगा तभी हम सचमुच भारतीय लोकतंत्र को बचा पाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है कि केवल सोचने या कल्पना करने मात्र से यह नहीं होगा। इसके लिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता होगी। यदि चरित्र निर्माण नहीं हुआ तो राष्ट्रीय अस्मिता, जो लाखों वर्षों की तपस्या के बाद हमें प्राप्त हुई है वह करल के कपलघ्नल में कहीं खो जाएगी। चरित्र निर्माण कोई असम्भव कार्य नहीं है, प्रकृत इच्छा रक्षित की आवश्यकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): अब कलदी समाप्त करें।

श्री परमेश्वर कुमार आनन्दल: महोदय, अभी दो मिनट में खत्म करता हूँ। यदि राष्ट्रीय जीवन में चरित्र को प्राथमिकता दी जाएगी तो सहज रूप से धीरे-धीरे सारे मसले स्वयं हल होते जाएंगे। यदि अब हमारा राष्ट्र एक है, हम इसे बचा पाए हैं तो वह सब हमारी वही कुली संस्कृति द्वारा प्राप्त धार्मिक बल के कारण हुआ है। अब मैं चरित्र की बात करता हूँ तो उसमें बहुत सी बातों का समावेश है। केवल शासनतंत्र और कानून के द्वारा हम

लोगों की पश्चिम इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते और पश्चिम इच्छाएं दमन नहीं होंगी तो लोकतंत्र का कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए यदि भारतीय लोकतंत्र को बचाना है तो हमें एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना होगा। स्वच्छ समाज बिना चरित्र बल के नहीं बन सकता। आज नहीं तो कल इस अति महत्वपूर्ण विषय पर हमें मिल बैठकर विचार करना होगा। धर्म, जाति, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर यदि हम विचार करेंगे तो भारत एक प्रबल राष्ट्र बनने की राह पर चलेगा। ऐसा मेरा विश्वास है।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): अब समाप्त कीजिए।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल: मैंने तो सोचा अभी तीन मिनट हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): आपने गलत सोचा, अब समाप्त कीजिए।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल: आज की शिक्षा हमें अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे डाक्टर, अच्छे विधिवेत्ता और अच्छे शासक तो देती है किन्तु अच्छे इंसान बनाने में यह असफल है। समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है और हर व्यक्ति एक प्रबल राष्ट्र की स्वच्छ अवधारणा को लेकर जीवन के रास्ते पर चलेगा तो वह राष्ट्र की हानि को अपनी हानि व राष्ट्र के हित को अपना हित समझेगा और गलत काम होने पर उसकी आत्मा उसे कबोटेगी।

इसलिए, सभापति जी, मेरा निवेदन है कि सभी समुदाय के लोग, सभी धर्म के मानने वाले लोग मिल-बैठकर एक स्वच्छ राष्ट्रीय नीति का निर्माण करें ताकि शिक्षा प्राप्त करने वाला हर बच्चा राष्ट्रीय मान्यता से ओत-प्रोत हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): अग्रवाल जी, अब खाल कीजिए।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल: मैं खाल कर रहा हूँ। अपने हितों के पोषण के लिए कुछ लोग नर-नर नरें गड़ लेते हैं और जनता में भ्रम पैदा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है:—

ऊँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरमयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख प्रावयेत् ॥

अर्थात् सभी सुखी हों, सब निरोग हों, सभी समृद्ध हों और कोई दुखी न रहे। हमारी संस्कृति ने यह भी बताया है:—

उदार चरितम्भु, वसुधैव कुटुम्बकम्

अर्थात् जिसका चित और चरित्र उदार है, उसके लिए सारा संसार ही कुटुम्ब के समान है।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): धन्यवाद।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका कभी-कभी मिलता है। मैं एक मिनट में खाल कर रहा हूँ।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमने हाथों में तलवार लेकर बोझों की टाँगों के नीचे मनुष्य समाज को धरती को नहीं रौंदा, परन्तु लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। इसके बावजूद वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): अग्रवाल साहब, आप समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी ने कहा था कि कोई ज्यादा समय नहीं लेगा, बहुत से नाम हैं आपकी पार्टी के। इस तरह से तो दूसरे लोग नहीं बोल पाएंगे।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल: मैं समाप्त कर रहा हूँ।

मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक ऐसी नीति का निर्माण करें ताकि भारत एक प्रबल जनतांत्रिक राष्ट्र बने, किसी का हक छीनने के लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटुम्बकम् का नाग गुंजायमान करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारे कार्यों पर गर्व हो और समस्त मानव जाति सुखी और समृद्ध हो।

उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Shri Kartar Singh Duggal. This is his maiden speech. But I request him to be very precise and brief and to restrict himself to the assurance that he has given to me that he would speak only for six or seven minutes. Thank you.

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me a few minutes to address this august House despite severe constraint of time in the Special Session.

Sir, I take this opportunity to congratulate the Prime Minister, Shri Inder Kumar Gujral for deciding upon a panel of nominees for this august House consistent with the true spirit of the Constitu-

tion. He has spread his net wide and invited talent from various fields which I hope will be of great value to this House. I am also of the opinion that Shri Gujral has been able to resist the temptation of having a few non-descript talent who might have helped him, but he opted for talent from various fields which I think is going to help the country a lot. Sir, there is no denying the fact that the Prime Minister, Shri Inder Kumar Gujral has a lot of problems before him what with corruption which is rampant in the country and eating into the vitals of our society, what with population which continues to grow unabated and is bursting at the seams. Then, there is violence, brutalisation which is witnessed in the society, men, women and children are being killed like mosquitoes and flies. Sir, he has to tackle these problems and he wants like-minded people, the people who are devoted to the causes dear to him share this burden. After all, what he wants is understanding; what he wants is harmony; what he wants is social justice. And, who in this House does not want this? We need to support his hands.

I, as a writer, feel that the writers' community should be involved in it. I am, in this context, reminded of an observation made by erstwhile Secretary of the Sahitya Academy, who retired recently. In an interview given to the Press, he said: Of late, there has been a feeling of irrelevancy in so far as the Indian writer is concerned in the body politic of this country. The more I think about it, the more I think there is a great deal of truth in what he said.

Sir, the circumstances have been conspiring in a way that we overlooked eminent writers who were there in this House. I can somehow remember scholars like Dr. Karan Singh. He is, of course, here now, but there was a time when he was dropped out. Then Mr. K. Natwar Singh. He was dropped. Mr. Rafiq Zakaria was dropped. Mrs. Nandini Satpathy, a very sensitive Oriya writer was dropped. I am giving the

names of only those who came in touch with me and I can claim their friendship. They were not returned, but what happened in the previous session was that no one of the writers was even nominated in this House with the result that there was a complete black-out. This had resulted in a feeling of frustration. What I feel is that the writers' community should be involved. They should be given a sense of participation. They should be invited to take part in the National affairs.

Sir, it will be a very ungrateful nation, if it forgets the role that the writers played in this country's freedom struggle. Tagore, Sri Aurobindo Ghosh, Bharati, Vallathali, Sarojini Naidu and K.M. Munshi were great writers, who played their role in the freedom struggle. In this House we had Suniti Kumar Chatterjee, Kaka Saheb Kalekar, Sayyed Abdul Malik from Assam. We also had Surinder Mohanty from Orissa, Ramdhari Singh Dinkar from Bihar, Harvanshrai Bachchan, Giani Gurmukh Singh Musafir, Amrita Pritam from Punjab and R.K. Narain from South. They were very eminent people and they played their part. Now, it is time that with the various problems that the country is faced with, we should get the participation of the writers. Given them a sense of belonging, participation and involvement in the problems of the society so that they can play their part. Thank you.

[The Vice Chairman (Shri Sanatan Bisi) in the Chair]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Shri Narendra Pradhan—absent. Shri Surinder Kumar Singla.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to express my views on this occasion. Sir, it is a rare and historical moment of pride for Indians to celebrate the 50th year of India's independence. We are familiar with the progress which has been made

by India in the last fifty years. It is really noteworthy. The fact of the matter is that India has performed extremely well in all sectors of human activities after independence. Sir, today's topic is 'Parliamentary Democracy.' We feel pleasure that we are functioning under a Parliamentary System of Democracy in this country. The fact that has to be taken into account is, whether the Parliamentary Democracy has functioned or has not functioned in this country. This is a serious matter which should be considered by the Members of Parliament and the legislators of the State Assemblies. The representative character of India's democracy, both in the State Assemblies as well as in Parliament, lacks a democratic content. The Parliament as well as the State Legislatures have to represent the people of the country. Fifty per cent of the electorate do not participate in the elections. Fifty per cent of the electorate who participate in the elections, their representatives are present in both the Houses of Parliament as well as the State Legislatures. If you see the governing elite, I am sorry to say that 70 per cent to 80 per cent of the people are not represented in the Government. This is happening at a time when the country is celebrating the fiftieth year of its independence. You have a coalition Government at the Centre which is not representing the people of India in its entirety. There are 200 MPs in this House. Out of 200 MPs, about 100 MPs belong to the Congress Party. About fifty MPs belong to the CPI(M) and other parties. In fact, the coalition Government does not represent a majority of people. The functioning of democracy in Parliament and the State Legislatures has reached a point where it has produced a unstable and opportunist coalition type of Government. The unfortunate thing is that those who are running the Government, day in and day out say that the coalition Government is going to stay on. The coalition mandate is going to remain in power and it is likely to be repeated. Is it possible to

accept this version? Yes, it is. A party of one MP or two MP or ten MPs would definitely want a coalition kind of a set up to repeat. You cannot expect of them to say that the majority party should rule the country.

Sir, the tragedy is that this Coalition-mandate has produced the worst kind of the Government in the country, it is not functioning, and the whole Indian State and society is subjected to the Common Minimum Programme. The Common Minimum Programme is that the Indian people have to be satisfied, whether or not they are actually satisfied, with the Common Minimum Programme that their Government is giving. For them, they are choosing to have the maximum power. And only the other day, I heard one component, one constituent of the Coalition saying that we are under-represented, we would like to have more Ministers in the Cabinet and the Cabinet is going to change! That is the "respect" that the Coalition-mandate is giving to the countrymen; that is the representation, the democracy that the country is going to have through this kind of a Coalition. People are watching all over the country. Sir in this kind of a scenario, I have a few suggestions to make. One is let there be compulsory voting. I know that there are problems of compulsory voting. Once you have issued an identity card to all the citizens of India, there would not be a major problem of enforcing compulsory voting. If you want to have a total representative character of democracy, there is a possibility that some people would not like to vote at all. They would not like to vote in the sense that probably, they would not believe the system to be right or probably they do not approve any candidates and any party. Then let there be a provision for a negative voting, as is happening in many other societies in the world where they are having compulsory voting but also with a right of negative vote, that, you can ensure greater representation. Greater representations are coming and are being

reflected. Sir, I would like to remind that the Constitution has framed a parliamentary form of democracy. Sir, this Draft Committee, which is popularly known as a Drafting Committee, was, in fact, a Scrutiny Committee under Dr. Ambedkar. In that Scrutiny Committee there were nine Members and only one out of the total nine Members was a freedom fighter and all the other eight were non-freedom fighters! Sir, to your surprise, if I reveal further, four Members of that Scrutiny Committee had always been in Europe; they did not deliberate, they did not really participate in the Scrutiny Committee's proceedings. When this matter came, the "draft" was ready. The "draft" came to the Constituent Assembly, and I remember, Sir, that very few people—I repeat "very few people"—supported that Constitution! Very few people supported it, but in a hurry, Pt. Jawaharlal Nehru said, "This is a transition Constitution; I can't and the Constituent Assembly can't bind new generations of India through this Constitution." Sir, Pt. Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister, assured the Constituent Assembly and said, "There is always a need for a new Constitution; systems are changing so fast, new changes are coming up that there is a need to have a new Constituent Assembly," may be, convert the present Parliament into a new Constituent Assembly to look into whether the parliamentary system in which you function, has produced this kind of a result. Sir, the result is obvious; in 1947 you had a national vote, but it is unfortunate that today what we have in this country is a "caste-vote," a "communal vote," a vote in terms of areas, say, an area vote, a "regional vote." It is a shame that there is no "national vote" today. Is it not a crime that the Constitution or the parliamentary system of India has functioned in the way that no nationalism is going to be left over? Sir, if, under the kind of system, the electoral system that we have, in a constituency, it suits me to declare my caste—and they are a majority—if I can

easily get elected, why shouldn't I do this? So, the kind of system that we have in this country only strengthens, perpetuates the casteist forces, the communal forces, the regional forces of narrower loyalties to India. Values to India cannot be narrated. Sir, is this Parliament, which is a product of these forces of electoral system, functioning? It is not. Everyday the Parliament is becoming most irrelevant. I am here for the last five years. I know how Parliamentary authority, which is the final redressal authority, the final power of the people of India, has been flouted and how the Executive part is not bothered about it. Sir, for example, you see how we conduct a debate in the House. For example, Sir, the Question Hour was designed so that you can test whether the policy is correct or not correct. It is the ground reality. I would like to ask the hon. House whether at any time a Question Hour debate could really result in changing a policy. No. Similarly, Sir, in the legislative business in the House, legislations are passed by the Parliament binding Indians for centuries to come without debating on the legislative aspects of the legislation. But people come here, make political propaganda speeches according to the party position and the tragedy is that people of this country suffer. The recent example, that I would like to give you is about the Delhi Rent Control Act: Sir, in both the House of Parliament, the Delhi Rent Control Act was passed with a voice vote and without discussion. There was no debate. What happened was, when people's pressure was built in Delhi, they came for discussion again. Is that the way the legislature should function; legislating on the issues which is only making Indians to be very litigant than anything else? Is this the way Parliament should function? The Parliament is becoming irrelevant. I am here for the last five years. I do participate in a lot of debates. I don't remember whether those views which were expressed have really become a policy input. No. The Parliament is not really performing the role of a policy

formulator. The Parliament is not performing the role of shaping a policy. The policy document approved by the Cabinet is prepared by the bureaucrats. This is the function of a legislature. The tragedy is the roles are reversed. Parliament Members are simply interested in seeming a lot of bureaucratic reshuffle, somebody is interested in changing one office to another and the real role is hijacked by the bureaucracy. Sir, the bureaucracy in the country still has a colonial mindset... My senior colleague, Mr. Gadgil has very well told you how the bureaucracy with a colonial mindset has functioned. Sir, many other people like Shri Ram Gopal narrated stories of bureaucratic lessons to Members of Parliament. I am not entering into that debate. What I am saying is, the bureaucracy, the way it functions—I will give you a small example...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): नहीं-नहीं, आप एक्जाम्पल नहीं दीजिए। आपने पाइन्ट्स तो बोल दिए हैं।

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Being a Member of PAC, I want to tell you an interesting aspect. The Tea Board is constituted for the promotion of tea all over the world. Now this Tea Board was constituted and centres are opened up in five centres like Australia, Sidney, London, New York and other places. Sir, to your surprise it was discussed in our Committee, the PAC that there is a sale of Rs. 40,000 in London and the expenditure is 1,80,00,000. You find another sale is Rs. 65,000 only in New York and the IAS officer who is looking after this is costing the exchequer to the tune of Rs. 2 crores. What is happening is that it is the bureaucracy which is doing all this. Is the bureaucracy really helping the people of India? My whole point is that this colonial mindset has to change. But it is not changing. I think we require a thorough debate on whether there is a need to change the Constitution. My firm

belief is that if you want to really produce results...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): This was the first point you made. It is no use repeating the same thing. You have already taken more than ten minutes.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: No, Sir. I have taken only five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): You started at 1.25 p.m. It is 1.42 p.m. Think for yourself.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir, I want five minutes more. I will conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I cannot give you any more time. You have made 4-5 points which are very vital.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Only 2-3 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please conclude.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am concluding, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please conclude immediately.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am concluding, Sir. Whatever is left in terms of functional and representative character of India's parliamentary democracy is being destroyed now. A fine balance was created by our Constitution between the Executive, the Judiciary and the Legislature. Now, with the kind of irrelevant Parliament that we have which lacks authority and which is normally embroiled in petty quarrels, the Judiciary is taking upon itself the responsibility of deciding the functions of our Parliament. The role of Parliament is being hijacked by the Judiciary through its despotism and activism.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): You have already

made those points. What more do you have to say? Please take your seat. You have taken more time than you are allowed to take.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir, if you disrupt me like this...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Nobody is disrupting your speech. Don't say like that. You have already covered five areas and they are very vital areas. How many more points do you have?

DR. JAGANNATH MISHRA (Bihar): Sixth and seventh.

THE VICE-CHAIRMAN SHRI SANATAN BISI): We cannot give you more time. Please conclude.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir, there has to be a serious attempt by this Parliament to bring forth some legislation on the issue of a PIL which not only asserts the rights of the Government but also the rights of Parliament and for setting a judicial agenda of its own to decide what it has to do and what it has not to do. In fact, the PIL, which is really beyond the Constitution, is not well defined. It depends upon the Judiciary to say whether a particular PIL is admissible or not admissible. This has dangerous portents for the functioning of India's democracy.

The last point I would like to make is that if you want democracy to survive in India, it has to be a growing nation, moving ahead and really meeting the aspirations of the vast majority of the Indians, particularly those in the rural areas. For that, India has to have the most representative character. Let there be a democracy which assures every one of his rights. The fact of the matter is that democracy is just not there. My slogan is: Let there be more democracy, less Government and more governance. If you have this, you will find the Indians

satisfying. The way we are functioning is not at all satisfactory. The nexus between politicians and criminals is there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Mr. Singla, I cannot give you more time. Please, you have to conclude.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Lastly, I would like to say that if we have to move towards the goal of prosperity for all its citizens, then we have to adopt the Presidential form of Government.

My second suggestion is that we have to seriously think about reorganisation of our States. What we have observed is that most of the States have actually taken-off towards achieving greater growth-rates and greater social justice. If you look around, you will find that the States in the western India and the States in the southern India, as also a few States in the northern India, have been able to do so. But there are three States mainly, which are blocking the progress of the entire country and those are Uttar Pradesh, Bihar—Jagannath Mishraji's State—and Madhya Pradesh. For example, if there had been some kind of a reorganisation of the State of Uttar Pradesh, the western U.P. forming one State and the other areas forming other States we would have seen greater growth in U.P. and it would also have been a more controllable State. So, it is time for introspection today. We should appoint a States' Reorganisation Commission or we should have some other mechanism so that our States can become more manageable ones.

Sir, I come from the State of Punjab and I can tell you that after reorganisation both, Haryana and Punjab, have progressed faster. Even the State of Himachal Pradesh has gained tremendously from this reorganisation. So, if you have a State with a population of something like three to four million, it is a manageable one. Even a State with thirty or forty million population is a manageable one. But it is impossible to manage a State which has a population of

something like 150 million. A smaller State can inject energy in its political leadership and its bureaucracy is easily controllable.

Lastly, I would like to say that the village units, which are totally neglected today, have also to be attended to. Thank you very much.

श्री संजय निरूपध (महाराष्ट्र): उपसभ्य अध्यक्ष महोदय, इस ऐतिहासिक सदन में, इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आज का विषय संसदीय लोकतंत्र विषय है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जिन चार विषयों का खयन हमने फ़्लोअर के लिए किया हुआ था, उनमें इस इस आखिरी विषय पर तीन दिन से बहस चल रही है। उपसभ्य अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के समस्त चुनौतियाँ हैं और हाल के वर्षों में ये चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ी हैं। महोदय, 1950 से लेकर 1995 तक लोक सभा में सिर्फ़ चार विश्वास मत प्रस्ताव आए थे। लेकिन 1996 से लेकर 1997 के बीच में, इन डेढ़ सालों में पांच विश्वास प्रस्ताव आए हैं। इन जानन चाहेंगे कि आखिर यह अंक गणित क्यों बदल गया। महोदय, शुक्रवार को देवगोड़ा जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि "Parliamentary democracy has become a struggle for power". मगर वाद कीजिए कि 13 जून, 1996 को जब भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की संयुक्त सरकार को गिराया गया था तब क्या फ़ाक्टर स्टगल नहीं था? तब मुद्दा धर्म-निरपेक्षता का था। तब मुद्दा साम्प्रदायिकता का था। देवे गौड़ा जी ने उस वक़्त बोला था, 11 जून को लोक सभा में, मैंने वह भाषण पढ़ा है, वह मेरे पास है कि मैं इसलिए इस सदन का नेता बनने जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ क्योंकि तमाम सेकुलर फ़ोर्सेज ने मिलकर मुझे सेकुलर फ्रंट का लीडर बनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की संयुक्त सरकार को इसलिए गिराना ज़रूरी है क्योंकि ये पार्टियाँ साम्प्रदायिक हैं। महोदय, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म-निरपेक्षता क्या है, साम्प्रदायिकता क्या है, इस पर बहस होनी चाहिए। महोदय, धर्म-निरपेक्षता पर बहस इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस उन तमाम दलों के गठबंधन को समर्थन दे रही है जिसके साथ कांग्रेस का कोई राजनैतिक तालमेल नहीं है, कोई आर्थिक तालमेल नहीं है। महोदय, सेकुलरिज्म का हिन्दी शब्द है धर्म निरपेक्षता। मैं हिन्दी भाषी हूँ, हिन्दी पढ़ता हूँ, हिन्दी बोलता हूँ, हिन्दी लिखता हूँ। अब उस हिसाब से अगर मैं धर्म निरपेक्षता

का शाब्दिक अर्थ बूझने के लिए निकलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वह विचार जो धर्म से निरपेक्ष हो जाए। क्या संभव है? जिस देश में धर्म की इतनी महत्ता हो, जिस देश में कहा जाता है कण कण में भगवान बसते हैं, जिस देश में पत्थरों में, पेड़ों में, पौधों में, नदियों में, सागर में, हर जगह धर्म समाया हुआ है, उस देश में हम धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकते। महोदय, मेरे पास स्वामी विवेकानन्द जी की एक किताब है। मैं उससे से दो लाइन पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानन्द जी ने हिन्दुस्तान में धर्म का क्या महत्व है, इस पर दो लाइनें लिखी हैं—

"Here in this blessed land, the foundation, the backbone, the life centre is the religion and religion alone."

उस देश में कहा जाता है कि धर्म निरपेक्ष हो जाइये। गांधी जी ने मरते-मरते कहा "हे राम"। गांधी जी ने कहा कि राम राज्य बनाएंगे। उन्होंने जिस स्वराज्य की कल्पना की थी उसको नाम दिया था राम राज्य। उस राम राज्य में कोई राम जी राज करने के लिए नहीं आने वाले थे उनका मकसद था राम राज्य एक ऐसा राज्य होगा जहाँ धर्म से उपजी हुई नैतिकता और आचरण का शासन होगा। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ जो हमें एक जीवन पद्धति देता है, जीवन दर्शन देता है। आज हम बहुत परेशान रहते हैं, आपस में विचार करते रहते हैं कि आखिर राजनीति में इतनी अनैतिकता क्यों आ गई है। क्योंकि महोदय, धर्म से जो नैतिकता मिलनी चाहिये, उस नैतिकता को हमने नकार दिया है। स्वाभाविक है कि राजनीति पर अपराधकर्मी और प्रष्टाचार हावी होगा। इसलिए आज राजनीति पर प्रष्टाचार और अपराधकर्मी हावी हो गया है। महोदय, जब हम धर्म की बात करते हैं तो एक तर्क आता है कि धर्म तो निजी प्रश्न है, एक निजी विषय है, उसको राजनीति में मत आने दीजिये। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ जो पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है। हमारे यहां जिस हिन्दू धर्म की बात करते हैं, वह मात्र पूरा पद्धति नहीं है, हम जिस हिन्दुत्व की बात करते हैं, वह मात्र पूजा पद्धति नहीं है, यह हिन्दू धर्म एक संस्कृति है, एक राष्ट्र धर्म है। महोदय, इसमें तमाम संप्रदायों का समावेश हो सकता है, होता रहा है। यह इस देश की परंपरा है। इसलिए महोदय, मैं आप्रह करना चाहता हूँ कि अगर संसदीय लोकतंत्र को आने वाले दिनों में खतरों से बचाना है, अनैतिकता और दुराचरण से बचाना है तो हमें धर्म की जो संवेदनाएँ हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा, धर्म के जो मूल्य हैं उनको अपने दिल में

उत्तरना पड़ेगा। महोदय, हमने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया है, नतीजा हमने है। इसलिए ये प्रमुख है कि जो धर्म निरपेक्षता का राजनीतिक दकोसल चल रहा है, उस ठकोसले को खग दीजिये।

महोदय, दूसरा प्रश्न है साम्प्रदायिकता का। साम्प्रदायिकता के नाम पर हमारी शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी को एक किन्ने बैठ दिया गया है। महोदय, वहाँ बीच में बैठते हैं एक मुस्लिम लीग के सांसद। क्या मुस्लिम लीग एक धर्म निरपेक्ष पार्टी है? जिस पार्टी ने इस देश का विभाजन कराया, जिस पार्टी ने पूँक एट्टवाद का फार्मुला दिया, हिन्दुओं के लिए अलग राष्ट्र और मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र, जिस पार्टी ने धर्म के नाम पर मजहब के नाम पर इस देश के दो टुकड़े कर दिये, उस पार्टी को आप अपने साथ बैठते हैं। जो इस देश में राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, उनको दकिनार कर देते हैं, कहते हैं कि यह साम्प्रदायिक है। महोदय, मेरा सवाल है, मैं इस सदन से सवाल करना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग से राजनीतिक समझौता करना साम्प्रदायिकता नहीं है तो क्या है? जो पार्टी को और जो नेतागण जम्मा मस्जिद में जाते हैं और मौलाना के कटमों में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें चुनाव के लिए मुस्लिम वोटों के लिए आप फतवा जारी कीजिये, यह साम्प्रदायिकता नहीं है तो क्या है? मुम्बई में शिव सेना प्रमुख श्री बालसाहेब ठाकरे जी ने एक अभियान छेड़ा मुम्बई, महाराष्ट्र या हिन्दुस्तान में जहाँ कहीं भी अवैध रूप से बंगलादेशी और पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उन को निकाला जाए, हटाया जाए, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। इस मुद्दे पर हमें साम्प्रदायिक कह दिया गया सिर्फ इसलिए कि वह नागरिक मुसलमान थे। महोदय, पहले इस देश को समझना पड़ेगा, इस देश की सुरक्षा को समझना पड़ेगा और उसके बाद धर्म निरपेक्षता और साम्प्रदायिकता पर बहस करनी पड़ेगी। महोदय, मैं दो तीन दिन पहले एक अखबार पढ़ रहा था। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का एक बयान आया था एक बहुत अहम सिलसिले में। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अक्सर मुस्लिम क्यों होते हैं? क्या इस देश में अल्पसंख्यक वर्ग सिर्फ मुस्लिम वर्ग है। क्या इस देश में अल्पसंख्यक सिख, बौद्ध, जैन और पारसी नहीं है। महोदय, इस सदन में जब बहस चल रही थी तो अक्सर वह बात निकलकर आयी कि माइनारिटी पीछे छूट गयी है। जब माइनारिटी की बात आती है तो मुस्लिम समाज की बात आती है। मुस्लिम समाज शिक्षा में पीछे है, रोजगार में पीछे है, अपराधकर्म में आगे बढ़ गया है, समृद्धि नहीं मिल रही है मुस्लिम समाज को। मैं कहना

चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक तो सिख समाज भी है। वह इतना शिक्षित कैसे हो गया है। पंजाब इतना समृद्ध प्रदेश कैसे बन गया है। पारसी समाज जो सबसे छोटा अल्पसंख्यक वर्ग है वह इतना शिक्षित वर्ग कैसे हो गया है, वह इतना समृद्ध वर्ग कैसे हो गया है। महोदय, इसलिए जो एक नारा दिया जाता है कि अल्पसंख्यक सम्प्रेकेट हो रहे हैं उनके अंदर असुरक्षा की भावना है, वह गलत प्रकार है। मैं सदन में अपने माध्यम से वह विचार रखना चाहता हूँ कि इस देश में जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भेदभाव होता है उस भेदभाव को मिटा दिया जाए। इस देश के आम नागरिक को उसका अधिकार मिलना चाहिए और समान अधिकार मिलना चाहिए। जब तक हम जातियों और सम्प्रदायों के नाम पर इस देश को बाँटते रहेंगे तब तक इस देश में कोई भी व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को अमर करें, मजबूत करें तो महोदय जैसे इस देश में एक राष्ट्र है, एक राष्ट्रीय ध्वज है, एक राष्ट्रीय गीत है, उसी तरह से इस देश में एक ही कानून भी लागू करना पड़ेगा। परसनल ला की बात होती है। हमेशा कहते हैं कि उनका परसनल ला है। लेकिन परसनल ला के जो सारे प्रावधान हैं उन प्रावधानों को क्यों नहीं मानते हैं। सिर्फ चार हादिक करने के लिए परसनल ला होगा। चोरी करने के बाद परसनल ला में प्रावधान है कि हाथ काट दिए जाएं तो क्यों नहीं हाथ काटे जाते हैं उनके। आप कहेंगे लोकतंत्र है। फिर धनवाधिकारों की बात है। लोकतंत्र में उदारता होती है। तो लोकतंत्र सिर्फ यहाँ पर क्यों होता है। हर तरह लोकतंत्र में कहा गया है कि सभी को समान अधिकार, समान न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध यह है महोदय कि एक समान नागरिक कानून बनना चाहिए।

मुस्लिम समाज पिछड़ा गया है। इसका दुख है हमें। लेकिन मुस्लिम समाज क्यों पिछड़ा यह विचारणीय विषय है।

SHRI KHAN GUFRAN ZAHIDI
(Uttar Pradesh): A point of order.

श्री संजय निरूपम: एक मिन्ट। हमारे पास आलरेडी वक्त बहुत कम है।

श्री खान गुफ्रान जाहिदी: मैं यह समझता था कि यह बहस पार्टी लाइन से ऊपर उठकर होगी ... (व्यवधान) मुद्दों पर बात होगी। लेकिन ऐसा मालूम होता है ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप थोड़ा बैठ जाइए। निरूपम जी बैठिए।

श्री खान गुफ्रान जाहिदी: ये एकता के विरोध में बात कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): निरूपण जो एक मिनट बैठिए। आप बैठिए।

श्री खान गुफ्रान जाहिदी: मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ ... (व्यवधान) मैं यह समझता था कि ये दलगत एजनीति से हटकर कुछ बात करेंगे ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप क्यों बोल रहे हैं। लैट पी कंट्रोल द हाउस। डॉट इन्टरफेयर ... (व्यवधान) Take my permission first. (Interruptions) You can raise your point but first you have to take my permission. Do not stand up. (Interruptions)

SHRI KHAN GUFRAN ZAHIDI: I am seeking your permission. (Interruptions) He is vitiating the atmosphere. He is vitiating the discussion of five days.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please take your seat. (Interruptions) I will allow you. लेकिन आप खड़े होकर बोलेंगे तो साफ इन्टरफेयर होगा ... (व्यवधान) जो संविधान के बारे में बातचीत है, कोई मेम्बर बोलेगा या नहीं बोलेगा आप उनको पना नहीं कर सकते हैं।

SHRI KHAN GUFRAN ZAHIDI: He is speaking about samvidhan. (Interruptions)

श्री संजय निरूपण: वेस, संविधान की धारा 44 में लिखा हुआ है ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप क्यों बोलते हैं ... (व्यवधान)

श्री संजय निरूपण: संविधान पढ़िए। धारा 44 में लिखा हुआ है...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप उठ जाएंगे तो आई विल नोट एलाउ। आप उठेंगे तो मैं भी आपको एलाउ नहीं करूँगा When I am controlling the House, why do you speak? (Interruptions) I am here to protect. (Interruptions) आप क्यों उठ रहे हैं ... (व्यवधान) आप ज्यादा बड़े इन्टरप्रेटर मत बनिए ... (व्यवधान) I am in the Chair. Please go ahead, Mr. Nirupam.

श्री संजय निरूपण: महोदय, जब मैं समान नागरिक कानून की बात कर रहा हूँ तो यह असंवैधानिक कहई नहीं है। संविधान में जाकर देखिए, धारा 44 में लिखा हुआ है, सरकार, राज्य इस बात का प्रवास करेगा कि एक समान नागरिक कानून की व्यवस्था हो। इसलिए मैं पहले अपने माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): माननीय सदस्य नहीं, मेरे को बोलिए।

श्री संजय निरूपण: महोदय, मेरा कहना यह था कि मुस्लिम समाज क्यों फिड़ गया। मुस्लिम समाज को शिक्षा क्यों नहीं मिली। क्या किसी स्कूल में, किसी कलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं को दाखिला मिलेगा? क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि मुस्लिम समाज को शिक्षा नहीं मिलेगी। उनको नौकरी नहीं मिलेगी। कहाँ लिखा हुआ है यह? सच यह है कि मुस्लिम समाज को जब तक हम वोट बैंक बनाकर रखेंगे, यह समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मैं पूरे सदन से यह आग्रह करता हूँ, यह अनुरोध करता हूँ कि हमारे देश के मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में शामिल किया जाए ... (व्यवधान) यश, क्या आप कुछ बोल रहे थे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आपका तो टाइम हो गया है।

श्री संजय निरूपण: नहीं सर। अभी दो तीन बातें और हैं। सर, मैं महाराष्ट्र सरकार पर आना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): तो प्वाइंट्स में बोलिए।

श्री संजय निरूपण: सर, हमें कहा जाता है कि हम साम्प्रदायिक हैं, हम धर्म निरपेक्ष नहीं हैं। पिछले ढाई साल से महाराष्ट्र में शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार है।

2.00 P.M.

ढाई सालों में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। आज तक किसी मुसलमान को नहीं कहा गया कि तुम नमाज पढ़ने मत जाओ। उनकी मस्जिदों की जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं का समाधान ढूँढा जा रहा है। ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): प्वाइंट पर बोलिए।

श्री संजय निरूपम: मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि सब से बड़ा समकाल धर्म निरपेक्षता और सांप्रदायिकता का है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): वह तो आपने बोल दिया।

श्री संजय निरूपम: महोदय, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। सही मायने में धर्म-निरपेक्षता... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): नहीं-नहीं, वह तो आप बोल दिए... (व्यवधान) अब आप और क्या कहना चाहते हैं।

श्री संजय निरूपम: सही मायने में जो धर्म निरपेक्षता का विचार रखा जाता है... (व्यवधान)

The Vice-Chairman (Shri Santan Bisi): That you have told... (Interruption)

श्री संजय निरूपम: उस मामले में हम सब पर खरे उतरे हैं। हमने कहा कि यहां पर... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): नहीं-नहीं, वह चीज तो आप बोल चुके हैं। उसको आप रिपीट क्यों कर रहे हैं।

श्री संजय निरूपम: महाराष्ट्र सरकार में जो दो पार्टियाँ हैं जिनको सांप्रदायिक पार्टियाँ कहा जाता है उन पार्टियों की सरकार में मुस्लिम समाज की अवस्था में बता रहा हूँ, सर, इतना बताने का तो मुझे हक है। मैं यही बता रहा हूँ कि पिछले ढाई साल में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): हो गया बस। ... (व्यवधान)

श्री संजय निरूपम: मैं वही बता रहा हूँ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप और क्या कहना चाहते हैं? आप प्वायंट पर बोलिए। ... (व्यवधान)

श्री संजय निरूपम: वहां उनके सारे त्पौर धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। तो मेरा आग्रह यह है कि धर्म-निरपेक्षता की जो धारणा आम तौर पर बताई जाती है उस धारणा में शायद कोई खोट है क्योंकि हम सांप्रदायिक होते तो मुस्लिम समाज वहां सुरक्षित नहीं रहता। आज तक मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति ने मुंबई में यह नहीं कहा कि हम असुरक्षित हैं। अगर इस देश में मुस्लिम समाज इस समय कहीं सब से ज्यादा

सुरक्षित है तो वह महाराष्ट्र में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्म-निरपेक्षता की धारणा को थोड़ा बदलिए और हम जो सर्व धर्म समन्वय की धारणा का प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं उस धारणा को, उस धारणा को समझना पड़ेगा, उसे पूरे देश में लागू करना पड़ेगा।

महोदय, एक और बात थी कि आजादी के पहले हम जितने राष्ट्रवादी थे, जितना नेशनलिज्म हमारे अंदर था वह अब नहीं रहा। धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा है। क्यों, महोदय, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। 1947 में हमारा देश दो टुकड़ों में बंट गया था, लेकिन 1947 के बाद हमने अपने देश को कई टुकड़ों में बांट दिया। जातियों में बांट दिया, संप्रदायों में बांट दिया। आरक्षण की जरूरत है इसलिए व्यक्ति अपनी जातिगत पहचान लेकर खड़ा हो गया है। उसे विशेष व्यवस्था चाहिए, उसे विशेष संरक्षण चाहिए। इसलिए व्यक्ति अपनी सांप्रदायिक पहचान लेकर खड़ा हो गया है। हमने देश को भाषावार प्रांतों की जो रचना थी उसमें हुआ यह कि हर प्रांत का व्यक्ति पहले अपनी निष्ठा प्रांत में जोड़ता है, उसके बाद अपने देश से जोड़ पाता है। महोदय, यह पूरी व्यवस्था में दोष है। इस व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा विचार किया जाए। जो आरक्षण है, ठीक है, संविधान में भी इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन व्यवस्था यह थी कि 15 साल के अंदर सत्ता यह कोशिश करे कि तमाम पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण मिल जाए। वह आरक्षण की व्यवस्था आखिर कब तक चलेगी? अगर वह आरक्षण की व्यवस्था बनी रही तो धीरे-धीरे जो आज दिख रहा है वह वोटों की पॉलिटिक्स बन जाएगी और वोट की पॉलिटिक्स बन भी गई है। महोदय, मेरा कहने का अर्थ सिर्फ यह है कि व्यवस्था चाहे कोई भी हो, उसमें दोष नहीं होता, दोष उस व्यवस्था को चलाने वाले में होता है। हम आज संसदीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों की राय हो जाए... (व्यवधान)

श्री खान ग़ुफ़रान जाहिदी: मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है? ... (व्यवधान)

श्री संजय निरूपम: सर, खामखाह मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है। ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आपको प्वायंट ऑफ आर्डर क्या है?

श्री खान ग़ुफ़रान जाहिदी: सर, मे 4-5 विषय जो दिए गए थे, इन पर एक आदमी एक विषय पर सलैक्ट किया गया। यह जो अनरेबल मैबर है यह दो बार इस

मसले पर क्यों बोल चुके हैं इस स्पेशल सेशन में?... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप क्यों खड़े हैं? ... (व्यवधान)

SHRI KHAN GUFRAN ZAHIDI: Sir, he has spoken on the second day and now he is speaking on democracy.

श्री संजय निरूपम: मैंने नहीं बोला है। ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): वह तो उनकी पार्टी की बात है। ... (व्यवधान)

श्री संजय निरूपम: वह तो इन्फ्रस्ट्रक्चर पर बोला था पहले और इस विषय पर मैंने अभी तक बोला ही नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): नहीं वह तो बात... (व्यवधान) संजय जी, सुनिए... (व्यवधान) भ्रम क्यों खड़े हो रहे हैं, वह निर्णय हुआ था... (व्यवधान) मैं बोल रहा हूँ कि हर मैम्बर को बंस मिलना चाहिए, कोई किस सम्बन्ध पर बोलना या कोई फर्स्ट डे बोलना, सैकंड डे बोलना या थर्ड डे बोलना, उसका मतलब नहीं है, लेकिन यह था कि हर मैम्बर प्रॉटिस्पेक्ट करेंगे।... (व्यवधान) These are the absolute truths. All Members are amenable to all these things... (Interruptions)... What more did you want to say?... (Interruptions)...

श्री खान गुफरान जाहिदी: आई एम टेलिंग दैट एक आदमी को... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): मैं समझ गया, मैं आपकी बात को समझ गया और बोल भी दिया... (व्यवधान) संजय जी, प्लीज कन्क्लूड।

श्री संजय निरूपम: महोदय, सब से बड़ी दुख की बात यह है... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): नहीं-नहीं, आप दुख की बात मत कीजिए।

श्री संजय निरूपम: दुख की बात नहीं बताऊंगा, महोदय, 50 सालों का अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं अपने देश की व्यवस्था का तो दुख की बात क्या है उस पर भी जरूर विचार होना चाहिए। दुख की बात यह है कि हम लोग कभी भी खुल कर धर्म निरपेक्षता और संप्रदायिकता... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): अब वह तो हो गया। उस पर आप कितनी बार बोलेंगे? ... (व्यवधान) महोदय, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब तक इस देश में एक कट्टर राष्ट्रवाद फिर से पैदा नहीं होगा तब तक इस देश में कोई भी व्यवस्था — चाहे संसदीय जनतंत्र हो या राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू कर दी जाए, यह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि राष्ट्रवाद को फिर से स्थापित नहीं करेंगे। महोदय, जब-जब हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं तो मेरे कहने का मकसद यह कदाई नहीं होता कि आप नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप वह मत बोलिए। प्लीज कन्क्लूड। बैठ जाएं, हो गया।

श्री संजय निरूपम: आप को जिस पूजा पद्धति में विश्वास रखना है, रखिए लेकिन इस देश की एक संस्कृति है और उस संस्कृति का नाम है हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति और उस संस्कृति की कोख से उपजी है हिंदुत्व की एकीयता। आप इस एकीयता को स्वीकार कर लीजिए। इस देश में राष्ट्रवाद मजबूत और अमर होकर टिक जाएगा। उस के बाद जैसे जापान...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप का टाइम हो गया।

श्री संजय निरूपम: मुझे कन्क्लूड करने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप ने कन्क्लूड कर लिया।

श्री संजय निरूपम: महोदय, मैं कन्क्लूड कर लूंगा तो स्वयं बैठ जाऊंगा। मैं आप का बहुत आदर करता हूँ। महोदय, हमारे साथ 1947 में...

SHRI KHAN GUFRAN ZAHIDI: He has been speaking for a long time and he is being allowed... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): No, no, he is not allowed. We are objecting him... (Interruptions)... He is concluding.

श्री संजय निरूपम: मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। जो पैरामीटर्स डिस्टाइड हुए हैं, उन को मैं ब्रॉस नहीं कर रहा हूँ।

उपाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप मुझे सम्बोधित करिए।

श्री संजय निरूपधः महोदय, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे साथ ही एशियन, अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन कई देश आजाद हुए और तमाम देशों में लोकतंत्र के चिराग जलाए गए। हमारे यहां भी यह चिराग जलता गया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाकरी देशों में तो यह चिराग बुझ गया, हमारे देश में यह आज भी जल रहा है, लेकिन टिमटिमा रहा है। जिस तरह के खतरे आज देश में खड़े हो गए हैं, उन खतरों के रहते हो सकता है यह चिराग बुझ जाय। अगर इस चिराग को जलाए रखना है, इस के प्रकाश को तेज रखना है तो निश्चित तौर पर पहले हमें एक राष्ट्रवाद पैदा करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अखिलेश दास (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप का बहुत आभारी हूँ कि आजादी के इस पचासवें वर्ष में इस विशेष सत्र में आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय, आज आजादी के पचासवें वर्ष में सब से पहले मैं प्रद्वीजलि अर्पित करना चाहता हूँ नमन करना चाहता हूँ इस देश के महान सपूतों को, इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन की बदौलत ही आज हम यहां बैठे हैं और अपनी बात रखने जा रहे हैं। मैं नमन करना चाहता हूँ इस देश के महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी को जिस के एक आह्वान पर तरह-तरह की विचारधारा के लोगों ने अपने छोटे-छोटे जैसलों में आग लगा दी और एक बहुत बड़ा अशियावादी कांग्रेस और तिरंगे झंडे के तले बन गया। उपसभाध्यक्ष जी, न केवल जवान बल्कि बुढ़े, बच्चे और महिलाएं भी अपने सिरो पर कफन बांधकर गोरी सरकार की गोली, डंडों की परवाह किए बैंगर बह गीत गाते हुए मत्कालों की तरह सड़क पर निकल आए:

"कदम-कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वे जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटार जा।"

महोदय, क्या शक्तिशाली थे लोगों की जिन के एक आह्वान पर लाली, गोली और डंडों की परवाह किए बैंगर बच्चे भी सड़क पर निकल आए थे। महोदय, मुझे गर्व है यह कहते हुए कि उन बच्चों में मेरे पितृ स्व-बनारसी दास भी थे जोकि एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और गांधी जी के आह्वान पर निकल पड़े थे। महोदय, देश की आजादी की लड़ाई के समय जहां इस देश के लोगों के सामने दास्ता की बेझिंझ से अज्ञात

होने का एक महान सपना था, साथ-ही-साथ एक और सपना भी था कि हमारा एक आज़ाद देश होगा जिस में पूर्णरूप से आर्थिक आजादी होगी और और जिस में भाषा, जाति, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद का कोई स्थान नहीं होगा। ऐसा हमारा एक महान देश होगा, लेकिन आज यह बहुत चिंता का विषय है आजादी के इस पचासवें वर्ष में हम इस सदन में अधिकतर इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं— भाषा के ऊपर चर्चा करते हैं, क्षेत्रीयवाद पर चर्चा करते हैं, संप्रदायवाद पर चर्चा करते हैं और जातिवाद पर चर्चा करते हैं। महोदय, आज हमें कृतसंकल्प होकर निश्चित रूप से इस बारे में एक सांख्यिक निकालना पड़ेगा।

मान्यवर, जनतंत्र का मूल सिद्धांत है—बहस। यदि बहस का स्तर रचनात्मक हो, बहस का स्तर अच्छा हो तो उसका कोई अर्थ निकलता है। मैं बड़ी तकलीफ से कहना चाहता हूँ कि आज चाहे कोई सदन हो, चाहे हमारे निचले सदन हों, विधानसभाएं हों, विधान-परिषद हों, चाहे हमारे इस सदन की बात हो, बहस का स्तर जितना उच्च होना चाहिए, उतना आज नहीं रह गया है। यदि वजह है कि आज राजनेताओं का और राजनैतिक पार्टियों का वह सम्मान नहीं रह गया है, जो पहले होता था। एक जमाना था कि जब लोग खादी पहनकर और गांधी जी की टोपी लगाकर अपने आपको गौरवित महसूस करते थे कि वे गांधी जी के अनुयायी हैं। एक जमाना था जब फ्रीडम फाइटर्स का लोग सम्मान किया करते थे। आज तो वैसे ही हमारे देश में फ्रीडम फाइटर्स बहुत कम रह गए हैं, लेकिन जो हैं उनके आज राजनीति से लगभग दूर किया जा रहा है या उन्हें राजनीति में आने से रोका जा रहा है। मुझे गर्व है कि इस समय एक ही राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और हमारे अध्यक्ष सीताराम जी केसरी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो गांधी जी की नीतियों में विश्वास करने वाले हैं, आज भी उस गांधी जी की टोपी को धारण करते हैं, जिसने देश को एक नई दिशा दिखाई थी।

मान्यवर, मैं आज याद करना चाहता हूँ कि इस देश के उस महान व्यक्तित्व को, पंडित जवाहर लाल नेहरू को, जिन्होंने इस देश की आभारशिला पर नियोजित ढंग से रखी थी, पंचशील के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने यहां हमारे देश की विदेश नीति बनाई थी और कर्नल नारि और मार्शल टीटो के साथ बैठकर रीतपुद्द के साथ जेन एस्टाइनमेट मूवमेंट की नीति निर्धारित की। उसने दिखा दी पूरे एशियाई देशों को, अफ्रीकी देशों को जिन्होंने हमारे बाद भी आजादी की लड़ाई लड़ी। उसने दिखा दी उन देशों को, जो रूस और अमरीका के छोटे

से अलग रहकर अपने देश के विकास और अपनी प्रशंसा चाहते थे।

मान्यवर, आज किसी भी जगत में संस्थाओं का सम्मान लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। हो सकता है, कुछ व्यक्ति विशेष गलत हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन संस्था का सम्मान और संस्था की गरिमा हर हालत में मेण्टेन होनी चाहिये। आज जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएँ हैं उन पर लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अभी निर्मला देशपांडे जी कह रही थी कि संबंध में मीडिया का भी कुछ काफी हद तक निगेटिव रोल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, दूसरी तरफ जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से भी यह लगातार कोशिश हो रही है कि इस देश में जैसे इस सदन की कोई जरूरत ही न हो। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में लोकतंत्र तभी तक मजबूत रहेगा, जबकि इस संस्था की गरिमा बनेगी। इसलिए संस्था की गरिमा को बनाने की बनाने के लिए हमको आज दृढ़संकल्प होना पड़ेगा।

मान्यवर, मुझे याद नहीं पड़ता कि आज तक पिछले पचास सालों में कभी इस सदन ने अपनी सीमाओं को लंघा हो। ऐसे भी बहुत कम अवसर आए हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों में जो इम्पीचमेंट के संबंध में है, जुडिशियरी के संबंध में कभी इस सदन ने उस अधिकार का उपयोग किया हो, मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले पचास साल में कभी उस अधिकार का उपयोग इस सदन ने किया हो। लेकिन, इन पचास सालों में न्यायपालिका और एजीक्यूटिव ने अपनी सीमाओं को लंघा है। उन्होंने इस सदन की गरिमा को चोट करने की कोशिश की है और उन्होंने इस सदन को कमजोर समझा कि पचास वर्षों में आज तक यह कभी कोई निर्णय नहीं ले सका, कोई इम्पीचमेंट नहीं कर सका। हमने तो पूरा सम्मान किया, लेकिन, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमें दृढ़-संकल्प करने की जरूरत है, एक शक्ति की जरूरत है अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि हमारा उदारता को हमारी कमजोरी समझा जाए। याद रखिए—भय बिन होय न प्रीत, यह बहुत जरूरी है। मैं अपनी तरफ से यह स्पष्ट करना चाहूंगा, सदन की गरिमा को मेण्टेन करना बहुत जरूरी है।

मान्यवर, एक ब्रिटिश एम्बेसीर थे। उन्होंने संस्थाओं को इतना महत्व दिया कि उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया—किंग केन डू नो रोंग, और पूरे विश्व पर उन्होंने राज किया। उसका अर्थ यह नहीं था कि किंग कोई गलत कर ही नहीं सकता या उसके खिलाफ कुछ नहीं

करना है, वह तो उन्होंने एक कन्सेप्ट दिया कि हमको संस्था की गरिमा को संपूर्ण और उच्च श्रेणी में रखना चाहिये। अभी भाई रामगोपाल वादव जी हमारे बीच में मौजूद रहे थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने रखे कि किस तरह से वह जड़कर आज बीस बीस साल तक कोर्ट कचहरियों में लोग चक्कर मारते रहते हैं। आज ऐसे ऐसे वकील हैं मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन आज वह एक एक पेशी में तीन-तीन लाख रुपए लेते हैं। सारी जिंदगी एक गरीब आदमी 3,000 रुपए नहीं कमा पाता और बड़े-बड़े कई ऐसे वकील हैं जो तीन-तीन लाख रुपए एक पेशी के लेते हैं। कैसे इस देश के गरीब लोगों को न्याय मिलेगा, कैसे इस देश में गरीब लोगों के साथ पूरी तरह से सम्मान व्यक्त किया जाएगा।

मान्यवर, मैं आरक्षण के संबंध में भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा। मैं आरक्षण के संबंध में इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि शाब्दिक सदन का कोई ऐसा दिन रहता हो, जब आरक्षण के संबंध में कोई न कोई मुद्दा न उठता हो, जाता हो। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने 5 या 6 दिन के लिए यह विशेष सदन आहूत किया है और देश के सामने आपने हम सबको भावनाओं को प्रकट करने का मौका दिया है, आरक्षण के बारे में भी आप एक विशेष सदन बुलाइए। आप 33 परसेंट कीजिए, 50 परसेंट कीजिए, 70 परसेंट कीजिए और किनको देना है, किनको नहीं देना है, इसका भी निर्णय कीजिए, जो चाहे निर्णय लीजिए, लेकिन एक बार इसको तय कीजिए। मेरा सुझाव है कि आप इसके लिए एक चार दिन का विशेष सदन बुलाइए और उसके बाद आप ब्रेन लगाना दीजिए कि इसके बाद यहां पर इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। मान्यवर, यह देश बहुत महान देश है, यहां बहुत महान लीडर्स हुए हैं। स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी 50 वर्ष में 17 साल प्रधान मंत्री रहीं और पूरे देश ने उनका सम्मान करा। हम अमेरिका और इन्स्टैंड की बात जरूर करते हैं। अमेरिका में आज तक उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति भी कोई महिला नहीं हुई, न केवल हुई बल्कि वहां पर किसी महिला ने कोई चुनाव भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का नहीं लड़ा। इन्स्टैंड की डेमोक्रेसी में भी बहुत अधिक समय तक वहां महिला प्रधान मंत्री नहीं रही। यह देश बहुत महान देश है। इसलिए आरक्षण के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक टाइम ब्रांड प्रोग्राम आप उसके लिए निर्धारित कीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आपका टाइम समाप्त हो रहा है। आप दो-तीन अच्छे प्वाइंट बोलें हैं।

श्री अखिलेश दास: मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूँगा।

सर, मैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी का जो सपना था, वह गांव का सपना था, पंचायती राज का सपना था। अभी हमारे भाई लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के अंदर तराई हुई है। महोदय, वह गांधी जी की फिलास्फी के आधार पर हुई है, जिसमें उन्होंने कुटीर उद्योग की फिलास्फी को सामने रखा था। आज उस फिलास्फी को सामने रखना पड़ेगा। हम बहुत बड़े-बड़े मल्टी नेशनल और बड़े-बड़े उद्योग लाते हैं, लेकिन अगर वास्तव में हर हाथ को काम देना है, अगर गांव-गांव तक काम देना है, अगर हम चाहते हैं कि बेरोजगारी हटे तो गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए कुटीर उद्योगों को हमें आगे लाना होगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकाय को और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाया था। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं लखनऊ का मेयर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि 73वां और 74वां संशोधन तो अत्यंत हुआ है लेकिन बहुत कम प्रदेश ऐसे हैं जिनको उसकी शक्तियां प्रदान की गई हैं। उस दिन टी.एन. जगन्मोहन साहब बता रहे थे इस बात को कि 73वें और 74वें संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद भी शायद ही कुछ ऐसे प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश ही ऐसा नहीं और भी बहुत सारे प्रदेश हैं, जहां सिर्फ नाम के लिए 73वां और 74वां संशोधन विधेयक है, उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया और उनको कोई शक्तियां भी प्रदान नहीं की गई हैं और यह लालफीताशाही और अफसरशाही के अंदर उलाहकर रह गया है कि कैसे उनको अधिकार दिए जाएं। गांधी जी का सपना अगर पूरा करना है तो उनको अधिकार देना होगा।

मान्यवर, इस देश की जो सबसे बड़ी चुनौती है साम्प्रदायिकता और जाति-व्यवस्था, इस बारे में मैं अत्यंत कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आजादी के 50वें वर्ष में हम सभी संकल्प लें कि हम जाति सूचक शब्दों का, जितने हमारे संसद हैं, प्रयोग नहीं करेंगे, हम संसद इस बारे में निर्णय लें, तब हम समझ पाएंगे दूसरे देश के लोगों को, जाति व्यवस्था के खिलाफ हम तब मंच से बोल पाएंगे, नहीं तो कोई कहेगा कि आप तो जाति-पाति की बात करते हैं और आप हमें समझाने आए हैं।

मैं एक बात और विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, आजादी के 50वें वर्ष में, महात्मा गांधी की नीतियों को सभी ने सराह और उनको प्रशंसा अर्पित की है, लेकिन बहुत से अवसर ऐसे भी आए हैं जब लोगों ने अनायास ही गांधी की आलोचना करी है, उनके खिलाफ बोलत है। मैं आज यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि जिस तरह से संविधान में राष्ट्रध्वज और राष्ट्र-ध्वज का एक स्थान है, उसके खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, उसी तथेके से राष्ट्रपिता का संविधान में संशोधन करके, एक स्थान होना चाहिए, जिसमें उसके खिलाफ बोलने का किसी को अधिकार न हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन जिति): समाप्त कीजिए, हो गया।

श्री अखिलेश दास: मैं समाप्त कर रहा हूँ।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि वह 1942 का समय था, जब देश में असहयोग आन्दोलन की शुरुआत हुई थी, आज इस 50वें वर्ष में एक और आन्दोलन की जरूरत है और वह आन्दोलन है सहयोग आन्दोलन। सहयोग इस बात के लिए होना चाहिए कि हम जातीयता को उखाड़ फेंकेंगे। सहयोग इस बात के लिए होना चाहिए कि इस देश से प्रशासन को उखाड़ फेंका जाए। सहयोग इस बात के लिए होना चाहिए कि इस देश का हर नागरिक शिक्षित हो। सहयोग इस बात के लिए होना चाहिए कि इस देश में कोई बेरोजगार न रहे। सहयोग इस बात के लिए होना चाहिए कि देश से सांप्रदायिकता को उखाड़ फेंका जाए। हमें याद रखना होगा अपने पुराने महापुरुषों की नीतियों को। नेहरू और गांधी की नीतियों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। श्री गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, भगतसिंह, नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की नीतियों को हमें लागू करना पड़ेगा। इन पंच देवताओं को पूजना पड़ेगा। महोदय, एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और वह शेर है—

“मकुतल में न मस्जिद में न मयखाने में कोई,
अब किसकी अमानत में गमे कट्टे जहां दें।
शायद कोई इनमें से कफन फाड़कर निकले,
अब आओ शहीदों की मजारों पर अज़ा दें”।

महोदय, मैं आपको आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया और आपने स्वतंत्रता-संग्राम के शहीदों को नमन करने और प्रशंसा अर्पित करने का मौका दिया। मैं अपने सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ, इस सदन के साथ-साथ लोकसभा के साथियों को भी जिन्होंने बिना खाए-पिए, थूड़े-प्यासे रहकर सुबह 8-9 बजे तक इस बहस में हिस्सा लेकर

वह सन्तुष्ट कर दिया है कि वे देश के प्रति कितने समर्पित हैं।

महोदय, मैं उनके माध्यम से बुद्धिजीवियों से, लेखकों से और चर्चकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संबंध में तो बहुत कुछ छपा है कि हम लोग व्यवसायिक वर्गों का इस कर रहे हैं लेकिन वे इस बारे में भी जानें कि मुक्त से 4-5 बजे तक न केवल पुरुष बल्कि हमारी महिला सभा भी बिना जाए-पिए हाऊस के अंदर बैठती रहें। यह हमारे दुर्ग-संकल्प का द्योतक है और यह बहुत बड़ा हेल्थवेयर है। मैं इस विशेष तंत्र को सुनने के लिए लोकसभा के स्पीकर श्री संगमा साहब को और हमारे चेयरमैन साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री जवाहर सिंह (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, गत 5 दिनों से संसद में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाने के उपलक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है और इस बात की समीक्षा की जा रही है कि इन 50 वर्षों में हमने क्या खोजा और क्या पाया। महोदय, मैं उन संसदों में से हूँ जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन शिक्षा और गुलामी का हमें कोई अनुभव नहीं है लेकिन एक बात सत्य है कि स्वतंत्रता के उपरान्त इस देश ने खुदमुखी विकास किया है। जिस देश में मुझे तक नहीं लगती थी, आज वहाँ बड़ी-बड़ी मशीनरी का उत्पादन और निर्यात हो रहा है लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि महात्मा गांधी ने हमें जो रास्ता दिखाया, उससे हम भटक गए। विरासत में जो अनपेक्षित चीजें हमें मिली थीं—सत्य और ईमानदारी की पंचनाएँ, वह धीरे-धीरे लुप्त होती गई। आज हमारे आचरण, हमारी नीति, हमारे चरित्र में निरंतर गिरावट आती जा रही है जो सम्मुख एक खिंता का विषय है।

महोदय, एक समय था कि जब सफेद टोपी पहनना हम लोग गौरव समझते थे लेकिन धीरे-धीरे आज वह सफेद बट्टी कुछ लोगों की करनी से इतनी बदनाम हो गई है कि आज जो देश के नेता हैं, जो संसद लोग हैं, वे सफेद बट्टी पहनने में संकोच करते हैं। आज कभी-कभी जाने-अनजाने में लोग नेता की तुलना उस व्यक्ति से करते हैं जो सबसे बड़ा सम्भव विरोधी है। हम कभी गांधी में जाकर कहते हैं कि अमुक कथ्य के लिए कैसे दिए गए थे, उस कथ्य का क्या हुआ तो लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ भी एक नेता है, वह कुछ रोने नहीं देता। अर्थात् पहले नेता का नाम बहुत ऊपर से लिया जाता था, आज नेता वह कहलकत है जो सम्भव-विरोधी है। महोदय, आज प्रशासन एक सबसे बड़ी बीमारी बन गई

है और लगता है कि लोगों ने प्रशासन से समझौता करना शुरू कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति किसी घर में बेटी देता है तो घर के माता-पिता से पूछता है कि नौकरी तो ठीक है, वेतन तो मिलता है लेकिन ऊपर की कमाई कितनी है, वह बताओ। ऊपर की कमाई के ऊपर बेटी दी जाती है। मंत्री आज कोई गड़बड़ करता है, कुछ दिन तो वह चर्चा का विषय बनता है लेकिन अंततोगत्वा लोग क्या कहते हैं कि अगर मंत्री ने कुछ खाया भी तो सरकार का खाना हमारा क्या खाया। इसलिए खाते तो सब हैं। अगर मंत्री काम करने वाला है, खाता है तो खाता रहे हम इसका समर्थन करेंगे। महोदय, यह सोच इस देश के लिए खतरनाक है। महोदय, हमें इस बात के ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चिन्तन करना होगा कि आखिर चरित्र-निर्माण कैसे हो। आज इस चीज की आवश्यकता है कि स्कूलों में कम-से-कम हम नैतिक शिक्षा अनिवार्य कर दें ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इन चीजों से बच सकें। महोदय, मैं समझता हूँ कि असंतुलित विकास से भी कभी-कभी उत्पाद की उत्पत्ति होती है। मैं एक पहाड़ी प्रांत से संबंध रखता हूँ इसलिए उस तरफ आपका ध्यान अध्ययन ले जाना चाहिए। इस देश का जो पहाड़ी क्षेत्र है वह सारे कुल क्षेत्रफल का एक बटे पाँच भाग है। क्षेत्रफल में पहाड़ी प्रांत बहुत बड़ा है। लेकिन वह हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि जब जनसंख्या पर हम आते हैं तो कुल सारे देश की केवल 6 प्रतिशत जनसंख्या हमारी है। इसलिए इन बड़े-बड़े सदन में आकर वहाँ के हमारे प्रतिनिधियों की आवाज दब जाती है क्योंकि प्रजातंत्र में मजॉरिटी इज अथॉरिटी। महोदय, वहाँ से हमारी समस्या शुरू हो जाती है कि आबादी से अगर हम तुलना करें तो हम बहुत कम हैं, क्षेत्रफल से तुलना करें तो बहुत ज्यादा हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक बात कही थी कि वह जो पहाड़ों में प्रकृति की गोद में बसे हुए लोग हैं वह हमेशा खुश रहते हैं, नाचना और गाना उनकी संस्कृति है। महोदय, यह सत्यता है कि अगर वह नचन और गाना हमारी संस्कृति नहीं होती तो बिना विकट परिस्थितियों में हम लोग रहते हैं तो हम लोग कुट-कुट कर मर जाते। हमारे उन क्षेत्रों में लोग हिमपात को देखते आते हैं, ठससे आनंद लेते हैं। लेकिन जब वह हिमपात होता है, जब हिमखंड टूटता है तो हमारी जान जानती है कि हम कैसे गुजारा करते हैं। महोदय, हमारी समस्या मैदानी क्षेत्रों से भिन्न है। मैदानी क्षेत्रों में अगर एक लकड़ रुपये में एक किलोमीटर सड़क बनती है तो हमारे वहाँ 5 लकड़ रुपये में एक किलोमीटर सड़क नहीं बन सकती। हमारी अपनी समस्याएँ हैं इसलिए मैं नम्र निवेदन करना

स्तर पर इन पहाड़ों के विकास के लिए अलग से बोर्ड का गठन होना चाहिये। योजना आयोग को इस बात पर विचार करना चाहिये कि जबकि अलग से हमारे लिए इस किस्म के बोर्ड का गठन नहीं होगा तब तक संतुलित विकास नहीं होगा। यही कारण है कि वह लोग गाँव फिअरिंग लोग कहलाते हैं। हमारी ऐसी संस्कृति है कि हम नाच-गाने में प्रसन्न रहते हैं। आज धीरे-धीरे वह उत्पाद की तरफ बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक प्रांत आज उत्पाद में जा रहा है। अगर अकूत रहा है तो केवल मात्र आज हिमाचल प्रदेश है और अब उत्तरांचल में भी थोड़ी-थोड़ी शुरुआत हो गई है। महोदय, इसलिए आवश्यक है कि हमारी जो भिन्नता है उसको ध्यान में रखते हुए, हमारी जो समस्याएँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए अलग से बोर्ड का गठन किया जाए। वहाँ तक कि जो ग्रामीण विकास के लिए पैसा जाता है वह पैसा भी जनसंख्या के आधार पर जाता है। उसका परिणाम क्या है—जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जो भी पैसा पहाड़ी प्रान्तों में जाता है उससे एक भी भवन का निर्माण नहीं होता। 20 हजार में हम कैसे निर्माण करें कहा जाता है कि आपकी जनसंख्या कम है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या हमें छूट दी जाएगी कि हम अपनी आबादी बढ़ाएं? महोदय, हम जंगलों से घिरे हैं। हम भी चाहते हैं कि वह प्रदेश आत्मनिर्भर बने। इसको कुदरत ने बहुत कुछ दिया है इसको कुदरत ने ऐसा पानी दिया है जो बिजली पैदा कर सकता है, हमको कुदरत ने ऐसा फल दिया है जो सीमेंट बना सकता है हमको सौरव्य देस दिया जिसको देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। वन सम्पदा ऐसी ही है जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लेकिन हमारी हस्तत यह है कि अगर हम जंगलों से घिरे हैं वहाँ सड़क बनाना चाहते हैं और हम श्रमदान भी करना चाहते हैं तो अनुमति भारत सरकार से लेनी पड़ेगी क्योंकि लैंड रिजर्वेशन एक्ट है। अब वह लैंड रिजर्वेशन एक्ट — जहाँ जंगल बढ़ेंगे तो सारे देश का पर्यावरण सुदृढ़ होगा, स्वस्थ होगा। लेकिन क्या वह ठेकेदारी सिर्फ कुछ पहाड़ में बने लोगों की है?

हमारे गाँव में कभी सड़क नहीं आएगी क्योंकि जंगल कटने के बाद ही सड़कें बननी हैं। वह निश्चित है कि सड़कें हमारे लिए जीवन की रेखा है और जब तक पहाड़ों में सड़कें नहीं बनेंगी, हम विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए सड़कों के लिए और इस प्रकार की चीजों के लिए विकास बोर्ड बने ताकि अलग से हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू की बात कही जा रही थी। स्वर्गीय एजीय गोष्ठी ने भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था

कि: हालत यह हो गयी है भ्रष्टाचार की कि यहां से, दिल्ली से जब एक रुपया चलता है...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिमि): आप यह रिपोर्ट कर रहे हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री महेश्वर सिंह: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। जब रुपया यहां से चलता है तो घिसते-घिसते 15 पैसे वहां पहुंचते हैं। आज केन्द्र और प्रान्तों की दूरी इतनी बढ़ गयी है कि रुपया भी चलते-चलते घिस जाता है। लेकिन वे उसका समाधान नहीं कर सके यह उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। महोदय, बोलने को तो बहुत कुछ था लेकिन समय का अभाव है इसलिए आपने जो मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ लेकिन इस बात पर फिर जोर देना चाहूंगा कि पहाड़ों के विकास के लिए एक बोर्ड का गठन अवश्य केन्द्रीय स्तर पर किया जाए ताकि वहां भी चहुँमुखी विकास हो जाए। महोदय, आज 50 वर्षों के बाद भी कभी-कभी वहां के लोग यह कहते हैं कि इससे तो वह ब्रिटिश राज ही अच्छा था कि कम-से-कम रेल तो वहां पहुंची थी और आज हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। हमें लोगों की यह धारणा तोड़नी होगी और वहां पर विकास कार्य करने होंगे। यही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री इकबाल सिंह (पंजाब): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम देश की आज़ादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके लिए मैं लोक सभा स्पीकर श्री संगमा साहब और राज्य सभा के सभापति को बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह बहुत अच्छा काम किया है कि आज़ादी के बाद हमने देश में क्या काम किये और क्या नहीं किए इसका लेखा-जोखा हम यहां कर सके। इसी में हमने अपने अगले प्रोग्राम भी बनाने हैं कि देश में आगे क्या काम होने चाहिए। महोदय, वह महान शहीद, वह महान देशभक्त जिनकी बजह से यह देश आज़ाद हुआ—महाराजी लक्ष्मीबाई, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, शहीद भगत सिंह, चन्द्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, और सबस्वर—ऐसे-ऐसे महान देशभक्तों ने और प्रोडम फाइंटर्स ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया जिसकी बजह से अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा और इस देश को आज़ादी देनी पड़ी।

जा-जाकर आज़ादी की कल्पनें,
सतसुख पर अदा की थी रत्नें,

इसके नुरे-नजर भगत सिंह राजगुरु,
याद करता है जिनको जमाना,
पेशवा जिसको दुनिया ने माना ।।

इस ढंग से आजादी ली गयी। आजादी के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ीं। महोदय, मैं कुछ पंजाब के ऐसे महान देशभक्तों की अगर यहां पर बात करूं—जलियांवाला बाग में 1278 लोग जब शहीद किये गये, जनरल डायर के हुक्म से किए गये तो सारा देश कंप उठा। देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले अगर देश में 129 लोग हैं। हुए तो मुझे अपने पंजाब पर और अपने हिन्दुस्तान पर मान है कि उनमें से 91 पंजाबी थे। ऐसे-ऐसे मूवमेंट हुए नामधारी मूवमेंट हुए। मलेरकोटला में नामधारियों के जब गोले के सामने रखकर, तोप के सामने रखकर मारा जा रहा था तो 12 साल का एक बच्चा जो तोप के सामने नहीं आ सकता था, उसको इंटें लगाकर ऊंचा करके शहीद किया गया था।

चाहे शहीद ऊधम सिंह की बात की जाए, चाहे करतार सिंह सरावा की बात की जाए। देश को आजादी प्राप्त कराने के लिए हमने और हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। आज हम उन कुर्बानियों का इत्कार 50 साल बाद कर रहे हैं। आज हम उसी आजादी के बारे में सोच रहे हैं। उस आजादी को प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने जगह-जगह पर जाकर बहुत काम किया था। मैं पूछना चाहता हू कि आज उस आजादी के लिए हमने क्या काम किए हैं? अभी मेरे भाई श्री महेश्वर सिंह बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इस देश में खुर्द नहीं बनती थी, आज बहुत बड़ी मशीनें बन रही हैं। हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। यहां पर डेम बने हैं, यहां पर नहरें बनी हैं और हमने बड़ी-बड़ी मशीनें बनाई हैं जिनकी हम दूसरे देशों में सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए हमारा देश बहुत उन्नति कर चुका है। हमें प्रसन्नता है कि आजादी के बाद हमारे देश ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं चार-पांच दिन से बहस को सुन रहा हूँ, इसमें काफी निराशाजनक बातें भी बताई जा रही हैं। अभी मेरे एक भाई बोल रहे थे, वह कह रहे थे कि जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे उनमें डेमोक्रेसी खत्म हो गई है लेकिन इस भारतवर्ष में डेमोक्रेसी टिमटिमा रही है। मैं यह नहीं मानता हूँ। यहां की डेमोक्रेसी, भारतवर्ष की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। यहां पर अलग-अलग जातियां, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग क्षेत्रियां हैं फिर भी हम सब एक हैं, हम सब हिन्दुस्तानी हैं, अपनी मंजिल एक है।

“बिखरे-बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक हैं।”

हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं। कभी-कभी ऐसी बातें आ जाती हैं, कभी-कभी जातिवाद की बातें आ जाती हैं, लेकिन इस देश के लोग डेमोक्रेसी को समझते हैं। हम सब ने मिलजुलकर काम करना है मुझे याद है जब पाकिस्तान ने 1965 में वार की थी तो पंजाब के लोगों ने, इस हिन्दुस्तान के लोगों ने किस तरह से पाकिस्तान का मुकाबला किया था। हमें चाइना की वार याद है, हमें 1971 की वार याद है जब पाकिस्तान ने पंजाब में हमारे ऊपर हमला किया था और इस देश के सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के बेल्ट लगाई लड़ी थी। हम कभी अलग नहीं हुए हैं। यह हमारे देश की यूनिटी है, जो हमारे महापुरुषों ने कायम की है और जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमें दी है। यह बात ठीक है कि जब देश आजाद हुआ तो देश की आबादी 35 करोड़ थी और आज 95 करोड़ है। मुझे वह दिन भी याद है जब 1975 में स्वर्गीय संजय गांधी ने देश को पांच पाइंट्स प्रोग्राम दिया था। उसमें पापुलेशन, पंचायत, ग्रीन रिवोल्यूशन, स्त्री जाति आदि के बारे में था और यह प्रोग्राम देश में चला था परन्तु आगे सब पार्टियों ने पापुलेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले भी इस संसद में भाषण दिया था और मैंने कहा था कि सब पार्टियों को इस मामले में इकट्ठा हो जाना चाहिए। यह एक नेशनल इश्यु है, पापुलेशन एक नेशनल इश्यु है और हम सब पार्टियों को एक हो कर के काम करना चाहिए। हम सारे मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को और राज्यों के विधायकों को अपनी-अपनी कौन्सिलर्स को जाकर के इसके बारे में काम करना चाहिए।

आज अगर हम कृषि के बारे में सोचें तो क्या कृषि के उत्पादन में कोई कमी आई है? कृषि के क्षेत्र में भी हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। हमारे देश के फारमर्स ने बहुत उन्नति की है। हम 35 करोड़ से 95 करोड़ हो गए हैं और हमारे फारमर्स ने इतना अनाज पैदा करके दिया है कि अब हमारा देश अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो गया है। हमें फारमर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे न्यू टेक्नाजी देनी चाहिए। आज देश में हजारों-लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है

जिससे हम अन-इम्प्लायमेंट को दूर कर सकते हैं। आज अन-इम्प्लायमेंट टैरिज्म का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। जो बच्चा पढ़-लिख गया है उसको हम रोजगार नहीं दे पाते। कृषि के साथ-साथ हम उसको रोजगार दे सकते हैं। यह टैरिज्म आज सारे देश में फैल चुका है। इसकी वजह से पंजाब ने बहुत दुख भोगा है। अभी-अभी बीस हजार से ऊपर कुर्बानियां दी हैं और इसके साथ-साथ ईंट ने भी बहुत दुख भोगा है और

करपौर ने भी बहुत दुःख भोगा है। पंजाब के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि गुजराल साहब ने अभी यहां के लिए 8500 करोड़ रुपये माफ किए जोकि केवल पंजाब की लड़ाई नहीं थी बल्कि यह सारे देश की लड़ाई थी। मैं आदरणीय सीताराम केसरी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बारे में गुजराल साहब से कहा, हम सारे मेम्बर पार्लियामेंट, उनसे मिले थे और सब पार्टियों के सदस्यों ने भी कहा था। महोदय, आपको याद होगा इस संसद में मैंने तीन बार अपने भाषण में कहा था कि यह लड़ाई सारे देश की लड़ाई है इसलिए यह पैसा देश को देना चाहिये। आज अगर 8500 करोड़ रुपये माफ हुआ है तो यह देश की लड़ाई के लिए माफ हुआ है। हमारे देश की तरफ़ी और उन्नति के लिए यह एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस टेरिज्म को पंजाब में हम लोग नहीं लाए थे, इस देश के लोग नहीं लाये थे बल्कि वे लाये थे जिन्होंने 1965 में हमारे देश पर हमला किया, जिन्होंने 1971 में हमारे देश पर हमला किया। वे हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए टेरिज्म लाये थे।

इस देश की गरीबी और जो इस देश के 36 प्रतिशत लोग गरीब हैं, उनके लिए हमें सोचना चाहिये। हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये, उनके रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिये। हमें उन बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये जिनके लिए 40 स्कूलों की बिल्डिंग्स नहीं हैं तथा 75 हजार स्कूल नहीं हैं, जो कि पेपरों पर हैं, ध्यान देना चाहिये। हमें उन साढ़े चार करोड़ बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। हमने सोचा था कि देश की आजादी के बाद 14 साल का बच्चा प्री एजुकेशन लेगा लेकिन यहां पर पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल बन गये जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है, ऐसी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये। हमें हैन्य की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। मैं गुजराल साहब को मुबारकवाद देता हूँ कि उन्होंने राज्य सभा के लिए 9 संसदों को नोमिनेट करवाया है जिनमें कुलदीप नैयर, करतार सिंह दुग्गल और निर्मला देश पांडे जैसे आदमी हैं। इनके अलावा मेरे अन्य दोस्त, मित्र भी आये हैं जो बड़े ही अच्छे हैं। लेकिन हमें आर्टिस्टों की तरफ ध्यान देना चाहिये। दुनिया में भारत की संस्कृति बड़ी अच्छी मानी जाती है। आर्टिस्टों में प्रमुखतः भीमसेन जोशी, अली अकबर जैसे लोगों का भी नाम है। इसी तरह खिलाड़ियों की तरफ भी ध्यान देना होगा। मुझे बहुत दुःख होता है कि 1982 से लेकर 1997 तक कोई एवार्ड नहीं दिया गया। अभी राष्ट्रपति पवन में एवार्ड फंक्शन हुआ जिसमें एजीब खेल एवार्ड, रत्नाकर एवार्ड,

श्रीगोचार्ब एवार्ड, अर्जुन एवार्ड और मौलाना अबुल कलाम एवार्ड कई सालों के बाद दिये गये।

एक और दुःख की बात यह है कि ले० कर्नल सुबानन्द राव जो जिसकी डेथ हो गई थी, जो 1988 से 95 तक देश का नाम ऊपर ले जाते रहे, उनके जीते की हमने उनको एवार्ड नहीं दिया और इतना समय हो गया। एक बच्चा जो 81 में पैदा हुआ उसको हमने एवार्ड दे दिया। हमें चाहिए कि इस देश में मिलखा सिंह जैसे आदमी भी आगे लायें। हम उनको भी राज्य सभा में लाने तथा अजीत पाल जैसे व्यक्ति को भी लाते। मैं चाहता था कि ऐसे जो प्लेयर हैं उनको इसमें लाते ताकि हमारा देश खेलों में उन्नति कर सके। गेम में हम आगे बढ़ सकें। बहुत सी बातें हैं, वाइस चैयरमैन साहब, आपका इशारा हो रहा है कि मैं बहुत लम्बा न बोलूँ। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम सब भारतवर्ष में इस ढंग से उन्नति करें और ऐसा काम करते जाएं कि दुनिया में, इस भारत में जो महात्मा गांधी ने, जो जवाहर लाल नेहरू ने अपना और देश का नाम ऊंचा किया, उस तरह से हम देश में काम करें। टेरिज्म में ऐसे लोग आए जो अभी तक जेलों में बैठे हैं। इस चीज को देखना चाहिए कि वे जेल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने देश में निहत्थों को पाग है। अगर कोई सरकार उनको जेलों से निकाल कर चैयरमैन बना देगी तो क्या यह अपराधीकरण नहीं होगा? इस तरह की बात देश के लिए बहुत खतरनाक है। भ्रष्टाचार इसी से फैल रहा है। इलेक्शन इसीलिए महंगे हो रहे हैं। इन सब बातों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हमें उन पार्टियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो कट्टर बातें करते हैं। इस देश में यह नहीं होगा कि राम बिलास पासवान जी को रोका जाए कि वे महाराष्ट्र में नहीं जा सकते। यह बात बहुत गलत है। यह बात भी नहीं होनी चाहिए कि एक प्रदेश का चीफ मिनिस्टर दूसरे प्रदेश में जाकर एक-एक लाख रुपये दे इसलिए कि वह दलित हैं और उनके साथ ज्यादती हुई है। यह इस प्रदेश को सोचना चाहिए। पूरा हमारा भारत एक है। भारत की उन्नति के लिए हमें एस्ता सोचना चाहिए। इतना ही कहते हुए मैं क्षमा चाहता हूँ, जयहिन्द।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): Sir, We are in the midst of the Golden Jubilee year of our Independence. It is indeed the Golden Jubilee of our democracy. At this juncture it is only appropriate that an appraisal of our polity, its operational dynamics and some of the problem areas is made.

It is our good fortune that when we emerged independent, we had the benefit of a galaxy of outstanding leaders who were fully conscious of the enormity of the tasks before them and who were equally definitive about the path we should chart out for ourselves. I pay tributes to all Members of the Constituent Assembly. Their painstaking efforts provided India with the basic legal and ethical framework for progress and development.

As it has emerged, the Constitution incorporates some of the salient features of the British, Irish, French, South African and American Constitutions while at the same time displaying a distinctive Indian approach based on its ethos and values.

Our Constitution is not merely a political document which provides the framework and institutions for democratic governance—our Parliament, the Executive and the Judiciary. It provides a framework for the economic and social emancipation of society and particularly the poor, the under-privileged and the down-trodden.

If I am permitted to be very precise, the core of the commitment to a social revolution lies in Parts III and IV of the Constitution, in the Fundamental Rights and in the Directive Principles of State Policy. As has been aptly described, these are the conscience of the constitution. It is of profound import that the fundamental rights are enforceable by the courts of law. Article 32 of the Constitution guarantees the implementation of these rights. This, to my mind, is a very crucial safeguard against excesses by the executive authority and, therefore, casts a very heavy responsibility on our judiciary, a vital pillar of our democratic structure, to ensure that the fundamental human rights and freedoms are guaranteed. It has been proved beyond doubt that "the working of a Constitution does not depend wholly upon the nature of the constitution. The factor on which the working of the organs

of the State depends is the people and the political parties they set up as their instruments to carry out their wishes and their politics."

If we look at the nations around us, we can rightly be proud of our resilient and living Constitution which has adapted over time to changing circumstances, needs and requirements. Indeed, it has become a model for Constitutions in other countries.

A very important feature of our Constitution enshrined in Art. 1 is that India is a Union of States. Indeed, ours is a unique system of federation with a manifest unitary character. It is a cooperative federalism whereby there is a harmonious interaction and relationship between the Union and the States and among the States for the common good. There have, however, been persistent demands from several quarters for more autonomy to the States, especially financial autonomy or financial devolution. Those opposed to this view hold that a strong bias in favour of the Union is essential if we are to preserve and protect the unity and integrity of the country. In this context, it is pertinent to observe that the use and alleged misuse or abuse of Art. 356 of the Constitution came in for scathing attack as also the role of several Governors in political crises-situations or even in fomenting such crises.

It is heartening to observe that the Centre has been alive to the changing demands of the situations and exigencies of times, though the States at times feel that it is not doing enough to harmonise the situation.

In the actual operation of the democratic set-up, I wish to highlight that elections are in a sense the barometer of democracy and political parties and contestants the lifeline of elections. It is through the conduct of elections that the principles of consent and representation are articulated and realised. As very aptly said, elections periodically accord

legitimacy to the political system. In such a scenario, it appears rather imperative that the electors exercise their right to vote in a free, fair and transparent manner. And holding of such elections periodically becomes a *sine qua non* of democracy.

I would wish to highlight before this august House that the successful conduct of eleven general elections to the Lok Sabha and many more to the State legislatures and other representative bodies has proved beyond doubt the inherent democratic ethos of the Indian electorate.

I come to another distinctive feature of the Indian political system, namely, the multiplicity of political parties and groups. The multiparty system of the early years with a predominant single party soon gave way to genuine political plurality in the wake of the changing political climate and equations. There has also been an awakening of the regional aspirations on regional, linguistic and cultural lines and this has led to the emergence of new political groupings.

In such a scenario, what is striking in the series of developments in the past few years is a realignment of political forces. Simultaneously, these development have thrown up a host of other factors too—the possibility of hung Parliaments, the constitutional predicament the President finds himself in the emerging situations, the perspectives of regional parties who join the coalition at the Centre, political instability and its impact on national development and the nation's unity and integrity. A section of political opinion, concerned at recent developments, has even suggested the need for a national government at the Centre.

In recent times, particularly, there has been a widespread concern over the direction our political system is taking. Citizens of the country have been alarmed at the increasingly large number of reports appearing regularly on the

alleged criminalisation of politics and lack of probity among the political leadership.

Political leaders themselves are feeling distressed at the turn of events and have effectively voiced the need to cleanse the system of undesirable elements. If we look at the situation as it exists today, cleansing politics necessarily entails cleansing electoral process too. Comprehensive electoral reforms are advocated as one option. Transparency in all sections of the Government is also advocated by many as a way of clearing many suspicions. Therefore, right to information is being advocated and demanded vociferously.

In the end, I would appeal to all sections of the House to join hands to strengthen the democratic process and achieve the dreams and visions of our founding fathers.

Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Shri V.P. Duraisamy—not present. Shri Sharief-Ud-Din Shariq—not present. Shri Suresh Keswani.

SHRI SURESH A. KESWANI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this interesting subject.

This has been a very interesting debate during the past one week. I have heard so many speakers both here in the Rajya Sabha and on TV and have also read the synopsis of the speeches delivered. I also visited the Rajya Sabha gallery in the Lok Sabha and heard some interesting speeches.

My impression is that most of us here and in the Lok Sabha are conscious of the state of affairs of the country both at the State's level as also at the national level. Most of us are not satisfied with what we are seeing and experiencing today at the end of 50 years of independence and our experiment with parliamentary democracy. So, many of us are disillusioned and I wonder whether some

of us look like children who build statues of snow and weep to see them melt.

At the end of fifty years, it would have been incredible if we had not halted to ponder over our losses and gains and examined and re-examined whether we had chosen a correct delivery system for ourselves, or was there a possibility that there was a mis-match between the delivery system chosen by our founding fathers and ourselves and our real requirement.

The objective of Dr. Babasaheb Ambedkar and his worthy colleagues in the Constituent Assembly was clearly to build a free welfare state which could secure distributive justice for all. They had marathon debates at the end of which we gave ourselves a Constitution. Before we could complete fifty years of the Constitution, we have effective nearly eighty amendments. There is already a serious 3.00 P.M.

debate going on whether we need some more amendments which could assure or ensure stability of the Union Government which has experienced instability whenever there has not been a majority gained by any single political party. We have experimented with coalitions on two earlier occasions, but none of us seems satisfied.

Our Constitution, though marginally modified by these amendments, still retains its basic character and structure intact, primarily because the checks and balances exercise by three wings in which our founding fathers had distributed and separated the power, namely, the Legislature, the Executive and the Judiciary. How have these three wings performed? How have they conducted themselves during the last 50 years is something which is open to the public scrutiny.

In this House, we will have to first examine how did the legislature of which we all of us here are Members and its progeny 'the executive' behave before we talk about the judiciary. To my mind, the litmus test of the legislature lies in finding

out how decently and correctly did the political parties deal with the dissent. Did they try to humiliate and crush the dissent? Did they ridicule or discredit the dissent or did they exhibit a spirit of healthy respect and sense of accommodation and appreciation of dissenting opinions? Did they use all kinds of the means to gag the opponents and injure the political adversaries or did the political parties help to build healthy traditions, respecting all shades of dissenting opinions? I would leave it to the Members to decide how has been our conduct. So much has been said in both the Houses of Parliament on what has transpired.

The second test lies in finding out how did we deal with minorities and less developed classes. Did we secure real justice for all without the differences of classes, castes, religions, creeds or sexes? Were we providing extra support to the underprivileged sections? If we had done that, would there have been need for these changes or would there have been so much of outcry from economically backward classes? The third test would be by finding out whether we supported the merit while building the political parties or did we pack them with dumb followers and opportunists and have the political parties acted as an instrument for social awakening and did these parties imbibe and inculcate the sense of values in the society?

Similarly, for the executive wing, the test would be, did the governments govern wisely or govern at all, or was their time lost in political trivialities leaving the governance to bureaucrats? Did their Governments secure social and distributive justice for all or were we being guided by the bureaucrats in this respect also? Did the Governments manage the scarce resources of this poor nation wisely and directed the public savings in genuinely productive areas or have they been 'the dream merchants' perennially keeping their audiences busy with promises? Did they give us an open and honest administration or did they

express their helplessness? Did they manage the law and order machinery to strengthen the confidence of the people in their Government or was the fear of the unknown allowed to be lurking in every street or every walk of life? Similarly, judiciary will have to be examined before our enquiry is complete. The Keshavanand Bharti case stands out as a milestone under which the basic structure theory was enshrined by the judiciary which sought to control the powers of the Parliament to effect the amendments to the Constitution. The purpose of my submission today is to commence a debate on whether judiciary was right or wrong or whether they had the power to limit the functions of the Parliament. This will have to be done on some other occasion. The short point that emerges is that we need to enquire whether the three wings, legislature, executive and judiciary, have enshrined the dictum that nobody gives you power and you will have to grab it? have they knowingly or otherwise established the principle of "जिस की लाठी, उस की भेस ?" Do we as a nation realise the consequences that can flow from such an eventuality? Can we stop people from concluding that much of the mess that we see around ourselves may have originated from the manner in which the executive, the legislature and now the judiciary may have conducted themselves? Can anyone seriously refute the charge that the suffering caused by the pulls and counter pulls on the delivery system have been so enormous that the Parliamentary democracy has failed to deliver to this country all that was in the minds of the founding fathers? Therefore, the charge that there is a mismatch between the delivery system and the people and their aspirations cannot be possibly refuted. What is the future of parliamentary democracy? We have held elections on eleven occasions. There does not appear to be a great enthusiasm to go for the twelfth one because everyone has apprehensions. Everyone is waiting for a better climate. We had three Prime

Ministers in one and-a-half years, two from Rajya Sabha, who had no support of the public mandate. The ruling group of parties had not sought the public mandate as a coalition. The Government of today is the creation of an opportunistic alliance of various political parties who have agreed to a common minimum programme. This government is there by default because no political party has the courage to force the election just yet. All are waiting for each other. The interests of the poorest of the poor are, in the meantime, being sacrificed. Half a dozen State Governments have forfeited their right to remain in the office for the reasons that are so well known and so obvious that yet everyone is staying put holding on to their dear chairs oblivious to the fast deteriorating economic condition of the masses on the one side and the law and order situation on the other. The tensions on the borders are mounting. Who has to defend this country against cross border terrorism? Who is to protect the Constitution and the parliamentary democracy? Does it really have a great deal of future? Is this not the time to reconstitute the Constituent Assembly which can, perhaps, once again recognise the States and make them into smaller administratively convenient units with no more than two per cent of the members of Lok Sabha assigned to anyone of the State? Have the linguistic States not outlived their utility? Is this also not the time to increase the strength of the Lok Sabha and the Rajya Sabha and provide at least one Lok Sabha member for at least 1.25 million people and one Rajya Sabha member for at least 2.5 million people? That means, there will be at least over 800 members in the Lok Sabha and 400 members in the Rajya Sabha to provide representation to the population of close to one billion people. Unless we are able to find a way to overcome caste conflicts and free our elections from the influences of religion, caste and now sex, we are unlikely to be able to protect and foster parliamentary democracy in India.

This is the most opportune time to also take a cold and hard look at the global geo-political relations and the unfolding scenario in and around our region. At the same time, is this not the time to re-examine our treatment of the minorities? Have we given a rightful place to Muslims while distributing party tickets or even jobs to them? The Prime Minister referred to the sufferings of Punjabis because of partition in his speech from the Red Fort. Why did he forget the suffering caused to Muslims? He did not even mention the suffering caused to Sindhis who lost their homeland and all political rights. Sindhis have won economic freedom in the last fifty years by the dint of hard work. Have they no right to political existence just because they have no homeland? These are the issues which we must address before we are able to take a decision on the future of democracy in India. If democracy is going to be a delivery system which secures for us the distributive justice, we will have to seriously ponder over these issues.

Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for the time given to me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Hon. Members, I have to inform that the Prime Minister will be summing up the discussion at 4.30 P.M.

श्री चुन्नी लाल चौधरी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आजादी की पचासवीं सालगिरह के अवसर पर मैं भारत के तमाम शहीदों और उन योद्धाओं को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया और जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूँ।

माननीय, उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत के इस लोकतंत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सर्वप्रथम बाबा साहेब डॉ॰ अम्बेडकर ने 20 नवंबर, 1930 को लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की पांचवीं मीटिंग में अपने भाषण द्वारा जो स्पष्ट

किया, उसे मैं कोट करता हूँ—“The point of view I will try to put as briefly as I can. It is this that the bureaucratic form of Government in India should be replaced by a Government which will be a Government of the people, by the people and for the people. This statement of the view of the depressed classes, I am sure, will be received with some surprise in certain quarters. The tie that bounds the Depressed Classes to the British has been of a unique character. The Depressed Classes welcomed the British as their deliverers from age long tyranny and oppression by the orthodox Hindus. They fought their battles against the Hindus, the Mussalmans and the Sikhs and won for them this great Empire of India. The British on their side, assumed the role of trustees for the depressed classes. In view of such an intimate relationship between the parties, this change in the attitude of the depressed classes towards British Rule in India is undoubtedly a most momentous phenomenon. But the reasons for this change of attitude are not far to seek. We have not taken this decision simply because we wish to throw in our lot with the majority. Indeed, as you know, there is not much love lost between the majority and the particular minority I represent. Ours is an independent decision. We have judged of the existing administration solely in the light of our own circumstances and we have found it wanting in some of the most essential elements of a good Government. When we compare our present position with the one which it was our lot to bear in Indian society of the pre-British days, we find that, instead of marching on, we are only marking time. Before the British, we were in the loathsome condition due to our untouchability. Has the British Government done anything to remove it? Before the British, we could not enter the temple. Can we enter now? Before the British, we were denied entry into the police force. Does the British Government admit us in the force? Before the British, we were not allowed to serve in the Military. Is that career

now open to us? To none of these questions, can we give an affirmative answer."

सर, बाबा साहब अम्बेडकर ने डिप्रेस्ट लोगों के हित के लिए यह लड़ाई 1930 से लड़ी और निरंतर अपने जीवन काल में वे इस लड़ाई को लड़ते रहे और उन्होंने संविधान दिया। संविधान में उन्होंने व्यवस्था दी थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति का उत्थान हो, विकास हो और इसके लिए उन्होंने 10 साल का समय दिया था। यहाँ हर दस साल पर सरकारें आईं और वह समय का प्रावधान बराबर बढ़ाया जाता रहा। क्यों ऐसा किया गया? दलितों के उत्थान के लिए क्या किया गया, इस पर मैं बाद में बताऊँगा लेकिन बार-बार दस साल का समय बढ़ाकर इस वर्ग को बाह्य के लोगों ने वोट बैंक समझा और इसीलिए आज तक उनकी कोई तरक्की नहीं हुई। सर, आज लगभग 20 करोड़ की आबादी इस वर्ग की इस देश में है, जिनमें से शिक्षित केवल 3 प्रतिशत हैं, अर्थात् सैकड़ा पीछे 97 आदमी आज भी इस वर्ग का अशिक्षित है। सैकड़ा पीछे चार आदमी ऐसे हैं, जो दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मुहैया कर पाते हैं और सैकड़ा पीछे 96 आदमी आज भी भुखमरी के कगार पर हैं। परसों के अखबार में उड़ीसा में महिला आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जाति की 85 प्रतिशत महिलाएं और लड़कियाँ वैश्यावृत्ति करके अपना जीवनयापन करती हैं। 50 साल में इस देश में आबादी के 1/5 हिस्से वालों को यही मिला है—भुखमरी, अशिक्षा और जानवरों से बदतर जीवन। आज गांवों में पीने के पानी का कोई प्रबंध नहीं है। जिस तालाब में गांव के जानवर पानी पीते हैं, उसी तालाब में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोग नहाते हैं, पानी पीते हैं और उसी पानी का खाना बनाने में भी प्रयोग करते हैं। मेरा आपके माध्यम से इस सदन में यह कहना है कि 50 साल बीत गए लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। मैंने पढ़ा कि पहली योजना से 8वीं योजना तक 1,15,000 करोड़ रुपए इस वर्ग के उत्थान के लिए खर्च किए गए, लेकिन क्या वही उत्थान है? 50 वर्षों में इस वर्ग के लोगों के साथ यह किया गया और इसका कारण है इच्छा-शक्ति में कमी, नीतियों में कहीं न कहीं त्रुटि। आपको आश्चर्य होगा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण सन् 55 से आया, 42 साल बीत गए, आज भी न तो केन्द्र की नौकरियों में और न प्रदेश की नौकरियों में आरक्षण की पूर्ति हुई। जाहिर है कि आरक्षण की नीति में कहीं न कहीं कोई कमी है और इस

पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। हम आज आत्मालोचन कर रहे हैं, आज समय है कि इन नीतियों पर भी हम सोचें, इनकी विवेचना करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के पीछे यह मंशा नहीं थी कि सारे देश में एक सुपर क्लास रोडब्लूक कास्ट का बनकर रह जाए और वही आरक्षण की सुविधा ले, बल्कि वे चाहते थे कि इसका लाभ प्रत्येक आदमी को मिले। आज गांव के किसान के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को नौकरियों में आरक्षण की यह सुविधा नहीं मिल रही है। कारण यह है कि उनके माता-पिता अपने जेवर बेचकर, अपना पेट कटकर उनको पढ़ाते हैं।..... बी-एस-सी और एम-एस-सी तक की डिग्री दिलाते हैं लेकिन वे कंपीटेशन में नहीं आ पाते। इसलिए इस नीति में भी कहीं न कहीं खामी जरूर है। जो मंशा बाबा साहब की थी कि देश के गरीब से गरीब लोगों तक यह सुविधा पहुंचे, वह नहीं पहुंच पाई है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है और इस देश के रहनुमाओं से मेरी अपील है कि एक-चौथाई आबादी को सामाजिक सम्मान, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक विकास में भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुगत में जब तक सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक यह राष्ट्र कमजोर रहेगा और इस तरह के कमजोर राष्ट्र पर कभी भी कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से अपील है कि इन वर्गों के कल्याण के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए अथवा जो नीति बनी है उसमें आभूतचूल परिवर्तन किया जाए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसको लागू किया जाए और इनके हित और आर्थिक विकास के लिए ईमानदारी और निष्ठा से उसका पालन करवाया जाए। धन्यवाद।

श्री राम रतन राय (उत्तर प्रदेश): उषसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही आभारी हूँ आपको कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं भारतीय संविधान के आर्टिकल (1) की ओर सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें लिखा है कि — 'India, that is Bharat, shall be a Union of States'. और हिंदी में इसका रूपांतर है कि — "भारत अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा"।

महोदय, मेरा ख्याल है कि 50 साल की आजादी के बाद अब हमें "इंडिया" शब्द को नमस्कार करना चाहिए और "भारत" शब्द को परिभाषित करना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। हमारे देश का नाम "भारत" होना

चाहिए और संविधान में हमें कहना चाहिए कि — “भारत राज्यों का संघ होगा”। मैं पूरे सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे पार्टी लाईन से ऊपर उठें और यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो हमें संविधान में संशोधन करना चाहिए। यह हमारी आज़ादी के 50 सालों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यदि हम इस “इंडिया” शब्द से छुटकारा पा लेंगे, इस इंग्लिसाईज्ड शब्द से छुटकारा पा लेंगे।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोकसभा के स्पीकर महोदय ने बड़ी अच्छी पुस्तिका निकाली है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। उस पुस्तिका का नाम है “भारतीय संसदीय लोकतंत्र के 50 वर्ष”। उसमें जो पहला वाक्य है, वह यह है कि — “हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की अभिलाषा प्रत्येक व्यक्ति की आंख के आंसू पोंछने की नहीं है। हो सकता है हम इतना कुछ न कर पाएँ किंतु जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा”। पंडित नेहरू ने ये शब्द कहे थे। उनके ये शब्द इस पुस्तक के सूत्र हैं और मैं इसी सूत्र के आधार पर अपने विचार व्यक्त करूंगा।

महोदय, हमारे संसदीय लोकतंत्र के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय हमने इसको आज़ाद होते हुए देखा था और आज़ादी के साथ ही भारत के पार्टीशन को भी देखा था। एक तरफ हम लोग जश्न मना रहे थे रात में, दूसरी तरफ द्रेनों में लोग भरकर जा रहे थे और उधर से द्रेनों में घायल लोग और बहुत से मृत व्यक्तियों के शव आ रहे थे। हमारे भारत के कुशल नेतृत्व ने इन सबको संभाला। हमारे देश में लाखों शरणार्थी आए, हमारे नेताओं ने उनके आंसू पोंछे और 50 साल के उपरांत हमारी यह उपलब्धि रही कि भारत देश से शरणार्थी नाम का शब्द एलिमिनेट हो गया। हमारे देश में कोई भी शरणार्थी नहीं है। पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट बना रहा है। यहाँ से जो लोग गए वह मुहाजिर कहलाए और आज भी वह मुहाजिर शब्द प्रचलित है। यह उनकी उपलब्धि है। हमने शरणार्थी शब्द की समस्या को खत्म कर दिया है, यह हमारी उपलब्धि रही। हमारी दूसरी उपलब्धि है कि शायद भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जो 500 स्टेट का भारत में विलय होना है जिसकी तुलना संसार में शायद कहीं नहीं मिली। एक उचित ढंग से सरदार बल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को भारत में विलय कराया और अफसोस यह है कि केवल एक स्टेट रह गया जो अभी तक हमारे लिए नासूर बना हुआ है।

हमारे देश ने अपनी इन समस्याओं को सुलझाने के लिए डेमोक्रेटिक रास्ते को चुना और चुनने के पश्चात लोगों को आंसू पोंछने के जो प्रयास किए उसमें सफलता भी मिली और असफलता भी। जहाँ तक राजनैतिक चेतना और सामाजिक चेतना की बात है उसमें जनता को सहाय मिली लेकिन सामाजिक न्याय और आर्थिक मुद्दों पर हमें काफी निराशा हाथ लगी, जो अपेक्षाएँ थीं वह पूरी नहीं हुईं। प्रशासनिक स्तर पर दलितों के, गरीबों के आर्थिक स्वभाव को, आर्थिक रूप से मरुद करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 45 वर्ष तक कांग्रेस सत्ता में रही, वह आरक्षण को पूरा नहीं कर पाई और 45 वर्ष के शासन में 45 हजार रिक्त स्थान दिखाई पड़े जिसके भरने के लिए हमारे स्वर्णिम राजीव गांधी जी ने अथक प्रयास किया और उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को स्पेशल अभियान चला करके इनको भरती करने का प्रयास किया और जब 1992-93 में इसको रिव्यू किया गया तब साढ़े सनह हजार की बेकेंसी रह गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म कर दिया था। लेकिन उसको भारतीय संसद ने बड़े कम समय में हमारे केसरी जी ने, हमारी संसद ने दो महीने के अंदर ही संविधान में संशोधन किया और रिजर्वेशन इन प्रमोशन को क्रयम रखा। यह एक बहुत अच्छी उपलब्धि रही है इस संसद की और हमारी पिछली सरकार की। मान्यवर, अनुसूचित जाति, दलितों, पीड़ितों और शोषितों के लिए सरकार ने बहुत से प्रोग्राम बनाए, बहुत से कार्यक्रम बनाए और छठी पंचवर्षीय योजना से लेकर के अब तक 20 हजार करोड़ रुपए इनके उत्थान के लिए खर्च किए। अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या बीस करोड़ है और बीस करोड़ की आबादी के लिए 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन जब हम गांवों में जाते हैं और देखते हैं कि दलितों के नाम पर सारे गांव का उत्थान हुआ है, बिजली लगी है लेकिन जहाँ से दलित बस्ती शुरू होती है वहाँ से विकास का काम अवरुद्ध हो जाता है और वहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो नाममात्र को। पूरे गांव को अगर श्री फेस की बिजली दी गई है तो दलित बस्ती के लिए सिंगल फेस की बिजली दी गई है जिससे वह तरक्की नहीं कर सके। सोनपुर और मिर्जापुर के जो गांव हैं उनमें नल सैक्शन है लेकिन लगा कहीं और है। कुआ उनके लिए सैक्शन है पर खुदा कहीं और है, बिजली उनके नाम से सैक्शन है, पूरा गांव बिजली से भरा पड़ा है लेकिन उनके गांव में बिजली नहीं है। कनौर का गांव है। पहले अनुसूचित जाति की बस्ती पड़ती है, बाद में जनरल जाति की बस्ती पड़ती है और बागल में पिछड़ी

जाति की बस्ती पड़ती है। न तो अनुसूचित जाति की बस्ती में बिजली दी गयी है, न पिछड़ी जाति को बिजली दी गयी है पर बीच में रहने वालों को बिजली दी गयी है। महोदय, इम्प्लीमेंटेशन की जो कठोर नीति है, उसको देखने की बात है कि हरिजनों के नाम पर किए गये विकास का लाभ न पिछड़ों को मिला, न हरिजनों को मिला। वह मिला तो केवल जनरल कास्ट के लोगों को, जो बीच में रह रहे हैं। इन सब चीजों में सुधार करने की आवश्यकता है। एक करोड़ रुपया जो हम लोगों को दिया जाता है वह वास्तव में कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। जो विकास की बातें की जा रही हैं, वह सारे विकास के रुपये दूसरे कामों में खर्च हो रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर उतने खर्च नहीं हुए जितनी अपेक्षा थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता की पचासवीं वर्ष जयंती के अवसर पर प्रत्येक देशवासी का गौरवान्वित होना स्वाभाविक है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ हमारा सर 50 वर्षों में सबसे बड़े लोकतंत्र को दुनिया में चलाने के लिए गौरवान्वित है वहीं यह आत्मनिरीक्षण का भी समय है। पचास वर्षों की अवधि बिताने के बाद हमने क्या सोचा था और हम कहाँ पहुँचे हैं, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। लोकतंत्र — चुनाव करके हम स्वतंत्रतापूर्वक सरकार चलाए—खाली उठने से ही परिपूर्ण नहीं होता। आज भी चुनाव के संबंध में क्या हम इस बात को नहीं मानेंगे कि चुनाव में धनबल, बाहुबल और जातीयता के जोर से लोग चुनकर आते हैं? जब तक चुनाव में इस प्रकार का सुधार नहीं होगा—बाहुबल, धनबल और जातिवाद को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक क्या सच्चे प्रतिनिधि, जमीन से जुड़े हुए आदमी संसद में अपने लोगों की आवाज बुलन्द करने आ सकेंगे? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि न केवल चुनाव में सुधार की आवश्यकता है बल्कि धीरे-धीरे पांच दिन की बहस में हम सबने इस बात को स्वीकार किया है और यह बात सामने आयी है कि आज तेजी से राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है और अपराधीकरण के बढ़ते धीरे-धीरे यह स्थिति आ गयी है, अनेक वक्ताओं ने भी कहा और हम लोग भी यह महसूस करते हैं कि जनता का राजनीतिज्ञों के प्रति विश्वास खत्म हो गया है। राजनीतिज्ञों को अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। इसके लिए हम चाहे दूसरी किसी भी व्यवस्था को दोष दें, जैसा अनेक वक्ताओं ने कहा

है, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक लोग देश के नेतृत्व के शीर्ष पद पर होते हैं और इनके आचरण का प्रभाव सारी जनता पर पड़ता है। जिस प्रकार से अगर गंगोत्री से गंदा पानी आ जाए तो गंगा जी में साफ पानी नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता यह है कि क्योंकि देश का नेतृत्व राजनीतिक व्यक्ति करते हैं इसलिए सबसे पहले निर्मल चरित्र और साधु सुधार राजनीतिक दलों से होना चाहिए। हमने दुर्भाग्य से पिछले अनेक वर्षों में राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ा दिया है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की है कि हम कानून के एजेंसियों की तो बात करते हैं लेकिन क्या हमने नौकरशाही का भी धीरे-धीरे राजनीतिकरण नहीं कर दिया? जो नौकरशाही संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, जो नौकरशाही देश के कानून और व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है, अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण उसका राजनीतिक उपयोग कर — चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो — हमने धीरे-धीरे नौकरशाही का भी राजनीतिकरण कर दिया है। इसके कारण भी आज गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता। इसी प्रकार से मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद हमने अपने अधिकारों पर तो बहुत जोर दिया है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। अगर हम अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों पर जोर नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमको अधिकार पाने का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार से उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा समय मेरे पास नहीं है किन्तु मैं कुछ संक्षिप्त बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

50 वर्ष पहले लोगों ने क्या-क्या सपने संजोये थे जब आजादी हमें मिली थी। आजादी के वक्त लोगों के चेहरों पर लाली थी, एक उन्माद था। गरीबों को उम्मीद थी कि हमें छठी झोपड़ी तक भी विकास की रोशनी पहुँचेगी लेकिन क्या आप इन 50 वर्षों में उन तक रोशनी पहुँचा सके हैं? पचास वर्ष गुजर जाने के बाद आज भी 32 करोड़ लोगों का गरीबी की रेखा से नीचे होना हमारे लिए वास्तव में शर्म की बात है—ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। हम गांधी जी का नाम लेते हैं और लेना भी चाहिए। वे इस देश के महान योद्धा थे, राष्ट्रपिता हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि गांधी जी के पद-चिह्नों पर क्या हमने चलने की चेष्टा की है? गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ। हम तो उदारीकरण के नाम पर विदेशी की तरफ भाग रहे हैं और विदेशियों को भारत में बुला रहे हैं। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज गांव को ईकाई

मानकर उसका विकास प्रारम्भ किया जाए। हमने तो गांवों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है और उसका प्रतिफल यह हुआ कि गांव उजड़ते चले गए और शहर भी बेड़ों तरीके से झुगी-झौपड़ियों की समस्या से ग्रस्त होते चले गए हैं। हमने पिछले 50 वर्षों में गांवों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया है। गांधी जी तो बहुत सी बातें कहते थे। गांधी जी चाहते थे कि शराबबन्दी हो, लेकिन क्या हम शराबबन्दी की तरफ बढ़ रहे हैं? हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। खाली गांधी जी के नाम की माला जपने से देश का विकास नहीं हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आम नागरिकों के लिए पांच मूलभूत आवश्यकताएं हैं—एक शिक्षा, दूसरी चिकित्सा, तीसरे पीने का शुद्ध पानी, चौथे छोटे-मोटे उद्योगों के लिए बिजली और पांचवा सड़क। लेकिन क्या हम इन पांचों चीजों को गांवों में मुहैया कर सके हैं? मैं आपको एक-दो उदाहरण और देना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास ज्यादा सबब नहीं है।

महोदय, मध्य प्रदेश में शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि मध्य प्रदेश के 16 हजार गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं हैं, मैं हाईस्कूल और कालेज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज भी वहां पर 16 हजार गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। आप ही बताइये कि जिस प्रदेश में आंधी के लगभग आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की हो तो उनके बच्चे किस प्रकार से अपना और देश का विकास कर सकेंगे और किस प्रकार से उन तक आजादी की रोशनी पहुंच सकेंगी?

महोदय, उसी प्रकार से पानी का हाल है। आज भी मध्य प्रदेश के हजारों गांवों में पीने को शुद्ध जल नहीं मिलता है। मेरे पूर्व वक्ता चुन्नी लाल जी ने बताया कि पानी के अभाव में लोग तालाब के पानी में ही नहाते हैं, उसके पानी को पीते हैं और उसी के पानी में खाना बनाते हैं। यह हजारों गांवों की दुर्दशा है। मैं चिकित्सा की बात कहना चाहता हूँ। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आदिवासी इलाकों में, जिनके नाम पर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, आज भी सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर जिलों में प्रत्येक वर्ष मलेरिया की बीमारी से हजारों लोग चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं। वहां पर मलेरिया की बीमारी का इलाज नहीं होता है। पिछले वर्ष भी सरगुजा में ढाई-तीन सौ आदमी मलेरिया के बुखार के शिकार हुए। ऐसा पीने के लिए शुद्ध जल न मिलने के कारण और चिकित्सा की उचित व्यवस्था न होने के कारण होता है। तो क्या यह हमारे लिए शर्म की बात

नहीं है कि आजादी के पचास साल बाद भी हमारे आदिवासी बन्धु, हमारे गरीब बन्धु या तो पीने के पानी के अभाव में या चिकित्सा के अभाव में अपने प्राण त्याग दें और हम बड़ी-बड़ी तरकी और विकास की बातें करें?

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं आर्थिक असमानता की बात कहता हूँ। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ और मैं उस पर कोई लम्बा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। माननीय प्रणब मुखर्जी साहब ने उस पर काफी लम्बा भाषण दिया है। मैं तो एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि इस देश का गरीब एक ओर अपने बच्चों को 12 रुपये लीटर का दूध नहीं पिला सकता है जबकि दूसरी ओर इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो अपने बच्चे को 12 रुपये लीटर मिनरल वाटर पिला रहा है। इस प्रकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में निर्मित हुई है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार बातें और कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमने चार-पांच दिन काफी विश्लेषण किया है और मैं समझता हूँ कि सारे विश्लेषण के आधार पर हम एक बार फिर से आत्म-चिंतन करें। यह वर्ष हमारे आत्म चिन्तन का वर्ष है और हम उस पर विचार करके अगर कुछ कार्य ईमानदारी के साथ करें तो बहुत अच्छा होगा। इस में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश में चाहे किसी भी पार्टी का राज हो, यह तो एक अलग जनता का अधिकार है। इस देश में इतनी क्षमता है कि यह देश सारी दुनिया में एक शक्तिशाली भारत बनकर उभर सकता है। इस देश में कृषि के योग्य बढ़िया जमीन है, इस देश में पानी के लिए अनेक नदियां हैं, पर्याप्त जल है। फारेस्ट है, खनिज है, बापू है, परमेश्वर द्वारा इतना देने के बाद प्रतिभाएं हैं जिनकी हम कटार नहीं करते हैं, जिसके कारण लोग विदेशों में पलायन करते हैं। यहां किसी बात में कमी नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जो मेरे मन में कई बार खटकता है वह यह है कि हमारी आजादी 1947 में आई। जापान 1945 में पराभूत हुआ। जापान पर दो साल पहले अणु बम का प्रयोग हुआ था, एटम बम का प्रयोग हुआ था जिससे दो बड़े शहरों और लाखों की आबादी का विनाश हो गया था। वह जापान जो पराभूत राष्ट्र था आज अमरीका से आर्थिक स्थिति में होड़ लेने की चेष्टा कर रहा है। हमारे पास किस बात की कमी है कि 50 साल के बाद भी हम तीन लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं और आज भी हमारे वित्त मंत्री दे दे रकम, दिला दे रकम करते कर्जा मांगे घूम रहे हैं, किस बात की कमी है? इस बात की कमी है कि हमारे देश की प्रतिभाओं को खड़ी ठीक प्रकार से अवसर नहीं

मिलता। मैं दो तीन छोटी-छोटी बातों का सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

सबसे पहले मैंने कहा कि जहां हम अधिकारों की बात करते हैं, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। कर्तव्यों के ऊपर भी हमें जोर देना चाहिये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव नियमों में व्यापक सुधार किया जाये जिससे इस देश की जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जिसके पास चाहे धन हो, चाहे न हो, बाहुबल, जातीयता इन सबसे परे हटकर जो देश के लिए समर्पित हो, देश के लिए चिंतन करता हो, इस प्रकार के सुधार करके निर्वाचित हो सके, यह हमको सुनिश्चित करना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार पर लम्बा-चौड़ा नहीं बोलना चाहता। मुझे आपने टोक दिया है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की बातें तो बहुत हो गई हैं। इसको करने की आवश्यकता नहीं है। इस भ्रष्टाचार को ईमानदारी व कठोरता से समाप्त करना चाहिये। यह भ्रष्टाचार हमारे शरीर में घुन का काम कर रहा है। एक रुपया केन्द्र से भेजे और 15 पैसे ही पहुंच पाते हों, 85 पैसे रखते में गायब हो जाये और इसके कारण विदेशों से जो कर्जा आया है। अगर धन का सही उपयोग होता तो हमारी यह दुर्दशा नहीं होती। भ्रष्टाचार को ईमानदारी और कठोरता से समाप्त करना चाहिये।

मैं अपनी आखरी बात कहकर समाप्त करूंगा कि योजना इस प्रकार से बनाई जाये कि गांवों को एक इकाई माना जाए। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं पर विचार किया जाए कि क्या कारण है कि इस देश की 75 प्रतिशत आबादी जो गांव में रहती है, आज भी पानी के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए, छोटी-छोटी समस्याओं के लिए बारहमासी सड़क के लिए तरस रही है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आज हम गांधी जी की बात पर चले। जो उन्होंने ग्राम स्वराज का सपना दिया था, ग्राम स्वराज का नारा दिया था, हम गांव को इकाई मानकर और मूलभूत 5 चीजें जैसी मैंने कही पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और सड़क प्रत्येक गांव को हम मुहैया कराकर हम अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएं। महोदय, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत की आम जनता को आज़ादी की पहली किरण, आजादी के विकास की रोशनी उनकी झोपड़ियों तक पहुंचाने में सक्षम हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी (नाम निर्दिशित):

मैं इस मौके पर जो आज का मौजू है उस सिलसिले में यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का जम्मूरी निज़ाम, हिन्दुस्तान की जम्मूरियत इस काबिल है कि उस पर फख्र किया जाए। देश का बंटवारा हुआ, एक ऐसा पाकिस्तान बना उसने कहा कि हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। नारा जरूर दिया लेकिन इस्लामी हुकूमत की बात कायम नहीं की। उस जमाने की जो कम्युनल पार्टी थी उसके दबाव के बावजूद भी हिन्दुस्तान के रहनुमाओं ने हिन्दुस्तान को सेक्कुलर और जम्मूरी मुल्क बनाया। इस मुल्क के अन्दर बिला इम्तियाज, मजहब, जात-बिरादरी सब को बराबर का हक दिया। महल में रहने वाला आदमी और आसमान की छत के नीचे सोने वाला आदमी दोनों को बराबर हक मिला। मसाबत कायम की गई और बही बजह है कि आज 50 वर्ष के बाद बहुत सारी चीजें न होने के बाद भी, कमी होने के बाद भी हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि आज हमारी जम्मूरियत की जड़ बहुत मजबूत है। हिन्दुस्तान की जम्मूरी डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। बहुत से लोग बात करते हैं मुख्यधारा की। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आज हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी खसूसियत यही है कि यहां अनेकता में एकता है। मुख्यधारा का नाम देकर, इसकी दुहाई देकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हमारे शिख सेना के भाई बोल रहे थे, हम तो इसमें यकीन नहीं रखते लेकिन पुनर्जन्म के अकोदे के अंदर आप यकीन रखते हैं। क्या होती है अकलियत की भावना, क्या होती है अकलियत की बेएतमादी, अगर भगवान मरने के बाद आपको पुनर्जन्म दे तो किसी अकलियत के घर में आप पैदा हो जाए और आपको पिछले जन्म की बातें याद रहे तो फिर आपको महसूस होगा कि उस जन्म में हमारी क्या मानसिकता थी और आज क्या है। लेकिन शायद इसमें समय लगेगा। मैं एक वाक्य आपको सुनाना चाहता हूँ। 1965 में चटरगांव में, जब बंगलादेश नहीं बना था, वह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था तो हमारे गोरखपुर के वजीर श्री इस्तफा हुसैन अंसारी के बड़े भाई अल्लाफ साहब चटरगांव गए। वह होटल में खाना खा रहे थे। एक दम हंगामा हुआ कि हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया। वह खड़े हो गए और पसीने में डूब गए। घबराहट उन पर तारी हो गई लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि वह पाकिस्तान में हैं। तब पसीना पोछकर आराम से बैठकर वह खाना खाने लगे। यह जो घबराहट थी यह हिन्दुस्तान के मुसलमान की थी और फिर उनके अंदर एतमाद तब पैदा होता है जब वह इस बात को महसूस करते हैं कि वह पाकिस्तान के अंदर हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मुख्य धारा के नाम पर अगर कोई यह समझता है कि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों को अपने में जज्ब करने का मौका मिलेगा तो यह उनकी भूल है। हमको वफादारी देखनी होगी। मुल्क के हम लोग वफादार हैं। हम कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की चाहे आजादी की लड़ाई हो और चाहे हिन्दुस्तान पर जब भी आजादी के बाद बाहरी हमला हुआ, तो देश के सम्मान की बात हो या देश की रक्षा करने की बात हो या उसके हिफाजत का सवाल हो, मुसलमान कभी पीछे नहीं रहा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने दिलो-दिमाग में बुरात पैदा करें और सब को साथ लेकर चलने के लिए खुद जियो और दूसरे को जीने दो की बात पर चलेगें तो मुल्क मजबूत होगा। लेकिन संकीर्णता के इस भाव से मुख्यधारा का नाम लेकर किसी को मिटाने की कोशिश करना, इससे देश मजबूत नहीं होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में भी बुनकर आगे आगे थे। कांग्रेस के आजादी के प्रस्ताव से पहले कलकत्ता के अंदर मोमिन काफ़ेस के झंडे के नीचे मुनअक़िद इजलास में हिन्दुस्तान की आजादी का मुतालबा किया गया था, यह सब को मालूम है। हिन्दुस्तान में अंग्रेज हाकिम बनकर नहीं आए थे, व्यापारी बनकर आए थे। जब वे आए थे तो हिन्दुस्तान के अंदर सबसे बड़ा व्यापार कपड़े का व्यापार था और जो हैडलूम का कपड़ा था, करघे का कपड़ा था उसका निर्यात, उसका एक्सपोर्ट होता था। यह वह दौर था जब लंकाशायर और मानचिस्टर में मशीनें लग चुकी थी, पावर लूम लग चुके थे और मिलों में काम शुरू हो चुका था और उन मिलों ने कपड़ा उगलना शुरू कर दिया था। उन्होंने सोचा कि हिन्दुस्तान बड़ा मुल्क है, करोड़ों का मुल्क है और यह बहुत बड़ी मंडी बन सकती है। क्योंकि वह व्यापारी थे। व्यापारी बन कर के आए थे तो सब से पहले उन्होंने निशाना बुनकरों को बनाया। हमारे किसी साथी ने कहा था कि यह बात सही है कि बुनकरों के अंगूठे कटवाए गए। यह बात सही है कि सारे बुनकर जो बहुत अच्छे कारीगर थे और उनको लालच दे कर कि चलो इंग्लैंड हम तुम को बहुत बड़ी क़ाबिलगिरी देंगे ले जा कर के उनको समुद्र में डुबो दिया गया था। यही वजह थी कि हिन्दुस्तान के बुनकर अंग्रेजों को अपना दुश्मन नंबर एक मानते थे। जब मुस्लिम लीग की आंखी चल रही थी तो कांग्रेस के साथ शाना-बराना हो कर के कंधे से कंधा मिला कर के यह तबका चलता था। मैं जिस परिवार से आता हूँ मेरे

वालिते बुजुर्गवार कट्टर नेशनलिस्ट थे, आलमेदीन थे और कहते थे कि अंग्रेजी पढ़ना हराम है। अंग्रेजी ज़बान से उनको नफरत नहीं थी नफरत तो इस बात से थी कि उस ज़माने में जो लोग पढ़ते थे नौकरी के लिए पढ़ते थे अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए पढ़ते थे वह यह कहते थे कि हमें अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी है, हम भूखे रह सकते हैं, नंगे रह सकते हैं लेकिन अंग्रेजी पढ़ कर अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। 1947 में उन्होंने यह कहा कि अब अंग्रेजी पढ़नी चाहिये, पढ़ना ज़रूरी है इसलिए कि अब देश की सेवा करनी है। मैं आज कहता हूँ मेरा चौथा भाई एम०टेक० है जो भटकल इंजीनियरिंग कालेज में प्रोफेसर है। मेरा छठा भाई मोहम्मद अज़हर नोमानी, 1965 में उसको कहा गया कि आपको कश्मीर में जाना होगा। आई०पी०एस० में 100 अफसरों की लिस्ट में सिर्फ तीन मुसलमान थे। उसको बताया गया कि रिपोर्ट यह आई है कि आप ही नेशनलिस्ट परिवार से आते हैं और कश्मीर के अन्दर नेशनलिस्ट परिवार के नौज़वान को भेजना है, इसलिए आपको भेज रहे हैं। उसने अब्बा से यह बात कही तो उन्होंने कहा कि बेशक तुम कश्मीर में जाओ और वहां जा कर तुम्हें खिदमत करनी है। बाकी बातों को बीच में छोड़ कर मैं कहना चाहता हूँ कि जब बगावत हुई अभी पिछले दिनों कश्मीर के अन्दर हमारे शारिक साहब बैठे हैं, जानते होंगे उनको अडिशनल डायरेक्टर जनरल (पुलिस) बना कर के भेजा गया। उनके जाने के दो दिन के अन्दर ही उन्होंने बगावत को फरो कर दिया जो बगावत महीनों से फरो नहीं हो रही थी, खत्म नहीं हो रही थी। दो दिन के अन्दर खत्म कर दिया। 24 अप्रैल, 1993 में गये थे और ऐसे वक़्त में जब उनको चार जुलाई को डायरेक्टर जनरल (पुलिस) का चार्ज लेना था लेकिन 3 जुलाई को उनको दोबारा हार्ट अटैक हुआ और वह इस दुनिया से चल बसे। आज उनकी कब्र भी श्रीनगर के अन्दर है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्य धारा में होने का पैमाना क्या है, मुल्क की वफादारी का क्या पैमाना है? लेकिन मुझे यह अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बुनकरों में दो तरह के लोग हैं एक जो नार्थ में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं (समय की घंटी) लेकिन उनकी शक्ल सूरत अलग और नाम इस्लाम और मुसलफ़ की तरह और साऊथ में जो बुनकर हैं उनकी शक्ल दूसरी है। मुझे दुख और अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि साऊथ के बुनकरों के मुकाबले में नार्थ के बुनकरों को नज़र-अंदाज़ किया जाता है। वह बुनकर जो फनकार है जिसकी उंगलियों में फन है आज वह बुनकर और

बुनकर का बेटा सड़कों पर काम करने के लिए मजबूर है, पत्थर और ईंट तोड़ने के लिए मजबूर है। आज 70 फीसदी करघे बंद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह हाल उत्तर प्रदेश में है लेकिन बिहार के भी ज्यादा बुनकर तबाह हैं। मैं चाहता हूँ उनकी तरफ तबज्जो दी जाए। मैं यह चाहता हूँ कि उनके सूत और रेशम के मसले को हल किया जाए। अगर हिन्दुस्तान के अन्दर जरूरत के लिए फाइन्स किसम का रेशम नहीं मिलता है और बनारस के बुनकर आन्दोलित होते हैं, शॉर्टिंग भी है, हफ्ते के अन्दर तीन-तीन, चार-चार सौ रुपये कीमत बढ़ जाती है फी किलो तो बाहर से रेशम मंगाया जाए।

कितनी बड़ी दौलत है यह हिन्दुस्तान की। आप इससे अंदाज लगाइए कि तकरीबन 70 अरब रुपये का माल विदेश जाता है, एक्सपोर्ट होता है और हिन्दुस्तान को जरे मुनाफला फोरन एक्सचेंज मिलती है। हैडलूम के ऊपर डेढ़ करोड़ से ज्यादा आदमी काम करते हैं। पावरलूम के ऊपर 55-70 लाख से ज्यादा आदमी काम करते हैं। मिलों के अंदर 10 से 15 लाख आदमी काम करते हैं। मिलों के लिए सब कुछ दिया जाता है। अरबों और खबों रुपया खर्च किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बुनकरों के लिए, इन पावरलूम बुनकरों के लिए, हैडलूम के वर्कर्स के लिए कितना खर्च किया जाता है? मैं चाहता हूँ कि 50वीं सालगिरह जब मनवी जा रही है तो हिन्दुस्तान के इन संपूर्ण को भी निगाह में रखा जाए जिन्होंने देश की आजादी के लिए बड़ी से बड़ी कुरबानियाँ दी हैं। अभी हमारा गोरखपुर है, चोरी-चोर का किस्सा है। उसमें कौन था सबसे आगे झंडा लेकर—अब्दुल्लाह अंसारी था। हजारों लोग उस लड़ाई में शामिल थे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज के इस मौके पर हम तमाम शाहीदों को याद करते हैं। उनके सामने अपना सिर झुकाते हैं। उनके सलाम करते हैं और उनको नज़रने अक़ीदत पेश करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[[مولانا حبیب الرحمن نعمانی "نامزد"]]

میں اس موقع پر خراج کا موضوع ہے
اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
صفہ وستان کا جمہوری نظام - صفہ وستان
کی جمہوریت اس قابل ہے کہ اس پر

فخر کیا جائے۔ دیس کا بٹوارا ہوا۔
ایک ایسا پاکستان بنا۔ اسنے کہا کہ ہم
اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ نورو ضرور
دیا لیکن اسلامی حکومت قائم نہیں کی۔
اس زمانے کی جو کمیونل پارٹی تھی اسکے
دباؤ کے باوجود بھی صفہ وستان کے رہنماؤں
نے اس صفہ وستان کو سیکولر اور جمہوری
ملک بنایا۔ اس ملک کے اندر بلا امتیاز
مذہب - ذات - برادری - سبکو برابر
کا حق دیا۔ محل میں رہنے والا آدمی اور
آسمان کی چھت کے نیچے سونے والا آدمی
دونوں کو برابر حق ملا۔ مساوات قائم کی
گئی اور یہی وجہ ہے کہ آج پچاس سال کے
بعد بہت ساری چیزیں نہ ہونے لگیں
جی۔ مکی ہونے کے بعد بھی ہم فخر کے ساتھ
کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری جمہوریت کی جڑ
بہت مضبوط ہے۔ صفہ وستانی کی جمہوری
ڈھنگو کریس بہت مضبوط ہے۔ بہت سے
لوگ بات کرتے ہیں ملک کی دھار کی اسکے
بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج
صفہ وستان کی سب سے بڑی خصوصیت
یہی ہے کہ یہاں انیکتا میں ایکتا ہے
ملک کی دھار کا نام دیکر اسکی دھار
دیکر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا
چاہتے ہیں۔ ہمارے شیوہ سینگ کے بجائے
بول رہے تھے۔ ہم تو اسمیں یقین لائیں

رکھتے لیکن پنر جنم کے عقیدے کے انور
 آپ یقین رکھتے ہیں۔ کیا سوتی ہے
 اقلیت کی معاونت۔ کیا ہوتی ہے اقلیت
 کی بے اعتمادی۔ اگر بھلاؤں مرنے کے بعد آپکو
 پنر جنم دے اور آپکو پچھلے جنم کی باتیں یاد
 رہیں تو کسی اقلیت کے ٹکڑے میں آپ پیدا
 ہو جائیں تو پھر آپ کو محسوس ہو گا کہ
 اس جنم میں ہماری کیا مانسکتا تھی اور
 آج کیا ہے۔ لیکن شاید اس میں وقت لگے گا۔
 میں ایک واقعہ آپکو سنانا چاہتا ہوں۔
 ۱۹۹۵ میں جٹکھام میں جب بنگلہ دیش
 نہیں بنا تھا۔ وہ پوری پاکستان کے نام
 سے جانا جاتا تھا تو ہمارے گورکھپور کے
 وزیر شری (اصطفیٰ احسن) انصاری کے
 بڑے بھائی (اصطفیٰ الطاف صاحب جٹکھام
 گئے وہ ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے۔
 ایک دم ہنگامہ ہوا کہ صفو مسلم دنگا
 ہو گیا وہ کمرے سے نکلے اور پستینے میں
 ڈوب گئے۔ گھبراہٹ ان پر طاری ہو گئی
 لیکن پھر انھیں خیال آیا کہ وہ پاکستان
 میں ہیں۔ تب پستینہ پونچھ کر آرام سے
 بیٹھ کر وہ کھانا کھانے لگے یہ جو گھبراہٹ تھی
 یہ صفوستان کے مسلمان کی تھی اور پھر
 اگلے انورا اعتماد تب پیدا ہوا تب جب وہ
 اس بات کو محسوس کرے ہیں کہ وہ پاکستان
 کے انور تھے۔

اب سبھا اور عیالکشی مہودے۔ میں
 اس بات کو کہتا چاہتا ہوں کہ مجھے دھارا
 کے نام پر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اکثریت
 کو۔ اقلیتوں کو اپنے میں جذب کرنے کا موقع
 مل گیا تو یہ انہی معمول ہے بھوک و فاداری
 دیکھنی ہو گی۔ ملک کے ہم لوگ و فادار
 ہیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ صفوستان کی
 چاہے آزادی کی لڑائی ہو اور چاہے
 صفوستان پر جب بھی آزادی کے بعد
 باہری حملہ ہوا تو دیش کے سٹان کی بات
 ہو یا دیش کی رکشا کرنے کی بات ہو یا
 اس کی حفاظت کا سوال ہو۔ مسلمان بھی
 سمجھ نہیں رہا۔ اسلئے میں آپکو کہتا چاہتا
 ہوں کہ اپنے دل و دماغ میں وسعت
 پیدا کریں اور سبکو ساتھ لیکر چلنے کیلئے
 خود جینو اور دوسروں کو جینے دو کی بات
 پر چلیں گے تو ملک مضبوط ہو گا۔ لیکن
 مستحکم رہنے کے اس معاوضے مجھے دھارا
 کا نام لیکر کسی کو مٹانے کی کوشش کرنا۔
 اس سے دیش مضبوط نہیں ہو گا۔

اب سبھا اور عیالکشی مہودے۔ میں
 ایک اور بات کی طرف آپکا دھیان
 دلانا چاہتا ہوں کہ صفوستان کی آزادی
 کی لڑائی میں بھی بنکر آئے آگے نہ گئے۔
 لائبریس کی آزادی کے پرستاروں سے
 پہلے ملک کے انور قوموں کا فرنس

کے جھنڈے کے نیچے منعقد اجلاس میں
 صنف وستان کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا
 تھا۔ یہ سبکو معلوم ہے۔ صنف وستان
 میں انگریز حاکم بن کر نہیں آئے تھے ویاپاری
 بنکر آئے تھے جب وہ آئے تھے تو صنف وستان
 کے اندر سب سے بڑا ویاپاری کہلے کا
 ویاپار تھا اور جو ہینڈلوم کا جوئیرو تھا۔
 کرکھے کا کرکھا تھا اس کے قریب اس کا
 آئیسی پورٹ ہو تا تھا یہ وہ دور تھا جب
 لکنا شاپر اور مانچیسٹر میں مشینیں لگ
 چکی تھیں۔ پاور ہوم لگ چکے تھے اور ملوں
 میں کام ہو چکا تھا اور ان ملوں نے پورا
 اگلنا شروع کر دیا تھا۔ انھوں نے سوچا
 کہ صنف وستان بڑا ملک ہے۔ کروڑوں کا
 ملک ہے اور یہ بہت بڑی منڈی ہی سکتی
 ہے کیونکہ وہ بیوپاری تھے۔ ویاپاری
 بن کر آئے تھے تو سب سے پہلے انھوں
 نے نشانہ بنکروں کو بنایا ہمارے کسی
 سامعی نے کہا تھا کہ یہ بات صحیح ہے
 کہ بنکروں کے انگوٹھے لکوائے گئے کہ یہ
 بات صحیح ہے کہ سارے بنکر جریت
 اچھے کاری کرتے انکو لالچ دے کر کہ
 چلو انٹلیٹڈ ہم تم کو بہت بڑی تنخواہ
 دیں گے۔ بے جا کر کے انکو سمندر میں ڈبو
 دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صنف وستان
 کے بنکر انگریزوں کو اپنا دشمن بن کر ایک

سامنے تھے۔ جب مسلم لیگ کی آنکھیں
 چل رہی تھیں تو کانگریس کے سامنے نشانہ
 ایشانہ بن کر آئے تھے یہ کہہ رہا تھا کہ
 یہ طبقہ چلتا تھا۔ میں جس پر ہمارے
 آٹا پانی میرے والد بن کر آکر کٹر نیشنلسٹ
 تھے۔ عام دیہات تھے اور کہتے تھے کہ انگریزی
 بڑا حاکم ہے۔ انگریزی زبان ہے انکو
 نفرت تھی۔ نفرت تو اس بات سے
 تھی کہ اس زمانے میں جو سوک پڑھتے
 تھے نوکری کے لئے پڑھتے تھے۔ انگریزوں
 کا غلامی کر کے لکھتے پڑھتے تھے وہ یہ کہتے
 تھے کہ ہمیں انگریزوں کی غلامی نہیں کرنی
 ہے۔ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں۔ لنگے رہ سکتے
 ہیں لیکن انگریز ہی بڑھکر انگریزوں کی
 غلامی نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے ہی ہمارا
 ملک آزاد ہوا ۱۹۴۷ء میں انھوں نے
 کہا کہ اب انگریزی پڑھنی چاہئے پڑھنا
 ضروری ہے اصل یہ کہ اب دیش کی سیوا
 کرنی ہے۔ میں آج کہتا ہوں میرا چوتھا بھائی
 ام۔ شیک ہے جو مشکل انجیرنگ کالج
 میں پڑھتا ہے۔ میرا چھٹا بھائی محمد کبیر
 ۱۹۶۵ء میں اسکو کہا گیا کہ آپکو کسٹمر میں
 جانا ہو گا۔ آئی۔ پی۔ ایس۔ میں۔ ۱۰۰
 افسروں کی کسٹ میں عرف بن مسلمان
 تھے اسکو بتایا گیا کہ رپورٹ یہ آئی ہے
 کہ آپ ہی نیشنلسٹ پر ہمارے آئے

میں اور کشمیر کے انور نیشنلسٹ پر ہمارے
کے نوجوان کو بھیجنا ہے اسلئے آہستہ
بھیج رہے ہیں اسنے اتنا سے یہ بات کہی تو
انہوں نے کہا کہ بے شک تم کشمیر میں
جاؤ اور وہاں جا کر تمہیں خود مت کرنی
ہے۔ باقی باتوں کو بیچ میں چھوڑ کر میں
کہنا چاہتا ہوں کہ جب بغاوت ہوئی ابھی
پچھلے دنوں کشمیر کے انور ہمارے شائق
صاحب سے ملے تھے۔ جانتے ہو گئے انکو
ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بنانے کے
بھیجا گیا۔ اننے جانے کے دو دن کے اندر میں
انہوں نے بغاوت کو فرو کر دیا جو بغاوت
مہینوں سے فرو نہیں ہو رہی تھی۔ ختم
نہیں ہو رہی تھی۔ دو دن کے اندر ختم
کر دیا۔ ۱۲ اپریل ۱۹۹۳ء میں لگے تھے۔
اور ایسے وقت میں جب انکو ۱۷ جولائی
کو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کا چارج
لینا تھا لیکن ۳۰ جولائی کو انکو دوبارہ
ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے
چلے گئے۔ آج انکی قبر بھی سری نگر کے انور
ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے دھار میں
ہونے کا پیمانہ کیا ہے۔ ملک کو فساداری
کا کیا پیمانہ ہے۔ لیکن مجھے یہ افسوس
تھے اسلئے کہنا پڑتا ہے کہ بینکروں میں ۷۰
فیصد کے لوگ ہیں۔ ایک جو نارفو میں
رہتے ہیں۔ بہار میں رہتے ہیں۔ اتر پردیش

میں رہتے ہیں۔ ۷۰ وقت کی گھنٹی
لیکن انکی صورت و شکل الگ اور نام
اصطفیٰ اور مصطفیٰ کی طرح اور ساؤتھ
میں جو بینک ہیں انکی شکل دوسری ہے۔ مجھ
دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ ساؤتھ کے بینکوں کے مقابلے میں نارفو
کے بینکوں کو لٹرا کر لیا جاتا ہے۔ وہ بینک جو
فخار ہے جسکی انگلیوں میں فون ہے
آج وہ بینک اور بینکر کا بیٹا سڑکوں پر کام
کرنے کے لئے مجبور ہیں پتھر اور رائٹ توڑنے
کیلئے مجبور ہے۔ آج ۷۰ فیصد ہی لگے ہو
ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ
حال اتر پردیش میں ہے۔ لیکن بہار کے
میں زیادہ بینکر تباہ ہیں میں چاہتا ہوں
کہ انکی طرف توجہ دی جائے۔ میں یہ کہنا
چاہتا ہوں کہ انکے سموت اور ریشم کے
مسئلے کو حل کیا جائے اگر صفدوستان کے
انور ضرورت کیلئے رفائنڈ قسم کار ریشم
ہیں ملتا ہے اور بہار اس کے بینکر آندولت
ہوتے ہیں۔ شارٹ بیج بھی ہے۔ صفدو
کے انور تین تین چار چار سو روپے
قیمت بڑھ جاتی ہے فی کلو۔ تو باہر
سے ریشم منگایا جائے۔ کتنی بڑی دولت
ہے یہ صفدوستان کی آپ اس سے
اندازہ لگائیے کہ تقریباً ۷۰ ارب روپے
کا مال و دیش جاتا ہے ایکسیپورٹ ہوتا

ہے اور صوبہ وستان کو جو زر مبادلہ فارن
ایکسی چیز ملتا ہے۔ صیفیٹوم کے اوپر
ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ آدمی کام کرتے
ہیں یا دروم کے اوپر ۵۵-۷۰ لاکھ سے
زیادہ آدمی کام کرتے ہیں۔ ملوں کے اندر
دس سے پندرہ لاکھ آدمی کام کرتے ہیں۔
ملوں کے لئے سب کچھ دیا جاتا ہے۔ اربوں
کھربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا
چاہتا ہوں کہ بنکوں کیلئے۔ ان یا دروم بنکوں
کیلئے۔ صیفیٹوم کے ورکروں کیلئے کنٹینر
کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ۵۰ ویں
سالگرہ جب منان جا رہی ہے تو صوبہ وستان
کے ان سبوتوں کو بھی نگاہ میں رکھا جائے
جنہوں نے دیش کی آزادی کیلئے بڑی سے
بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ابھی تمہارا گورنر
ہے "جوڑا جوڑی" کا قصہ ہے اس میں
نفا سب سے آگے جھنڈا لیکر عبد اللہ انصاری
نفا۔ ہزاروں لوگ اس بڑائی میں شامل
تھے۔ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آج
کے اس موقع پر ہم تمام شہیدوں کی یاد
کرتے ہیں ان کے سامنے اپنا سر جھکا
ہیں۔ انکو سلام کرتے ہیں اور انکو نذرانہ
عقیدت پیش کرتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے پیش
کا موقع دیا۔

شری موہندر سنگھ (پنجاب) : وارڈس چیئرمین
ساہب، बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ऐसे
शुभ अवसर पर वक्त दिया है। हम आजादी के 50
साल में अपना स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। यह स्पेशल
इजलास इसलिए किया गया है ताकि 50 साल की
आजादी के बाद हमने क्या खोया, क्या पाया इसको देख
सकें।

मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूँ जिन शहीदों ने
अपनी अटल जवानी, अपनी एज आजादी को प्राप्त करने
के लिए, देश के लिए कुरबान कर दी जैसे सरदार प्रताप
सिंह, शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चन्द्रशेखर
आजाद, सुखदेव, राजगुरु और अन्य नौजवान। अपनी
कुरबानी देकर इन्होंने इस देश की आजादी प्राप्त की।
डेमोक्रेसी और लोकराज्य हमें दिलाया। इस आजादी से
पहले सरकार में कोई भी हिस्सेदारी पंचायत से लेकर
लोक सभा तक हमारे भारतीय लोगों की नहीं थी।
लेकिन डेमोक्रेसी आने के बाद, उन लोगों की कुरबानी
के बाद यहां पर हम पंचायत से लेकर लोक सभा तक
पहुंचे हैं और अपनी सरकार बनायी है। पंचायत में भी
हमारी डेमोक्रेसी बनी है और लोग अपना वोट देकर पांच
साल तक अपनी सहमति से ग्राम पंचायत बनाते हैं और
ग्राम में अपना कामकाज करते हैं। हमारा ख्याल था कि
गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता, सेहत की संभाल और
बाकी छुआछूत आदि के बाद खत्म हो जाएंगे। दुख की
बात है कि आज 50 साल के बाद भी देश के अंदर
छुआछूत और गरीबी उसी तरह से गलियों में घूम रही
है। गरीबी उसी तरह से हर सतह पर अपने मुकाम पर
है।

आजादी के बाद बहुत ही हिम्मत के साथ बहुत से
लोग डाक्टर बने हैं, इंजीनियर बने और उसके बाद
काफी लोग साइंटिस्ट भी बने हैं। इनके लिए भी हम
बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन इनको अब भी रोजगार नहीं
मिल रहा है। सरकारी नौकरियों में कहीं कोई जगह नहीं
मिल रही है। वे बेचारे, ऐसा होता है कि भागकर बाहर
जाते हैं और बाहर जाकर उनको नौकरी मिलती है।
अपने देश के लोगों से प्राप्त नहीं कर सके हैं इसलिए
मजबूर होकर वे बाहर जाते हैं। बाहर जाकर वे अपना
रोजगार लेते हैं। यहां पर उनके रोजगार के लिए कोई
वसीले नहीं हैं, उन्हें किसी किसम की प्राप्ति नहीं होती।
हमने देश के अंदर एक कानून बनाया है कि देश के
लोगों—शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स किन्को
कहते हैं, की गरीबी दूर करनी है। इनको रोजगार देना
है। इनको विद्या देनी है। लेकिन आज 50 साल के बाद
कानून के आधार पर जो रजिस्ट्रेशन बनायी है, आज

कानून के आधार पर उन लोगों का जो रिजर्वेशन बैकलाग है उसको हम पूरा नहीं कर सके हैं। अब उनके लिए जो रुपया सेंटर से आता है वह भी उनके समय पर नहीं मिलता। उनके किताबों के लिए, जो डाक्टर हैं, जो वकील हैं उनके लिए जो रुपया मिलता है वह भी सरकार उनके समय पर नहीं दे रही है। यह डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इन पचास सालों में यदि लोगों की गरीबी और कुआछूत दूर नहीं कर सके तो उसके बाद क्या करेंगे।

4.00 P.M.

(उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं)

मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि उन लोगों की गरीबी दूर करने के लिए जो छोटे-छोटे धंधे हैं जैसे हौस्वरी का काम है, सिलाई मशीन का काम है और नट-बोल्ट आदि का काम है ऐसे धंधे उन गरीबों के लिए खुलने चाहिए और उसके लिए सहुलियतें मिलनी चाहिए। हम कहते हैं कि बेघर लोगों के लिए मकान देंगे लेकिन अभी तक वे लोग आसमान के साए तले जमीन पर सोते हैं। जमीन ही उनका बिस्तर है। अभी तक उन लोगों को मकान नहीं मिले और वे सड़कों पर सो रहे हैं, कहते हैं कि उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सी स्वीमें बनाई गई हैं लेकिन उनको बैंक अप करने का सरकार ने कोई कमीला नहीं बनाया है कि सरकार देख सकती कि जो रियायतें उनके लिए दी गई हैं वे ठीक-ठाक से उनको मिल रही है या नहीं। आजादी के इन पचास वर्षों के बाद भी उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है। देहातों में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको एगनकाईड नहीं मिल पाए, मकान नहीं मिल पाए और उनके साथ बलात्कार तक हो रहे हैं। उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उनके केस तक दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। हम आजाद हो गए लेकिन गरीब और गरीब बन रहा है। गरीबों के साथ कुआछूत और नफरत की जा रही है। उनको घरों में पानी नहीं मिल रहा है और दवाइयां नहीं मिल रही हैं। हरिजनों को आगे लाने का महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था वह भी पूरा नहीं हो रहा है। अब भी वे लोग पखाना साफ करते हैं। अभी तक उनका किताबें बैंक नहीं हुआ। गंदा उठाने की प्रथा अभी तक बरकरार है। कानून तो बना दिया लेकिन उस कानून पर कोई अमल नहीं हो रहा है।....(व्यवधान)

उपसभापति: कल्याण जी, आज जब अपनी बात खत्म करें।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: जाति-पात होने के बाद देश की ताकत बिखर रही है, तकसीम हो रही है। यदि हम जाति-पात रोकेंगे और कुआछूत खत्म करेंगे तो मैं समझता हूँ कि देश और मजबूत होगा। पहले से हमारा

पंजाब ऐसा है जिसने हमेशा हिन्दुस्तान के लिए खुशक दी है, आजादी को बरकरार रखने के लिए सब से ज्यादा कुर्बानी दी है और तीन जंगें हमने लड़ी हैं 12 साल हमने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है। उसके बावजूद हमने सरकार से दियासलाई तक की मांग नहीं की, कोई चीज़ नहीं मांगी, लेकिन सरकार ने फिर भी पंजाब की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी। अनाज, सिलाई की मशीन और टैक्सटाइल आदि सब कुछ पंजाब ने दिया है लेकिन अफसोस की बात है कि पंजाब के सन्नतकारों पर कोई टैक्स लगे हुए हैं और अफसोस तथा दुख की बात है कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है। उनके लिए कोई रियायतें नहीं दी जा रही हैं। जिन शहीदों ने शहीदियां देकर आजादी प्राप्त की है, आज उन प्रीडम फाइटरों को किसी किस की जो सहुलियत दी जा रही है वह उन तक पहुंच नहीं रही है। उनकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दे रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो देश की एक बुनियाद होते हैं, जो देश के लिए एक मजबूत दीवार होते हैं आज उनको भी पंजाब में ऐसी कोई सहुलियत नहीं जिससे कि उनमें उत्साह पैदा हो सके और वे लोगों के सामने आ सकें। उनके लिए अगर हम उन लेखकों को, साइंटिस्टों को और सन्नतकारों को डेमोक्रेसी में कोई रियायत नहीं देंगे तो देश कमजोर होगा। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जाति-पात से छुटकारा दिलाना चाहिए, कुआछूत को खत्म करना चाहिए, लेखकों, साइंटिस्टों और देशभक्तों के परिवारों का हमें सम्मान करना चाहिए। उनको पहल देनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमने इस आजाद देश में डेमोक्रेसी बहाल की है, कुआछूत खत्म की है।

उपसभापति महोदया, आज देश में दलित लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का जो बैकलाग है, वह उन के लिए बहुत बड़ा धोखा है। उन के साथ इस मामले में बेइसफाई हो रही है।

उपसभापति: कल्याण जी, आप समाप्त कीजिए। मुझे लास्ट स्पीकर श्री कटारिया को बुलाना है। चैयरमैन साहब आने वाले हैं।

श्री मोहिंदर सिंह कल्याण: मैडम, मैं दो शब्द कहकर आप से इजाजत लूंगा—

“फले-फूले यह आजाद देश भारत हमारा,
जिगर खून देकर हम ने यह उगाया।” जय हिंद।

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब): डिप्टी-चैयरमैन साहिबा, आजादी के इस 50वीं सालगिरह पर स्पीकर लोक सभा और चैयरमैन राज्य सभा ने यह विशेष सत्र बुलाकर उन शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करने का

मौन दिया, इस के लिए हम उन के **मशकूक** हैं। अज्ञ आजादी की 50वीं सालगिरह पर सब से पहले हम उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दीं और जिन की कुर्बानियों से देश आजाद हुआ।

आज हमें भगत सिंह याद आते हैं, राजगुरु बाद आते हैं, सुखदेव भी याद आते हैं, 1857 के तात्या टोपे, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के शहीद, उन्ना नहर के बे शहीद जोकि तोपों से उड़ा दिए गए, 1942 की हिंदुस्तान की आजादी की वह जंग जोकि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने देश से बाहर जाकर लड़ी, आईएनएण्ड के शहीद, काकोरी केस के शहीद गदर बाबू और कालापानी की जेलों में अपनी जानें कुर्बान करने वाले वह **खूबे** शहीद हमें याद आते हैं और हम उन शहीदों को अपनी खिराजे अकीदत, अपना सलाम पेश करते हैं। देश उन के सामने अकीदत से अपना तिर झुकाता है। डिप्टी-चैयरमैन साहिबा, करतार सिंह सराबा भी मर गए, ऊषम सिंह भी मर गए, मदन लाल ढोंगर मर गए, असफाक उल्ला मर गए। **राम प्रसाद बिस्मिल** भी "सर फरोज़ की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर किन्तना बाबुर कालित में है"—यह गीत गाकर फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। यह सब शहीद अपनी जानों पर खेल गए।

(सभापति महोदय बीठासीन हुए)

चैयरमैन साहब, हिंदुस्तान शहीदों की धरती है। दुनिया की तारीख में कभी ऐसी शहादत कहीं लोगों ने नहीं दी। हर इंसान मौत से डरता है, लेकिन हिंदुस्तान में भगत सिंह जैसे शहीद हुए, करतार सिंह सराबा जैसे शहीद हुए जिन्होंने मौत को लम्बेक कहकर पुकारा, "आओ मौत मेरे गले लग जाओ, ताकि हम कुर्बान हो जाएं" हिंदुस्तान की मिट्टी पर ऐसे हजारों भगत सिंह, करतार सिंह सराबा और ऊषम सिंह जैसे शहीद पैदा हों ताकि देश उन की शहादत से लम्बेक होकर उन की शहादत से मुतासिर होकर, यह देश आजाद हो। चैयरमैन साहब, मैं आप की वसतत से आज उन शहीदों को जहां सलाम पेश करना चाहता हूं, वहीं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस आजादी के लिए हिंदुस्तान के उन शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक हिंदुस्तान के किसी बशर की आंख में आंसू है, मैं हिंदुस्तान को आजाद नहीं समझूंगा लेकिन मुझे बड़े आफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 50 साल गुजरने के बाद भी हिंदुस्तान में उन बशरों की तादाद ज्यादा है जिनकी आंखों में आज भी आंसू हैं। लगता ऐसा है कि शायद हमारे शहीदों का खून सस्ता हो गया है। आज

50 साल के बाद हमें लेखा-जोखा करना है, अपनी बैलेंस शीट बनानी है कि क्या वह खाना जिन की तबीयत के लिए उन शहीदों ने कुर्बानियां दी थीं, अपनी जान की बाजी लगायी थी, जेल की सलाखों के पीछे गए थे, हजारों घर बर्बाद हुए थे, पंजाब और बंगाल की तत्कालीन हुई थी और लाशों से भरी हुई रेलगाड़ियों में अपनी आंखों से देखी हैं। वह लोग जो महल, कोठियों के मालिक थे, उनको रिफ्यूजी कैम्पों में मैंने देखा है। किसी की बेटी उधर रह गई, किसी की बहन इधर रह गई। करोड़ों इंसान बेघर हो गए। रिश्तेदारों का पता ही नहीं। आज भी उनकी माएं उनको याद करके रोती हैं। उनको पता नहीं कि उनकी बेटियां कहां हैं। कुर्बानियों की भी कोई हद होती है। आज जहां मैं उन शहीदों को सलाम करना चाहता हूं वहीं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस वतन की आजादी के लिए जिस सुनहरे हिंदुस्तान के लिए इन लोगों ने कुर्बानियां दी, आज इस हिंदुस्तान की गरीब की आंखों में आंसू हैं। आज भी यहां अनपढ़ता है, आज भी यहां गरीबी है, आज भी हम पढ़ते हैं कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को उनके हक नहीं मिलते हैं। कानून की किताब में तो हमने लिख दिया है कि सब इंसान बराबर हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के दिल की जो किताब है उस पर अभी भी भेदभाव है। आज भी मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है। आज भी कास्ट-पोलिटिक्स की जाती है, कर्षण का बोलबाला है। हालत यह है कि जो गरीब हैं, जो अपनी मेहनत मजदूरी से पढ़कर आगे आते हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती और नौकरियां नीलाम भी की जाती हैं। आज लीडर और लेड में जो रिश्ता है, डेमोक्रेसी इसके ऊपर खड़ी है। It is a way of life.

चैयरमैन साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि आज हमारे जो इलेक्शन होते हैं, वह किस तरह से होते हैं? किस तरीके से उसमें पैसे का इस्तेमाल किया जाता है? किस तरीके से शराब का इस्तेमाल किया जाता है। I must say that our democracy is not functioning efficiently and effectively, आज डेमोक्रेसी को इफेक्टिव करने की जरूरत है। आज जो हमारी लीडरशिप है, वह जाती है आबाम के बीच जब इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम लोगों के खिदमतगुजार हैं, हम लोगों के सर्वेण्ट हैं, लोगों के सेवक हैं, जब वह एम्प्ली बन जाते हैं या मिनिस्टर बन जाते हैं तो वह तो एन्डोशंड कमरे में बैठते हैं और जो हमारे मालिक हैं जो वोटर हैं वह बाहर खड़े उनका इंतजार करते हैं। आज हमारी फंक्शनिंग की यह हालत है कि अगर किसी पार्लियामेंट मੈम्बर को या मिनिस्टर को

50/1/97

मिलना हो तो उसके किन्ने ही चक्कर लगाने पड़ते हैं और उनके जो पी०ए० साहब होते हैं उनसे कितनी ही बार गुजारिश करनी पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को इंपलीमेंट किया जा सकता है, इफेक्टिव तौर पर उसको कैसे बनाया जा सकता है?

चेयरमैन साहब, मैं आपकी मार्फत दो-तीन चीजें कहना चाहता हूँ। अगर इस डेमोक्रेसी को, जिसको कहते हैं कि—*This is the best form of Government*. इसको इफेक्टिव बनाना है, तो लोगों को इलेक्शन के वक्त नहीं बल्कि इसको वे आफ लाइफ बनाना पड़ेगा। आज हमारे कंस्टीट्यूशन में 75 दफा अमेंडमेंट हो चुकी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस कंस्टीट्यूशन की एक कंफिहेन्सिव स्टडी करनी चाहिए और उसमें तरमीम की जाए। आप बेश्क़ पार्लियामेंटरी फॉर्म आफ गवर्नमेंट बनाइए, प्रेसीडेंशियल फॉर्म आफ गवर्नमेंट बनाइए, लेकिन जब तक पोलिटिकल विल नहीं है उस कंस्टीट्यूशन को इंपलीमेंट करने के लिए, इस डेमोक्रेसी का कोई फायदा होने नहीं जा रहा है।

चेयरमैन साहब, मैं आज आपकी खिदमत में यह कहना चाहता हूँ कि आज भी हिन्दुस्तान में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने स्कूल का मुँह नहीं देखा, आज भी हिन्दुस्तान में ऐसे गरीब लोग हैं जिन्होंने नए कपड़े पहनकर नहीं देखे हैं, आज भी हिन्दुस्तान में ऐसे लोग हैं जो पावरटी लाइन से बहुत नीचे रहते हैं और उन्होंने जिन्दगी का कोई सुख आराम नहीं देखा है। जो नक़्को हमारे शहीदों ने बनाए थे, जो ख़ाब हमारे देश के वीरों ने देखे थे, जिन्होंने अपनी जिन्दगियाँ कुर्बान कर दीं, आज उन ख़ाबों की तबीर के लिए कोई इफेक्टिव स्टाफ़ बनाने की ज़रूरत है। आज पचास साल की आजादी के बाद अगर हिन्दुस्तान में ऐसे करोड़ों ईंसान हैं, जिनको अपनी जिन्दगी में कभी खुशियाँ नसीब नहीं हुई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ न कुछ अभी और इस देश के लिए करना है।

चेयरमैन साहब, आज हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कहने को तो हम कहते हैं कि हमने गरीब को, पिछड़े हुए ईंसानों को, कुचले हुए ईंसानों को, दबे हुए ईंसानों को, जो सदियों से दबे हुए थे इस डेमोक्रेसी के माध्यम से ऊँचा उठाना है, लेकिन जो भी हिन्दुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट्स गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका अगर ईसाफ़ के लिए तराजू झुकता है तो वह गरीब के लिए नहीं झुकता, अमीर के लिए झुकता है। यह प्रो-पूअर नहीं है, यह प्रो-रिच एडमिनिस्ट्रेशन है।

और इस एडमिनिस्ट्रेशन को, इस ब्यूरोक्रेसी को जब तक आप प्रो पूअर नहीं बनाएंगे, आपका कंस्टीट्यूशन हो, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हों, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते।

चेयरमैन साहब, हिन्दुस्तान की तरफ़ी के आंकड़े बहुत हैं, डेवलपमेंट बहुत हुई हैं। बड़े-बड़े कारख़ाने, सड़कें, इंडस्ट्री, ग्रीन रिवेल्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें तो बराबर तरफ़ी हुई है, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, उसमें आम आदमी को अभी दिक्कतें हैं आज करप्शन इतनी बढ़ गई है कि आपको जन्म या मौत का सर्टिफिकेट लेना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, नौकरी लेनी हो, अस्पताल में भर्ती होना हो, स्कूल में दाखिला लेना हो या कोई और काम करना हो, बाँग़र पैसा दिए आप किसी जगह ईसाफ़ नहीं ले सकते, इसके बिना आज डे-टू-डे लाइफ़ की जो चीज़ें हैं, वे नहीं मिलती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक यह करप्शन है, जब तक पोलिटिक्स में क्रिमिनल लोग आते हैं और वे आम लोगों की सुध-बुध नहीं लेते हैं, यह डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। *Democracy is for the people, people are not for the democracy. The democracy must take its shape for the welfare of the people which is missing in the present day life.* 50 साल के बाद, सब कुछ पाने के बाद, इतनी तरफ़ी करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है गरीब आदमी के आँसू पोंछने के लिए, उसको ईसाफ़ दिलाने के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसके बच्चों के उत्थान के लिए और इसके लिए हमारा जो डेमोक्रेटिक सेट-अप है, हमारी पार्लियामेंट है, इसको और ज्यादा ताकतवर बनाने की ज़रूरत है, हमारा जो कंस्टीट्यूशन है, उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपने यह सेशन बुलाया है, मैं आपकी खिदमत में यह कहना चाहता हूँ कि, *it is a very good practice. It should continue. We must meet every year for a few days and discuss fearlessly, across the party lines, as to what is good for the country and we must implement that.*

चेयरमैन साहब, पापुलेशन कंट्रोल करने के बारे में बहुत प्रापेगंडा किया गया, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारी डेवलपमेंट है, यह पापुलेशन ग्रोथ उस सारी डेवलपमेंट को बेकार कर रही है, सबको खा रही है। हमारे इतने प्रापेगंडे के बावजूद, इस्तिहारों के बावजूद, रेडियो-टीवी० में इतने प्रापेगंडे के बावजूद जिन

لوگوں کو पाپولیشن پر کنٹرول کرنا चाहिए, इसे कम करना चाहिए, मुझे यह कहने में कोई तअम्मल नहीं है कि उनके बच्चों में, पापुलेशन में कोई कमी नहीं हो रही है, जो बैल-टू-बू सैकशन है, वहां पापुलेशन कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अहां बेतहाशा बच्चे पैदा होते हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और उनके ऊपर कोई इफेक्टिव मैजर्स नहीं लिए जा रहे तो मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि उनके ऊपर कोई इफेक्टिव मैजर्स ऐसे लिए जाएं जिनसे कि पापुलेशन पर कंट्रोल किया जा सके narrow religious consideration, supremacy of black money, crisis of confidence, crisis of leadership आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, अगर हमने इन बेसिक चीजों को, जिन पर डेमोक्रेसी खड़ी है, अगर इन चीजों में हम सुधार नहीं कर पाए तो मेरा ख्याल है कि यह डेमोक्रेसी का एक दुखद दिन होगा।

सबसे आखिर में मैं उन सब शाहीदों को फिर सलाम करता हूं जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हिन्दुस्तान आजाद हुआ, हम डेमोक्रेटिक मुल्क बने हैं। आज हिन्दुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन इस डेमोक्रेसी को और मज़बूत बनाने के लिए we must do something. I thank you very much for giving me the time. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

استری ویریندر کٹاریہ پنجاب ڈپٹی
چیمبرمین صاحبہ - آزادی کی ۵۰ ویں
سالگرہ پر اسپیکر ملک سہما - اور
چیمبرمین راجہ سہمانے یہ ویشیش
مستزادگران شہیدوں کو خراج عقیدت
پیش کرنے کا موقع دیا۔ اس کے لئے ہم
اتنے مشکور ہیں۔ آج آزادی کی ۵۰ ویں
سالگرہ پر سب سے پہلے ہم ان شہیدوں
کو سلام کرتے ہیں جنھوں نے دیش
کی آزادی کیلئے قربانیاں دی ہیں اور

جتنی قربانیاں دیش آزاد ہوا -
آج ہمیں محبت سنگھ یاد آئے
ہیں۔ راج گرو یاد آئے ہیں۔ سنگھ دیو
یاد آئے ہیں ۱۸۸۷ کے تاتیا ٹوہے -
دانی جھانسی - جلیان والا باغ کے
شہید - اگا پھرے وہ شہید جو کہ
توہوں سے آٹھ ادا دئے گئے تھے - ۱۹۴۲
کی ہندوستان کی آزادی کی وہ جنگ
جو کہ نیشا جی سہما ش چندر بوس نے
دیش سے باہر جا کر لڑی تھی - آئی -
این - اے - کے شہید - کانوری کس
کے شہید - غدر بابے اور کالا پانی کی
جیلوں میں اپنی جانیں قربان کرنے والے
وہ سارے شہید ہمیں یاد آئے ہیں

اور ہم ان شہیدوں کو اپنا خراج عقیدت -
اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ دیش کے
سارے عقیدت سے اپنا سر جھکاتا ہے۔
ڈپٹی چیمبرمین صاحبہ - نرندر سنگھ
سرا جھکا بھی ہو گئے - اور ہم شکریہ
مر گئے - مدن لال ڈھینگڑہ مر گئے -
اشفاق اللہ مر گئے - رام پر سار بھول
بھی

”سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دلوں سے
دیکھنا ہے زور دیکھنا بازوئے قاتل میں ہے“
یہ گیت گانا کر جھانسی کے تختے پر چڑھ

گئے۔ یہ سب شہید اپنی جانوں پر فقیل گئے۔

”سہا پتی پیٹھا اسین ہوئے۔“

جیڑمین صاحب۔ ہندوستان شہیدوں

کا دھڑ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بھی

ایسی شہادت کہیں ہوگئی نہ تھی

دی۔ ہر انسان موت سے ڈرتا ہے۔

لیکن ہندوستان میں جگت سنگھ جیسے

شہید ہوئے۔ کرناٹ سنگھ سرراپا جیسے

شہید ہوئے جنھوں نے موت کو بیک

بھڑکایا اور موت میرے گلے لگاؤ

تا کہ ہم قربان ہو جائیں ہندوستان کی

مٹی پر ایسے ہزاروں عبادت سنگھ کرناٹ

سرراپا اور دھم سنگھ جیسے شہید

پیدا ہوں۔ تاکہ دیش انکی شہادت

سے لبریز ہو کر انکی شہادت سے متاثر

ہو کر یہ دیش آزاد ہو۔ جیڑمین صاحب۔

میں انکی وساطت سے ان شہیدوں

کو جہاں سلام پیش کر تا ہوں وہیں یہ

میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس آزادی کے لئے

ہندوستان کے ان شہیدوں نے اپنی

جان قربانی دی۔ مہاتما گاندھی

نے کہا تھا کہ کسی بشر کی آنکھ میں آنسو

ہیں تو میں ہندوستان کو آزاد نہیں

سمجھتا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس

کے ساتھ کہتا ہوں کہ ۵۰ سال گزر

گئے مگر ایک ہندوستان میں ان

بشر کی خود اندازہ ہے جنکی

آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لگتا ایسا

ہے کہ شاید ہمارے شہیدوں کا خون

مست ہوا گیا ہے۔ آج پچاس سال کے

بعد میں لکھا جی کھا کرنا ہے۔ اپنی بیلنس

شیٹ بنانی ہے کہ کیا وہ خواب جنکی تعبیر

کیلئے ان شہیدوں نے قربانیاں دی تھیں۔

اپنی جان کی بانی رکھائی جنکی جیل کی

سلاخوں کے سب سے گئے تھے۔ ہزاروں گرو

برباد ہوئے۔ پنجاب اور بنگال کا تقسیم

ہوئی تھی اور لکھنؤ سے بریل گاؤں

جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ وہ

لوگ جو محل اور کوٹھیوں کے مالک تھے انکو

رفیقو جی بکپوں میں بند لکھا ہے۔ کسی کی

بیشی اور عہدہ کچھ کسی کی بہن اور عہدہ

کچھ کروڑوں انسان بے گھر ہو گئے۔ دھتے

داروں کا پتہ ہی نہیں۔ آج بھی انکی مائیں

آنسو یاد کر کے روتی ہیں انکو پتہ نہیں کہ انکی

بیشیاں کہاں ہیں۔ قربانیوں کی بھی کوئی حد

ہوتی ہے۔ آج جہاں میں ان شہیدوں کو

سلام کرنا چاہتا ہوں وہاں یہ بھی کہنا چاہتا

ہوں کہ جس وطن کی آزادی کیلئے جس

سنہرے ہندوستان کیلئے ان لوگوں نے

قربانیاں دی ہیں آج اس ہندوستان

کے قریب ہی آنکھوں میں آنسو ہیں۔
 آج بھی یہاں ان پر حنا ہے آج بھی
 یہاں قریب ہے آج بھی ہم بڑھتے ہیں
 کہ شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ
 کو اپنے حق نہیں ملتے ہیں۔ قانون کا کتاب
 میں تو ہم نے لکھ دیا ہے کہ سب انسان
 برابر ہیں لیکن معدودہ دستان کے لوگوں کی
 دل کی جو کتاب ہے اس پر بھی ابھی میں
 عجیب بھاؤ ہے۔ آج میں مذہب کے نام
 پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ آج میں کاسٹ

پولیٹکس کی جاتی ہے۔ کرپشن کا بول بالا
 ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو قریب ہیں جو اپنی
 محنت مزدوری سے بڑھ کر آگے آتے
 ہیں انکو نوکریاں نہیں ملتیں اور نوکریاں
 نیلام میں کی جاتی ہیں آج لیڈر اور لیڈ
 میں جو دشمن ہے فی محو کر بیسی اسکے اوپر
 ٹھہر رہے آٹ اڑا اڑے اوے آف لائف۔

چیز مین صاحب۔ میں پوچھنا
 چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جو الیکشن
 ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں
 کس طریقہ سے اس میں پیسہ کا استعمال
 کیا جاتا ہے۔ کس طریقہ سے شراب کا
 استعمال کیا جاتا ہے۔

I must say that our democracy is not functioning efficiently and effectively.

آج ڈیموکریسی کو افیکٹیو کرنے کی
 ضرورت ہے۔ آج جو ہماری ریڈیشن ہے
 وہ جاتی ہے عوام کے بھیج۔ جب الیکشن
 ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ لکھتے ہیں کہ
 ہم لوگوں کے خدمت گزار ہیں۔ ہم لوگوں
 کے نوکر ہیں۔ لوگوں کے سیوک ہیں۔ جب
 وہ ہم۔ ہی۔ بن جاتے ہیں یا منسٹر بن
 جاتے ہیں تو وہ تو آریئر کنوینشنڈ ہو کر
 میں بیٹھے ہیں اور جو ہمارا مالک
 ہیں جو ووٹرس ہیں وہ باہر کھڑے

انتظار کرتے ہیں آج ہماری فنکشننگ
 کی یہ حالت ہے کہ اگر کس ہاؤس مینٹ ممبر
 کو یا منسٹر کو ملنا ہو تو اسکے کتے ہی جگر
 لٹکتے پڑتے ہیں اور انکے جواب۔ ہی
 صاحب ہوئے ہیں انکے کتے ہی باؤڈر
 کرنا پڑتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں
 کہ کس طریقہ سے ہماری ڈیموکریسی
 کو امپروو کیا جاسکتا ہے۔ افیکٹیو
 ہو کر اسکے کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

چیز مین صاحب میں آپ کی طرف
 دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر اس
 ڈیموکریسی کو جسکو لکھتے ہیں کہ اس
 دی بسٹ فارم آف گورنمنٹ اسکو
 افیکٹیو بنانا ہے تو لوگوں کو الیکشن
 کے وقت نہیں بلکہ آف لائف اسکو چلانا

پڑے گا۔ آج ہمارے لانسٹریویشن
میں ۵۵ دفعہ امڈمنٹ ہو چکی ہیں۔
میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس لانسٹریویشن
یوٹوشن کی ایک کپری سینڈیو اسٹریویشن
کڑی جا رہی ہے اور اس میں ترمیم کی جائے آپ
بے شک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ
بنائیے۔ پریسیڈنٹیل فارم آف گورنمنٹ
بنائیے۔ لیکن جب تک پریسیڈنٹیل نہیں
ہے اس لانسٹریویشن کو امپلیمنٹ کرنے
کیلئے۔ اسے ڈیموکریسی کا کوئی فائدہ
ہونے نہیں جا رہا ہے۔

جیڑمین صاحب۔ میں آج آپ کی
خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی
ہندوستان میں کروڑوں بچے ایسے
ہیں جنہوں نے اسکول کا مفہوم نہیں دیکھا
آج ہی ہندوستان میں ایسے غریب
لوگ ہیں جنہوں نے غلے پکڑے ہیں اگر
نہیں دیکھے ہیں آج بھی ہندوستان
میں ایسے لوگ ہیں جو پاؤں لائی
سے بہت نیچے رہتے ہیں اور انہوں
نے زندگی کا کوئی مسکے کوئی اکرام نہیں
دیکھا ہے۔ جو نقشہ ہمارے مشہدوں
نے بنائے تھے۔ جو خواب ہمارے دشمن
کے دلوں نے دیکھے تھے۔ جنہوں
نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں آج
ان لوگوں کی تعمیر کیلئے کوئی افسانہ

اسٹیف بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ۵۰
سال کی آزادی کے بعد اگر ہندوستان
میں ایسے کروڑوں انسان ہیں جنکو
اپنی زندگی میں کبھی خوشیاں نصیب
نہیں ہوئیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ابھی اور اس دشمن
کے لئے کرنا ہے۔

جیڑمین صاحب۔ آج ہمارے جو
ایڈمنسٹریٹیشن ہے۔ جتنے کو ہم لکھتے ہیں
کہ ہم غریب کو۔ بچلے ہوئے انسانوں
کو۔ کچلے ہوئے انسانوں کو۔ دبے ہوئے
انسانوں کو۔ جو صوبے سے دبے ہوئے
تھے۔ اس ڈیموکریسی کے مادہ میں
سے اوپر اٹھنا ہے۔ لیکن جو بھی
کی ایڈمنسٹریٹیشن ہے انکا اگر انسان
کیلئے تردد جھگڑا ہے تو وہ غریب کیلئے
نہیں جھگڑا۔ امیر کے لئے جھگڑا ہے۔ یہ
ہرودھ نہیں ہے۔ یہ ہرور بیج
ایڈمنسٹریٹیشن ہے۔ اور اس ایڈمنسٹریٹیشن
کو۔ اس بیوروکریسی کو جب تک آپ
ہرودھ ہرور نہیں بنائیں گے۔ آپ کا
لانسٹریویشن ہو۔ آپ کے ڈائریکٹو
پرنسپل ہوں۔ آپ امپلیمنٹ نہیں
کر سکتے۔

جیڑمین صاحب۔ ہندوستان
کاتر فی کے ڈیموکریسی بہت ہیں۔ ڈیولپمنٹ

بہت ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے کارخانے سرور
انڈسٹری - گرین ریوریوشن - سائنس
ایڈوانسنگ ٹیکنالوجی اسمیں تو براہ ترقی ہو رہی
ہے لیکن ہیلتھ رینڈا رینڈا جو کیشن کا جہاں
تک سوال ہے اسمیں عام آدمی کو ایسی
دقتیں ہیں۔ آج کڑیشن اتنی بڑھ گئی
ہے کہ آجکو جنم یا موت کا سرٹیفکیٹ
لینا ہو۔ راشن کارڈ بنوانا ہو۔ نوکری
لینا ہو۔ اسپتال میں بھرتی ہونا ہو
اسکول میں داخلہ لینا ہو۔ یا کوئی
اور کام کرنا ہو۔ بغیر پیسے دے آپ
کسی جگہ اسکے بنا انصاف نہیں دے سکتے
آج ڈی ٹی ٹی لائف کی جو چیزیں
ہیں وہ نہیں ملتی ہیں۔ میں کہتا ہوں
کہ جب تک یہ کڑیشن ہے۔ جب تک بالکل
میں کڑیشن لوگ آتے ہیں اور وہ عام
لوگوں کی شدھ بڑھ نہیں دیتے ہیں
یہ ڈیموکریسی نہیں چل سکتی ہے:

Democracy is for the people, people
are not for the democracy. The
democracy must take its shape for the
welfare of the people, which is missing
in the present day life.

۵۰ سالے ہو۔ سب کچھ ہانے کے ہو۔ اتنی
ترقی کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں
کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ غرب
آدمی کے آنسو بوجھنے کے واسطے

انصاف دلانے کیلئے اسکی جیانت کیلئے۔
اسکی ایجوکیشن کیلئے۔ اسکے بچوں کے استفادے
کیلئے اور اسکے بے بہار وجود کو کرینک
سیت اپ ہے۔ ہماری پارلیمنٹ ہے
اسکو زیادہ طاقتور بنانے کی ضرورت ہے
بھلا جو کانسٹیٹیوشن ہے اسکو تارن
افیکٹیو بنانے کی ضرورت ہے۔ جس
طریقہ سے آپ نے یہ سیشن بلایا ہے
میں آپکی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں:

It is a very good practice. It should
continue. We must meet every year for a
few days and discuss fearlessly, across the
party lines, as to what is good for the
country and we must implement that.

جیئر مین صاحب پاپوشن کنٹرول
کرنے کے بارے میں بہت پروپیگنڈہ
کيا گیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ جو
ہماری ڈیموکریسی ہے یہ پاپوشن
کنٹرول اس ساری ڈیموکریسی کو
بے کار کر رہی ہے۔ سبکو بھاری ہے۔
بھلا اسے پروپیگنڈے کے باوجود۔
اشتہاروں کے باوجود۔ ریڈیو ٹیلی
میں اتنے پروپیگنڈے کے باوجود جن
لوگوں کو پاپوشن کنٹرول کرنا چاہیے
مجھے یہ پتہ نہیں کہ کون سا مملکت نہیں ہے کہ
لکھ بچوں میں۔ پاپوشن میں کوئی کمی
نہیں ہو رہی ہے جو "فریل ٹوٹو سیکشن"

ہے وہاں ”پاپریشن کنٹرول“ ہو رہا ہے۔
 لیکن جہاں بے تحاشہ بچے پیدا ہوتے
 ہیں انکی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی
 ہے اور انکے اوپر کوئی ”افیکٹیو میزس“
 نہیں لے جا رہے ہیں۔ تو میرا اپنے ماحول
 سے یہ کہنا ہے کہ اسنے اوپر کوئی ”افیکٹیو
 میزس“ لے لیا ہے جسے ”جائش جن سے کہ
 پاپریشن کنٹرول“ کہا جاسکے:

Narrow religious consideration,
 supremacy of black money, crisis of
 confidence, crisis of leadership.

آج ہم ۱۲۰ ویں صدی میں جا رہے ہیں
 اگر ہم نے ان بیسک چیزوں کو جنہیں
 ڈیموکریسی ضروری ہے ان کے ان چیزوں
 میں ہم سدھار نہیں کر پا رہے تو برا
 خیال ہے کہ یہ ڈیموکریسی کا ایک
 دھندلے دن ہو گا۔

سب سے آخر میں میں ان سب
 شہیدوں کو پھر سلام کرتا ہوں جنکی
 قربانیاں ہی بدولت صندوستان
 آزاد ہوا۔ ہم ڈیموکریٹک ملک بنے
 ہیں۔ آج صندوستان دنیا کی سب سے
 بڑی ڈیموکریسی ہے لیکن اس
 ڈیموکریسی پر اور مضبوط بنانے کیلئے

We must do something. I thank you
 very much for giving me the time.

آپ کا بہت بہت شکریہ۔

MR. CHAIRMAN: Ms. Margaret
 Alva.

SHRIMATI MARGARET ALVA
 (Karnataka): Sir, it has been suggested
 that since the hon. Prime Minister is
 going to speak now, we may not speak.

MR. CHAIRMAN: Dr. Najma
 Heptulla.

DR. (SHRIMATI) NAJMA
 HEPTULLA (Maharashtra): We spoke
 so much even the mike system has failed.
 Sir, I do not want to take much time of
 the House but as required, as I was the
 mover of the resolution, under the Rules
 of Procedure and Conduct Rule No. 154,
 I am just making two or three points as
 the mover of the resolution.

Since then, 146 Members have
 participated in the debate, spread over
 six days. I know, if we had continued,
 the rest of the Members would have also
 spoken. In the other House Mr. Speaker
 said, "Anybody who wants to speak can
 lay his speech on the Table of the House.
 It will become part of the proceedings." I
 had requested that the Members of our
 House should rise above their narrow
 political considerations and speak for the
 country's benefit and for the betterment
 of the people. I must say over here that
 we have watched and you have also
 watched that Members of Parliament
 have spoken on issues, concerning the
 nation, like population, education,
 environment, poverty, health and so on
 and so forth, rising above their party
 affiliations. We also appreciated the
 development in our country in
 infrastructure, economy, the contribution
 of our scientists and technologists and the
 laudable contribution of our Armed
 Forces.

Sir, I would like to mention only two
 points here. There is a direct relation
 between population and poverty. When
 we speak about poverty, it means
 unemployment. It is a major problem
 before the country. I must say over here
 that the poorest among the poor are
 women, the most uneducated among the

uneducated are women, the most deprived of the deprived are women. I have been very sincerely watching and reading the proceedings of the House. I found very few members addressing themselves to the problem of women and to the commitment of different political parties, which is enshrined in our Constitution. I was really anguished today, Mr. Prime Minister you are present here, I know that you are committed to the cause of women, that not many Members spoke about the plight of women and the commitment you all have made voluntarily to give to women their rightful position as enshrined in our Constitution, and also the commitment you all have made that you will give them position in decision and policy-making. Are women not a part of our constituencies? Do they not represent them? Do they not constitute 50 per cent of the population of this country? Have they not a right to participate in the decision making and also a responsibility which they should have in implementing all the decisions, which they take with all of you? On the first day Mr. Speaker said, "We need a second freedom." Yes, we need a second freedom, that is, freedom from poverty, freedom from illiteracy, freedom from unemployment and so many other things. I feel, we need another battle, it is not the first, second or third, but till women get their rightful position and till that time we will keep on asking and will keep on fighting, whichever way it happens...*(Interruptions)*... Never mind...*(Interruptions)*... We will keep on doing it. As Parliamentarians we should address ourselves to the important ideas which have been postulated. I think, the largest number of Members of Parliament have spoken in the discussion on Parliamentary Democracy, during the last three days. Sixty Members spoke on it. Sir, with an experience of 17 years in this House, out of which 11 years in the Chair, I feel anguished that the most important time after the Question Hour is spent on issues which could be taken

up at the level of Panchayats or Zila Parishads or Assemblies. I know they are important issues, but we have a three-tier system in our country. These issues could be discussed very easily at those places. Parliament can not have any redressal for such issues. Redressal of those grievances can be done there. But somewhere there is some mistake. Somewhere, there is some failure on the part of the authority concerned. That is why Members of Parliament have to come and ask; they have to come and request the Chair; they have to make a demand. That is why we have the Zero Hour submissions, Special Mentions, etc.

Sir, the important job of Parliament is to legislate. But how much time do we spend on enacting legislations? I have noticed that many a time, due to paucity of time, we have not been able to even discuss many important Bills. Many important legislations which were going to affect millions of people in the country have been passed by voice vote in the House. Therefore, we have to address ourselves to this problem. I am not going to say that the Members should come into the Well of the House, or, they should not come into the Well of the House, or, they should or should not raise slogans. That is for you all to decide. But I, as a Member of this House, as the Presiding Officer of this House, feel that we should address ourselves more to the legislative aspect, which is the basic responsibility of Parliament.

A lot is being said about the criminalisation of politics, or, politicisation of crime — whichever way you put it. A glass is half-full, or, it is half-empty. It is being said that the political parties themselves should not field such persons; as was said by Shri Indrajit Gupta in the other House. The Election Commission has also issued some order in this regard. But I feel that even if the political parties put up people of character, the final judges would be the electorate; the final judges would be

the people of this country. Why don't they use their discretion and not elect those people whom they think are wrong, whom they think should not be elected? Nobody, Sir, in this House, come to take oath with a bomb or a gun or a rifle. He comes with a piece of paper; he comes to the House with the notification from the Election Commission declaring that he has been duly elected. Finally, it is the people of the country who elect them.

Therefore, why should we not appeal to the people of this country to reject such people who are of doubtful character, even if such candidates have been put up by the different political parties; whatever the party might be?

As Parliamentarians, we have been talking a lot. I have been sitting here in the House. A number of Members have been talking about the judiciary. We have been talking about the judiciary in our earlier discussions. Yes; Sir. I think, somewhere, we must have failed in our duty. When we keep a vacuum, naturally, somebody would come into it. If there is a vacuum, water would flow in. Perhaps, Parliament has not done its duty. Perhaps, we have not made the Government accountable. Perhaps, we have not done our duty in seeing that the Government comes and answers before the House. That is why the people have gone to the courts for the redressal of their grievances. Earlier, they used to go to the press. The press highlighted their grievances very well, but the press could not redress their problems; their grievances. That is how the judiciary has come into the picture. The mistake is ours. If we take our responsibility seriously, I am quite sure, Sir, the spirit of the Constitution can be maintained very well, as it was done in the early days of our Independence.

As far as the press is concerned, I would like to mention one thing over here. I feel, the press—this is, perhaps, because the space is less in the newspapers—gives headlines only when there is some acrimony in the House,

when there is some kind of a noise in the House. Otherwise, the newspapers say: so and so also spoke. I remember Mr. Jaipal Reddy telling me once. He was, at that time, sitting here; in the Opposition. He spoke for forty minutes on the Budget. He came and complained to me. He said: 'I spoke for forty minutes, for which I had to spend forty hours; but I did not get even forty lines in the news—papers'.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Four lines.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: It is a tragedy. Hon. Members spend a lot of time. They burn their midnight oil. They come here. They speak. They contribute. They want somebody to notice it. But Sir, I am sorry to say. The only thing which comes is the speeches of Ministers. It is, perhaps, because it is a printed speech. Perhaps, it is distributed by one of his personal assistants or secretaries. Therefore, it finds a place in the newspapers.

I would like to make a suggestion here to the press. At least, when we are talking so much about the press, why should not the newspapers have two pages of supplement—for the Lok Sabha and the Rajya Sabha when the Session is on so that, at least, what the Members speak is reported in the newspapers?

Sir, there was a time, I am sure, when you were a Member of Parliament, when you spoke in the House, the newspapers had reported it. Today, the newspapers say something. The Members of Parliament refer to it in the House. Fine. Newspapers have adopted a very good attitude of investigative journalism. But I feel that when they raise issues in newspapers and we refer to them in the House, at least what has been raised in the House and the response of the Government should be reported in the newspapers. Nothing comes. Nothing is reported even in the Government media. It is neither on the television nor on the radio.

We are lucky that this six-day session is being transmitted. Simultaneously two channels are transmitting the proceedings of both Rajya Sabha and the Lok Sabha. I do not know how many people have seen it, but I am quite sure that many would have seen it. Many people are going to make comments, good or bad. At least they know that their representatives are doing something, that they are speaking something and that they are contributing something towards our democracy.

Today we are concluding this session. I am very happy that under your Chairmanship we will be passing the Resolution. Standing over here and speaking in this Special Session on the eve of completion of 50 years of India's Independence, the Golden Jubilee, I find myself a privileged and proud person. But sometimes I feel that we have lost our direction somewhere and that we have lost our priority. When I go out in Delhi, I see at every circle at least 50 banners announcing "50 Years of India's Independence." I see on every bus and every Government vehicle a beautifully printed *Tiranga Jhanda* or a design of the tricolour flag. I see in every newspaper beautiful smiling faces of my colleagues from this House and the other House. I feel very happy about it. I see hundreds and thousands of posters pasted around in cities, not only in Delhi but in every other place. I see very much expensive booklets being printed. I do not know how many hundreds or thousands or crores of rupees has been allocated for this Celebration. It is fine.

When our freedom fighters were fighting the battle of freedom, they did not fight it with money. They had no money. I remember in my house there used to be a little *ghada*. Both times, when my mother was asking our cook to make *rotis*, she was saying, "Take one *muthi* of *atta* and put it into the *ghada*." That was collected by people for fighting the freedom struggle. That is how the freedom struggle was fought, not with money.

I sometimes feel that we have lost our direction. I feel that we have spent a lot on this Celebration. Each banner's cloth could have covered the *nangi* body, naked body, of a little child in a slum. All the paper which is being used for the posters and the very expensive stationery could have been used to give to school children somewhere exercise books with a stamp of 50 years of India's Independence, and they could have said, "yes, we have completed 50 years of our Independence. We got these note-books in which we can write and remember it." With one shower, all these posters are going to be thrown away, blown away, in the sand or dust. With all the money we are spending, could we not have many hospitals? Mrs. Renuka Chowdhury is crying for them. Instead of having *chiragan* in all our important cities, could we not have opened one school in the name of 50 years of our Independence? These are the questions we have to address ourselves.

Okay, we are spending our time over here in the House. We are going to celebrate it for the whole year. But what are we going to do in real sense up to 2045? We may not be here by then. Maybe, our progenies will sit over here. Are we going to leave something for them? This is the question. As our forefathers did it, as our freedom fighters did it, I have a great hope that we can also do it. But there is the question of direction. There is the question of determination. There is the question of commitment.

I feel that when we pass this Resolution over here, it should not be just words. It should not be just signatures.. There should be our commitment along with it. Then, I am sure we will be able to say something. Then, we will bow our head, not in shame before our leaders, but in respect before our leaders who laid down their lives for the freedom of the country.

Thank you, Sir giving me this opportunity.

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): सभापति जी, वह मेरा सौभाग्य है कि आपने आज मुझे फिर से बोलेने का मौका दिया है। दो दिन पहले जब यहां डिबेट चल रही थी हिन्दुस्तान की विदेश नीति के मुताल्लिक, उसकी कमियाँ के मुताल्लिक, जिन हालात में हमने विदेश नीति बनाई थी तो हिन्दुस्तान का ताल्लुक उस संसार से था और आज है तो मैंने उस वक्त किसी हद तक अपने नुक्त-ए-नजर को आपके सामने रखा था। आज यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे फिर से मौका दिया है यहां आने का बात करने का। लेकिन बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं आपको और आपके नाते इस सारे सदन को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इस बात की कि हमने पिछले एक हफ्ता खासकर के यहां भी और दूसरे हाउस में भी, हम सब ने बैठकर के, मिलकर के अपनी रोजमर्रा की बातों से ऊपर उठकर के, पार्टी मवाद से, पार्टी के हितों से ऊपर उठकर के हमने अपने देश के ऊपर एक नजर डाली है। उन चीजों पर नजर डाली है जो हमने 50 वर्षों में उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उन चीजों पर नजर डाली है जिनके मुताल्लिक हमारा ख्याल था कि शायद हम जिक्र कर पाते तो अच्छा होता और यह मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि कोई भी मुल्क, कोई भी देश, कोई भी क्रौम जिसमें यह हिम्मत हो कि वह इस तरह से अपने अन्दर झांक सके, अपने दामन के अन्दर मुंह डालकर के अपने आप से पूछ सके कि मैंने क्या दिया है, मैंने क्या लिया है, मैंने क्या पाया है, मैंने क्या खोया है? चाहे बात व्यक्ति की हो, चाहे बात देश की हो, यह उस वक्त एक हिम्मत की बात होती है। इसे अंग्रेजों में सेल्फ क्रिटिसिज्म कहते हैं। अपने आप में नुक्ता-चीनी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि यहां भी मैंने जब बैठकर के बातें सुनी और दूसरे सदन में भी, तो मुझे इस बात की एक नई किस्म की रोशनी मिली कि हम लोग किस तरह आज भी उस सिट में, जिस सिट में आजादी का संघर्ष लड़ा गया था, हम अपने आप से ऊपर उठ सकते हैं। उठने के साथ-साथ हमने मुल्क में उन चीजों की तरफ गौर किया, उन हालात पर गौर किया, जिन हालात में मुल्क ने एक संघर्ष लड़ा था बहुत बड़े साम्राज्य के खिलाफ। एक ऐसा संघर्ष जो दुनिया में अपनी किस्म का एक नया संघर्ष था। उसमें गांधी जी का नेतृत्व था, गांधी जी की सोच थी, उन्होंने दुनिया को एक नया रूप दे दिया। मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं और वह मैंने 15 अगस्त को भी कहा था कि आजादी हमको किसी ने दी नहीं थी, हमने ली थी अपने संघर्ष से, अपनी हिम्मत से, अपनी

कुर्बानियों से और उन लोगों के खासकर योगदान से जो अपनी जान पर खेल गए और मुल्क को आजाद करवाया। मुझे खुशी है कि आज हम सब बैठकर के उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

सभापति जी, मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं आपको और स्पीकर साहब को, इस सदन को और उस सदन को कि यह एक नई किस्म का दृश्य हमने पिछले एक हफ्ते में देखा है। अगर यह एक बुनियाद बन जाए हमारे आगे के सोचने की, तो इससे बहुत फायदा देश को भी हो सकता है और इसको हम अपने आप खुद महसूस कर रहे हैं। कुछ बातें तो हमें इसमें आम सदन की बातें मिलीं थी कि हमें अपने रोजमर्रा के व्यवहार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो ठीक है, अच्छा है वह तो करना ही चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात यह भी थी कि हमने अपनी पालिसियाँ कैसे बनाई, जिन चीजों की बुनियाद के ऊपर पालिसियाँ बनाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम पालिसियों को नई बनाने की बात सोचते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस चीज को हिन्दुस्तान कहते हैं, हिन्दुस्तान है क्या? कई दफ्तर कई लोगों ने कहा था जब देश आजाद हुआ था कि यह मुल्क बहुत दिन टिकने वाला नहीं है। टिकने वाला इसलिए नहीं है कि यहाँ भाँति-भाँति की बोसियाँ हैं, भाँति-भाँति के धर्म हैं, आपस में लड़ाई-झगड़े करते हैं और कोई चावल खाता है, कोई गंदम खाता है, कोई धोती पहनता है, कोई पायजामा पहनता है। ये लोग कैसे इकट्ठे होंगे? हम हुए, कैसे हो गए। सबसे बड़ी बात जिसने हमको इकट्ठा किया, सम्मपति जी, आप तो गाँधी जी को मुझसे ज्यादा बेहतर पढ़े हुए हैं, वह वह कि गाँधी जी ने हमको एक ही बात समझाई, वह यह है कि हमारी विभिन्नता में एकता है। हम अलग-अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग-अलग भाषा बोल सकते हैं, अलग-अलग तरीके से रह सकते हैं, अलग-अलग प्रदेशों में बसते हैं लेकिन, फिर भी यह एक होती है, एक लड़ी है जो हमको हार बना देती है। और वह हार जब बन गया तो फिर देश के सामने कोई रास्ता मुश्किल नहीं रहा, चुनौती आज भी वही है। एक बात ध्यान में रखनी है जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस सदन में कहा था और यहाँ भी कहना चाहता हूँ—यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसे हम हिन्दी में कहते हैं विभिन्नताओं में एकता। उसको भी यह मत बताने की कोशिश करें हम आने वाले दिनों में कि हम यूनिफार्मिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सोचें कि सब लोग एक ही भाषा बोलने लग जायें, सब लोग एक तरह से रहने लग

जायें, सब लोग एक ही पार्टी की तरह सोचने लग जायें तो वह दिन इस देश के लिए बड़ा बद-किस्मती का दिन होगा जिस दिन हम यूनिफार्मिटी की बात करेंगे।

यह देश इकट्ठा रह पायेगा उस दिन तक जिस दिन तक हम यूनिफॉर्म डायवर्सिटीज़ और उसकी यूनिफॉर्मिटी को हम इज्जत की निगाह से देखते रहेंगे। जब हम ये छोड़ देंगे कभी बदकिस्मती से तो वह युग हमको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आज जो हमने यहां बात की, सबसे बड़ी बात यही की। जब मैं बात करता हूं तो मुझे हमेशा इकबाल का शेर याद रहता है कि:

यूनानो मित्र रोमा सब मिट गए हैं जहां से,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।

क्या बात है? इस बात पर गौर करना हम सबके लिए जरूरी है। उस बात के कई रूप हैं, कई रंग हैं। एक बात तो यह है कि हमारी पुरानी संस्कृति के साथ हमारे रिश्ते हैं। उसकी मिट्टी में हमारे पांव बसे हैं। वह हमारे खून का हिस्सा है, हमारी हड्डी का हिस्सा है, उसको हम मानकर चलते हैं। उसके ऊपर अपनी संस्कृति के आधार के ऊपर हम आज के युग को भी बनाते हैं लेकिन एक बात और है कि हर वक्त हर दौर में, हमने जब कभी कहा कि हमने अपने अंदर एक नए किस्म की ताकत पाई, वह वह था कि क्रांति-युद्ध और वेंज दोनों को मिलाकर चला जाए। समाज को पुराना भी रखना है, आधुनिक भी बनाना है। आधुनिकता का केलेज हमेशा हर वक्त समाज के सामने रहता है। इसलिए दूसरी बात जिसने हमको कभी फायदा दिया है वह थी कि जैसे मैंने पहले दिन भी यहां बात की थी कि बाहर के शिष्टों की कलचर आए, जितनी भी भाषाएं आईं उनके हमने अपने अंदर समाया है हमने उनसे सीखा है। हिन्दी और उर्दू कोई पुरानी भाषा नहीं है इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की पुरानी भाषा तो पाली थी, इस मुल्क की पुरानी भाषा तो मगधी थी, ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी। हिन्दी और उर्दू कहां से पैदा हुई? ये उस वक्त पैदा हो गई जब यहां पर एक सोचकर आया था जिसका नाम अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो का एक श्लोक हमेशा मेरे ध्यान में रहता है। उसने कहा था कि तुर्क आ रहे थे, मुगल आ रहे थे इस मुल्क के अंदर। वे अपनी बोली बोलते थे। कोई फारसी बोलता था, कोई तुर्की बोलता था और यहां दिल्ली के आसपास रहने वाले हम लोग खड़ी बोली बोलते थे, जो आज भी हरियाणा में बोली जाती है तो उसने उस वक्त परिश्रम में शेर कहा था—

जुबाने यार मन तुर्की,
नमीदान नमीदानम।

मेरे दोस्त की जुबान तो तुर्की है और मुझे आती नहीं है तुर्की। तुर्की बोलने वाले को खड़ी बोली नहीं आती थी, खड़ी बोली बोलने वाले को तुर्की नहीं आती थी, मिलन पैदा हुआ, उर्दू पैदा हो गई। जब दरबार पहुंचा आगे में तो आगे में ब्रज भाषा बोली जाती थी। फिर वही बात नमीदानम नमीदानम, मुझे आती नहीं है क्या करूं। ये डायलेमा था, उस डायलेमा में एक नई भाषा पैदा हुई जिसे हम हिन्दी कहते हैं। हिन्दी और उर्दू इस मुल्क की पुरानी भाषाएं नहीं हैं, हिन्दी और उर्दू इस देश के धर्म की भाषाएं नहीं हैं। हमारा कोई धर्म ग्रंथ न हिन्दी में लिखा गया और न उर्दू में लिखा गया। धर्म ग्रंथ हमारे और भाषाओं में लिखे गये थे लेकिन फिर भी ये चलित बोलियां बनीं, लोगों ने अपनाया उनको। आपस में बात करने से एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। उस संस्कृति को आप मुस्तरका तहजीब कहिए उर्दू में, उसे आप गंगा जमनी की तहजीब कहिए। उसमें क्या थी सबसे बड़ी बात? सबसे बड़ी बात यही थी कि रिश्तों को जोड़ना, सीखना, सिखाना। हमारे यहां सितार नहीं थे। अमीर खुसरो ने सितार बना दिया। हमारे बहां तबला नहीं था, ढोलक को काटकर तबला बना दिया गया। उनको हम छोड़ दें क्या? वे हमारी तहजीब का हिस्सा हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तबले पर जब थाप पड़ती है तो हिन्दुस्तान की उस एकता पर थाप पड़ती है जिसमें ये हिम्मत है कि बाहर से जो ट्रेड आता है उसको छोड़े नहीं। और जब सितार का सुर निकलती है तो फिर वही मधुर वाणी सामने आती है जिसने हिन्दुस्तान को सिखाया हमेशा से, सीखो, अपनाओ, अपने अंदर बस लो, डालकर उसको एक नया रूप दे दो, उस नए रूप का नाम हिन्दुस्तानियत है। इसी हिन्दुस्तानियत को आज हम विदाई दे रहे हैं। इसी हिन्दुस्तानियत के नारे गांधी जी ने हमेशा ये बात कही थी कि हिन्दुस्तानियत को अपनाओ, डायवर्सिटी को अपनाओ और उन तहजीबों की इज्जत करना सीखो जो आपसे मुखतलिफ हैं। उनकी तरह एक नजर भी उठाओ। हमारे बहां तो कई लोग पैदा हुए, बुद्ध भगवान से लेकर गुरुनानक तक। क्या बात थी सब एक बात साझी थी वही हयमिनियम। वह मैक्स एक ही था, गांधी जी का वही था, गुरु नानक देव का वही था, एक बात, बुद्ध का वही था, बुनियादी बात वही थी, जिसमें ये-ये बातें चलती रही हमेशा से। जब मैं स्कूल में पढ़ता था आपको शायद याद होगा कि सुबह-सुबह जों गीत गाया जाया करता था, वह यह था—

मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है
नानक ने जिस चमन में वादत का गीत गाया,
मेरा चमन वही है, मेरा चमन वही है।

लंबा गीत था। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि उस एकता को नये रूप में देख पा सकते हैं या नहीं देख पा सकते हैं। अगर देख पायेंगे तो इस मुल्क का भविष्य बड़ा सुन्दर है। नहीं देख पायेंगे तो फिर असलियत आंख से ओझल हो जाएगी और जब ओझल होगी तो फिर मुश्किल में पड़ जायेंगे। यही मुल्क है और यह इसकी मिट्टी है। इसी में से हमेशा फूल निकलते रहे हैं और निकलेंगे और मेरा यह पूरा विश्वास है कि कोई ऐसा युग नहीं आएगा जब इस मिट्टी से फूल नहीं खिलेंगे। अकबर ने एक शेर कहा था कि:

नए अंतर नहीं आते चमन में गुल खिलाने को,
वहीं मिट्टी संवरती है, वहीं जेरे उभरते हैं।

जो फर्ई उर्दू न जानते हों मैं उनको अंग्रेजी में बता दूँ कि New elements never come from outside to make flowers grow. It is the same dust, it is the same element, you just reshuffle them and flowers come. It is a reshuffle of these things — that is the challenge before us. How do we reshuffle them? Reshuffle the polity of this nation, reshuffle the thinking of the nation, reshuffle the entire commitment of this nation so that new flowers emerge out of this.

Then, the other challenge has come before us. As the world has progressed — I am not going to repeat what I had spoken here earlier what are the bases on which our foreign policy stands — new challenges have come before us.

मैं इसकी बात नहीं करूंगा। मैं बात सिर्फ यह करूंगा कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, खासकर ठंडी जंग खत्म होने के बाद, जो आया है वह साइंस और टेक्नोलॉजी के युग का है। साइंस और टेक्नोलॉजी युग के साथ हमारा क्या रिश्ता है? साइंस और टेक्नोलॉजी दो तरह की होती है। एक तो हम यह फैसला करे कि देश और कौम इस युग की पहली सीढ़ी पर खड़े हैं या अखिरी सीढ़ी में खड़े हैं। वह बड़ा आसान है कि हम अपने वहां एक बात का फैसला कर लें कि हमें सिर्फ काम बनानी ही नहीं, कार का इस्तेमाल भी करना है। नईपाल ने एक किताब लिखी है और नईपाल ने उस किताब में लिखा था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह जो सिर्फ स्टिररिंग हवील पर बैठकर कार चलाना जानते हैं। ये कभी आगे नहीं बढ़ते। दूसरे वह होते हैं जो कार बनाना जानते हैं और

एक वह होते हैं जो कार की मरम्मत करना जानते हैं। मरम्मत बाला आगे नहीं बढ़ता। आगे वह बढ़ता है जिनको कार बनाना आता है; जो नो-हाऊ से नोव्हाई तक चले जाते हैं। हिन्दुस्तान में टेक्नोलॉजी का जो युग आ रहा है वह ये दरवाजे खोल रहा है। हम नो-व्हाई नहीं जा रहे हैं यह हमारे लिए फरख की बात है। जब मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर हिन्दुस्तान के नये ख्यालात, नई सोच, नये इन्वेन्शन, नई टेक्नोलॉजी के साथ रिश्ते जुड़ रहे हैं वहीं यह बात भी है कि यहां बह, लोम पैदा हो गए हैं जो हमको टेक्नोलॉजी के युग में तेजी से ले गए हैं। मेरे दोस्त ने जब वहां बह बात की थी तो मैं उनका भाषण अपने कमरे में सुन रहा था। उन्होंने बही कहा था कि हमारे साइंस-दां और हमारे तनुबेकार लोग किस तरह हमारे लिए नये दरवाजे खोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं है। अपने मुल्क में हमने जो साइंस-दां पैदा किए हैं उन पर हमें गौर है, मान है। हमारे लिए यह भी बड़ी बात नहीं है कि अपने मुल्क के अंदर कुछ टेक्नोलॉजिस्ट पैदा हुए हैं। उन पर भी हमें गौर है, मान है। उनकी हम इज्जत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वह लक्ष्मण रेखा की है। कुछ लोग साइंस युग में चले जाएं यह काफी नहीं है, कुछ हजार लोग साइंस युग में चले जाएं वह काफी नहीं है। जब तक कुल कौम इस लक्ष्मण रेखा को क्रास नहीं करती है, जब मैं कौम की बात करता हूँ, मैं नज़मा जी की बात बड़े गौर से सुन रहा था, कौम से मेरा मतलब सिर्फ पुरुषों से नहीं है; सिर्फ कुछ जातियों से नहीं, कौम से मेरा मतलब एक इलाका नहीं, तमाम मुल्क की आबादी जो 100 करोड़ हो जाने को तैयार है, उनसे है। आप यह सोचिए वह भविष्य का नज़ारा, जिस दिन यह सौ करोड़ की आबादी, महिलाओं के समेत उस नए युग में चली जाएगी जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी का युग कहते हैं और फिर हमारे पांच मजबूत होंगे। हमारी संस्कृति में हमारे पांच मजबूत हों, जिन परम्पराओं की हम इज्जत करते हैं उनके साथ हमारा जेहन साइंस-दांओं में चला जाए, वह हमारा भविष्य है। आज हिन्दुस्तान के दरवाजे पर क्रेटनेस दस्तक दे रही है। उस दरवाजे को हम खोल पायेंगे या नहीं यह सबसे बड़ी बात है। इस दरलीज का हम उल्लेखन कर पायेंगे या नहीं यह सबसे बड़ी बात है। अगर यह कर पायेंगे तो फिर दर्जा मिल जाएगा। महिलाओं को कोई दर्जा दे नहीं सकता। महिलाओं को दर्जा दिए बिना यह मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और महिलाओं की बात जब नज़मा जी कर रही थीं, महिलाओं का संघर्ष महिलाओं का नहीं है, यह संघर्ष देश का है, हम सब का है और हम कोई महिला को दान नहीं देते हैं, न महिला पर तरस खाते हैं, जब यह कहते हैं कि महिला

को उसका दर्जा मिलना चाहिये। यह सवाल नहीं है, सवाल बुनियादी है, क्या आधी आबादी को छोड़ कर, बाकी आधी आबादी आगे बढ़ सकती है, चाहे वह किसी श्रेणी की हो, चाहे किसी जाति की हो, क्या कोई बहाना डाल कर हम आधी आबादी को अंधेरे के युग में छोड़ जाएंगे, क्या जो बाकी आधे हैं, वह देख पाएंगे, नहीं देख नहीं पाएंगे, उनको नज़र आएगा नहीं, भविष्य नज़र नहीं आएगा, जब तक नज़र नहीं आएगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आज हम बात भविष्य की कर रहे हैं। पिछली बातों पर हमें गर्व है, मान है। पिछले पांच दिनों में सभी भाइयों ने उन कुर्बानियों की बातें भी कीं और उन महापुरुषों को याद भी किया है जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान दी, सिर दिये। उनके सामने हमारा सिर झुकता है। लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर एक कर्ज़ छोड़ा है। क्या उस कर्ज़ को हम निपटा पाएंगे या नहीं? कर्ज़ वही है, भविष्य। जब मैं छोटा था तब मुझे एक बात सुनाई जाया करती थी कि जब कोई उस्ताद, कोई टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो उसके ऊपर एक कर्ज़ डालता है और कर्ज़ बच्चा उस वक्त उतारता है जब वह आगे वास्ती पीढ़ी को पढ़ाता है। यही बात बिल्कुल आज है। हमने वह कर्ज़ जो हमारे ऊपर छोड़ गए, जो कुर्बानी कर गये, उनके कर्ज़ को उतारने का सिर्फ एक ही रूप है, हमारा भविष्य के साथ क्या रिश्ता है। भविष्य यह नहीं कि हम यहीं खड़े रहें, भविष्य यह नहीं कि इस मुल्क में 50—60 परसेंट आबादी गरीबी में डूबी रहे, भविष्य वह नहीं बनेगा जिसमें मैं महिला की बात की, भविष्य वह नहीं बनेगा जिसमें घर में बच्ची पैदा हो जाए तो उस वक्त घर में शोक मनाया जाए, भविष्य वह नहीं बनेगा जैसे पिछड़ी जाति के वह लोग जिनको सदियों तक लताड़ा गया है, उनको डिग्री नहीं मिले, भविष्य इससे नहीं बनेगा, चाहे हम जितने मर्ज़ी वायदे करते रहे लेकिन एक बात हमको करनी पड़ेगी वह यह कि पॉलिसी जब हम बनाएं, सरकारें तो बनती भी रहती हैं, बिगड़ती भी रहती हैं, जब बनाएं तो दो बातों का ध्यान में रख कर बनाएं। एक बात हम करते हैं सोशल जस्टिस की लेकिन साथ-साथ बात करनी पड़ेगी हमारी एक्जेशन पॉलिसी हो, हमारी सोशल पॉलिसी हो, हमारी क्लैटिकल पॉलिसी हो, कोई पॉलिसी हो, उसका साईंस और टेक्नोलॉजी से क्या रिश्ता है, क्या जब बच्चा पढ़ कर निकलता है स्कूल में या अपनी जमात में सबक सीख कर आता है तो उसके दिमाग में खुलापन आता है या पुटन पैदा होती है? खुलापन तब आता है जब बच्चे के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा होती है। एक्जेशन का सिर्फ एक परपज़ है how to make the mind curious. जिस कालीम ने, जिस विद्या ने बच्चे के माइंड को

क्यूरियस बना दिया, वह कामयाब हो गया। जिसने उसको अंधेरे में, अंधविश्वास में रखा, जिसने उसको इस बात पर रखा कि सवाल मत पूछो, जिस मां-बाप ने बच्चे को झिड़क कर बैठा दिया, फिर बताएंगे, वह बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ता है, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ता। मैंने 15 अगस्त को भी यह बात याद कराई थी आज फिर कहना चाहता हूँ कि हमारी तो पुरानी परंपरा है। बुद्ध भगवान ने क्या समझाया था? बुद्ध ने कहा था, वह पहला आदमी होगा मेरे ख्याल में इस दुनिया के अन्दर, 2500-3000 साल पहले जिसने यह कहा था। "Don't believe it because I say so." इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए मत मानो कि यह पुस्तक में लिखा है, इसलिए मत मानो कि मुझे किसी ने यह कहा है, क्वेश्चन करो, सवाल करो। जब सवाल करते हैं तभी साइंटिफिक टेम्पर पैदा होता है और जब साइंटिफिक टेम्पर पैदा होता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है तो उससे देश के ज़हन के दर खुलते हैं, एक नयी रोशनी आती है। जब तक देश के अन्दर वातावरण साईंस का न हो, देश के अन्दर आप अंध-विश्वास का वातावरण रखें, दकियानुसियत का वातावरण रखें, ओबस्क्युरिटीज़्म की परंपरा अपने मुल्क में रखें, कोई आदमी सेटेलाइट में चला भी जाए तो कोई झपटा नहीं। वह तो एक आदमी की पहुंच होगी। देश की पहुंच नहीं होगी। इसलिए सब से बड़ा सवाल हमारे सामने यही है कि इस नये युग में हम दकियानुसियत के साथ कैसे लड़ें, ओबस्क्युरिटीज़्म के साथ कैसे लड़ें, अंधविश्वास के साथ कैसे लड़ें, मैं यह नहीं कहता कि हम को धर्मों पर विश्वास नहीं होना चाहिये, मैं यह नहीं कहता कि हमको अपने अपने अक़ीदे में विश्वास में नहीं होना चाहिये, लेकिन साथ ही साथ दकियानुसियत कोई धर्म नहीं सिखाता, हर धर्म दिमाग खोलता है, हर धर्म दिमाग में नई रोशनी देता है और जो लोग यह नहीं समझते वह अपने धर्म का पूरा पालन नहीं करते। इसलिए मैं यह मानकर चलता हूँ कि सबसे बड़ी जो हमारे सामने परम्परा है वह यही है कि किसी तरह हम अपने मुल्क के अंदर इस किसम की पॉलिसियां बना पाएं। मेरे बगल में मेरे दोस्त बैठे हैं। इन्फ़रमेशन ब्राडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं। इनसे मैं पूछता हूँ अक्सर, प्रायवेट में भी, आज पब्लिकली पूछ रहा हूँ — इन्फ़रमेशन ब्राडकास्टिंग की पॉलिसी अन्धविश्वास की तरफ से ज़रूरी है कि साइंटिफिक टेम्पर की तरफ से ज़रूरी है। मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ और मैं जब कभी देखता हूँ, मेरा भी इस महकमे से तात्पर्य का कुछ दिन पहले और जब मैंने इनसे कई दफा सवाल किया है कि जो सीरियस दिखते जाते हैं वे अन्धविश्वास पैदा करते हैं, वे एक

करिश्मासाजी पैदा करते हैं, एक मिश्रितकर पैदा करते हैं, कि एक सोच पैदा करते हैं बच्चे के लिए जो देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वह जो देखता है हमारी साइंस को पालिसी को — एक तरफ तो मैं भाषण दे रहा हूँ साइंटिफिक टेम्पर की और दूसरी तरफ शाम को वह टी-वी-0 देखता है, न जाने मुझ पर विश्वास करता है कि उसमें विश्वास करता है और यही सबसे बड़ी बात है। यही बात सबसे बड़ी तालीम में आती है। स्कूल में पढ़कर आता है बच्चा। क्या पढ़कर आता है स्कूल में? हमारे जपाने में — हम तो बड़े मामूली स्कूलों में पढ़े हुए हैं, न कोई उस्ताद थे न कोई बैठने को बेंच था, जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। लेकिन मैं यह नहीं कहता तालीम अच्छी थी। तालीम में भी दकियानुसियत थी। कुछ समझाया नहीं जाता था। यही कि मां कसोदा कर रही है, बाप हुक्का पी रहा है। यहाँ पढ़ते थे ना आप भी। यही मैं भी पढ़ता था। आज वह हम करेंगे अगर फिर से तो हमारा भविष्य के साथ वायदा, वचन कभी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं बच्चा 5 साल से ये संभाल करे। मेरा एक पोता अमेरिका में रहता है क्योंकि मेरा लड़का वहाँ रहता है। वह जब कभी आता है तो मैं कम्पेयर करता हूँ। वह जो सवाल मुझसे पूछता है और जो सवाल मेरी यहाँ पोती पूछती है जो यहाँ रहती है — जमीन आसमान का फर्क मुझे नजर आता है। इसीलिए यह बुनियादी बात है। मैं इसलिए नहीं कहता कि अमेरिका अच्छा है या यह भी नहीं कहता कि हम बुरे हैं। लेकिन मैं यह सवाल करता हूँ कि जो एजुकेशन पालिसी हम बनाएंगे और जो कल्चरल पालिसी हम बनाएंगे, चाहे बात कल्चरल पालिसी की हो चाहे बात इम्फार्मेशन ब्राडकास्टिंग की पालिसी की हो, चाहे बात हो आर्थिक पालिसी बनाने की — यहाँ आर्थिक पालिसी पर बहस होती रही है बहुत दिनों तक, आर्थिक पालिसी के कई रूप हैं, कई रंग हैं, कई बातें हम गेज करते रहते हैं, मैं वह दोहराऊंगा नहीं। मैं इस बात पर भी नहीं जाऊंगा कि हमारी आर्थिक पालिसियाँ ठीक हैं या गलत हैं। वह तो बहस करने का मौका हमको अक्सर मिलता रहा है, झिलता रहेगा भी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई आर्थिक पालिसी हमारी कामयाब हो सकती है जिसमें कुल देश साथ न चल सकता हो और वह देश वह जो अन्धविश्वास से निकल चुका हो, वह देश जो साइंटिफिक टेम्पर के युग में आ चुका हो, वह देश जो इनपुट देता हो उन आर्थिक पालिसियों की मदद के आर्थिक पालिसियाँ और आगे कामयाब हो।

मैं आज एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास पुराना है। हमारी संस्कृतियाँ पुरानी हैं। वह तो

हमने सब निपट लो है। इसलिए मैं उसके मुताल्लिक आपका टाइम नहीं लूंगा। एक ही बात कहूँगा। वह यह कि एक बात हमने सीखी हमेशा और मैंने पहले दिन भी यहाँ कहा था कि हिंदुस्तान में दो तरह की पालिसियाँ चली हैं। एक पालिसी हमेशा चली न सिर्फ उस वक्त जब हम आजाद हुए, न सिर्फ उस वक्त जब हम संघर्ष लड़ रहे थे, बल्कि पुराने युगों से, वह यह कि जैसे मैंने जिक्र किया कि जो चीज अच्छी नजर आए उसको समो लेना, जो न नजर आए उसको रिजेक्ट कर देना। जिस देश में, जिस व्यक्ति में, जिस कौम में यह हिम्मत पैदा हो जाए, असोमिलेशन और रिजेक्शन दोनों फैक्ट्रियज पैदा हो जाएं वह देश आगे बढ़ जाता है। इसलिए हमको भी इस तरफ ध्यान करना है कि असोमिलेट हम क्या करें, छोड़ें हम क्या। साइंस टेक्नालाजी को असोमिलेट करें, जरूरी है। उसको नया रूप दें, जरूरी है। उसको अपने घरों में लाएं, जरूरी है। घरों में लाएं इसलिए नहीं कि सिर्फ बिजली का चूल्हा गर्म होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि बिजली का बल्ब जलना चाहिए। इसलिए भी जरूरी है कि हम लोग — अनपढ़ता दूर करने में यह नया किस की पढ़ी लिखी कौम क्या पैदा करती है।

अनपढ़ता को दूर करना है। मैंने बहुत जोर दिया और आज भी देता हूँ। जब तक इस मुल्क में 60 परसेंट 65 परसेंट, 50 परसेंट, जो भी कहिए अनपढ़ता है जब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। अनपढ़ता का मतलब सिर्फ "क", "ख", "ग" पढ़ना नहीं, उससे भी आगे है। जरा उससे आगे है। दो कदम और आगे। सोच, क्यूरीअसिटी — और अगर हम वह पैदा कर ले चाहे बच्चे में हो, चाहे बूढ़े में तो फिर देश तरक्की कर पाएगा।

हमने अपनी जिंदगी में और कई चीजें सीखीं और जो चीजें सीखी हैं वे यह कि हमने अपने युग में और युगों में चैलेंज कबूल करना सीखा। हिंदुस्तान ने क्या किया? कैसे हिंदुस्तान आजाद हो गया। कैसे यह बहुत बड़ी इम्पयर गिर गयी। एक शक्ति अन्दर से पैदा हुई और शायद उसके लिए हम दाद दें, गांधीजी को तो, अपने उन नेताओं को दें जिन्होंने कुरबानी की, कि उन्होंने हमारे अन्दर एक नया यत्न, एक नया डिटरमिनेशन पैदा कर दिया। डिटरमिनेशन से कौम आगे बढ़ जाती है और वही डिटरमिनेशन आज फिर पैदा करने की जरूरत है।

5.00 P.M.

जवाहर लाल जी ने जेल के एक सैल के अंदर बैठकर, कोई रेफ्रेंस बुक लिए बिना "डिस्कवरी ऑफ इंडिया" लिखी। उनका अपना स्कॉलरली एचीवमेंट तो है ही,

लेकिन वह डिस्कवरी हमारे लिए भी जरूरी है। हमको भी हर युग में इंडिया को डिस्कवर करना पड़ेगा। हमको भी आज फिर हिन्दुस्तान को डिस्कवर करना पड़ेगा। ठीक है, पुरानी परंपराओं को भी डिस्कवर करिए, लेकिन आज के युग में डिस्कवर करिए। उसमें क्या दुष्टियां हैं, उसमें क्या उपलब्धियां हैं, कहां ऊपर गए, कहां नीचे गए और इस डिबेट का सब से बड़ा फायदा यह हुआ कि हमने पहली दफा अपने आपको डिस्कवर करने की कोशिश की, अपने आपको री-डिफाइन करने की कोशिश की, किस हद तक हम कामयाब हुए यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस एफर्ट को, इस हिम्मत को जरूर दाद देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में एक और बात भी हमेशा रही है और वह यह रही है कि हमने हमेशा-हमेशा से यह किया है कि हमने हर युग में आगे देखा और कभी हमारा अंधेरे का युग भी आ गया जैसे उस वक्त आया जब अंग्रेज का राज आ गया तो उस वक्त भी हमने एसिमिलेट करने की कोशिश की है। हमने अंग्रेजी भाषा को कभी रिजेक्ट नहीं किया, हमने इंपीरियलिज्म को रिजेक्ट किया। अंग्रेजी भाषा ने हमारे लिए कुछ दरवाजे खोले थे। हमने उनको अपनाया। हमने स्टीम इंजन को रिजेक्ट नहीं किया, हमने उसको रेलवे को ओन किया, टेक्नोलॉजी को ओन किया है, उसके मालिकों को हटाया है। मालिकियत का एक युग बन रहा है और सब से बड़ी चैलेंज हमारे सामने यही है। कुछ दिन पहले मैंने अपने 15 अगस्त के भाषण में बात की थी। मैंने यह कहा था कि आज जो करप्शन का युग हमारे ऊपर छा गया है, उसको हम किसी न किसी तरह खत्म करें और मैंने लफ्ज़ सत्याग्रह इस्तेमाल किया था। कुछ घंटे भाइयों ने यहां भी और उस सदन में भी सत्याग्रह की परिभाषा पर एतराज किया है। सत्याग्रह क्या था? मैं तो खैर कुछ दृष्टि से आपकी तरह अध्यक्ष जी उस पीढ़ी से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को नज़दीक से देखा है। सत्याग्रह बुनियादी तौर से अगर आप उसको लें "डिफायंस" हिम्मत से खड़े हो कर डिफाई करें। डिफाई करेंगे तो फिर से उसमें नया युग बनेगा। डिफाई में कुर्बानी करनी पड़ेगी। डिफाई में भगत सिंह को फांसी लेनी पड़ी। डिफाई में जलियांवाला बाग हुआ था। जलियांवाला बाग क्या था? अंग्रेज ने कहा था कि मीटिंग मत करो। हमने कहा कि करेंगे। गोली चल गई। हजारों लोग मर गए, डिफायंस। जब कभी मुल्क में आए, डिफाई करें। यह सत्याग्रह मैं इस बात को कहा था और भी यह कहता हूं कि जब तक हम करप्शन के खिलाफ डिफायंस नहीं करेंगे, और डिफायंस हर जगह मिनिस्टर करए हो डिफाई करिए, जेठ आदमी करए हो डिफाई करिए। डिफाई का मतलब एक्सपोजर भी है।

डिफाई का मतलब उसके कपड़े उतारना भी है। कोई भी आदमी हो, चाहे वह किसी भी पदवी पर बैठा हो, यहां बैठा हो या वहां बैठा हो, बाहर बैठा हो या कहीं और बैठा हो, अगर वह एक किस्म का देशद्रोह करता है, क्योंकि करप्शन को मैं देशद्रोह मानता हूं तो उसको डिफाई करना हम सब का फर्ज है। इसी का नाम सत्याग्रह है। सत्याग्रह गांधी जी ने उस वक्त कैसे कर दिया था जब उन्होंने कहा था शैड्यूल कास्ट्स, हरिजनों को मंदिरों में जाने दिया जाए, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने मरणव्रत रख लिया था? प्रोटेस्ट करने का उनका अपना ढंग था। प्रोटेस्ट करने के ढंग हर वक्त अपने-अपने होते हैं। वही पुराने ढंग इस्तेमाल नहीं किए जाते। जो कांफे करता है वह ओरिजनल नहीं होता। ओरिजनल वह होता है जो नई चीज़ में, नई मिचुएशन में नई इंटरप्रेटेशन देता है पुरानी परिभाषा को। गांधी जी ने यही ओरिजनैलिटी थी। हमारे देश के अंदर धर्म की बात तो पुरानी थी, उन्होंने धर्म की परिभाषा बदल दी थी। सत्याग्रह हमारे देश में पुराना हो गया आज के युग में उसकी परिभाषा बदल गई है। अगर हम परिभाषा बदल लेंगे तो फिर हम एक नई तरफ मुल्क को चला देंगे।

मैं और लंबी बात नहीं कहना चाहता, सिर्फ दो-चार बातें कह कर खत्म करना चाहता हूं। क्योंकि मैं जब उस हाउस में बोल कर आ रहा था तो मैंने कहा था कि मैंने लंबी बात तो की थी उस बैकग्राउंड की, उन चीज़ों की जिसके साथ इस देश का ताल्लुक था और इसकी पुरानी परंपराओं का ताल्लुक था। क्योंकि वक्त की कमी थी तो वहां मैंने यह कहा था कि जो बुनियादी बातें थीं जिनके मुलतिक मुझे बात करनी चाहिए थी यह मैंने केपज़ तक नहीं पड़े। अब कई बातें मैं कर सकता था, जैसे करप्शन की बात कर रहा था। करप्शन के मुलतिक दो-चार बातें मैं फिर से कहना चाहता हूं और वह वह कि इस मुल्क का पब्लिशर, इस मुल्क का नविष्य अंधेरे में रहेगा जब तक हम करप्शन के खिलाफ बल नहीं करेंगे। यह आराम की बात है कि वहां से बैठ कर आप बाल इधर फैक दीजिए, मैं बाल को वापस कर दूँ हम दोनों को दुनिया बेवकूफ समझे, दुनिया हम दोनों को यह समझे कि हम दोनों ईमानदार नहीं हैं वह अलग बात है और जब हम यह कंपेयर करने लग जाएं कि कौन ज्यादा बेईमान है कौन कम बेईमान है तो बात बनेगी नहीं। अब आज तो यह खुशकिस्मती की बात कहिए या कुछ भी कहिए यहां इस सदन में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिस का किसी-न-किसी जगह राज न हो। अपने अपने राज पर नजर कीजिए और हर जगह, मैं फिर कहता हूं कि डिफाय करना पड़ेगा। आप यह कह सकते

हैं कि प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं हैं। बदल दीजिए क्योंकि डेमोक्रेसी है, लेकिन अपने-अपने चीफ मिनिस्टर से बात कीजिए कि वह क्या कर रहे हैं अपने एजेंड में, अपने यहां पंचायत के मुखिया से भी बात कीजिए कि वह क्या कर रहे हैं अपने यहां? जब तक इस किस्म की एक "भास मूवमेंट" नहीं बनेगी, बात बनेगी नहीं।

मैंने उस हाउस में कहा था और मैं यहां भी कहना चाहता हूं दो-तीन बातें। पंद्रह दिन पहले यह बात जब उस हाउस में कही गयी थी और शायद यहां भी कही गयी हो कि कुछ मुकदमे प्रोसीक्यूशन के ऐसे पड़े हैं, सरकार के पास, जिनके मुतल्लिक अभी तक सेक्सन नहीं दी गयी है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं कि जब मैंने चार्ज संपाला, 15 अगस्त के बाद, उस समय हमारे यहां 149 के करीब केसेस पड़े थे। जिनके मुतल्लिक अभी सेक्सन नहीं दी गयी थी। फिर मैं क्रेडिट कर सकता हूं 149 होगा या 53 होगा, उसमें कोताही नहीं समझी जाए क्योंकि मैं जल्दी से पढ़ रहा हूं। वाजपेयी ने उस हाउस में कहा था कि 149 केसेस पड़े थे। केस 157 पड़े थे। इन 157 में से कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़े थे और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पड़े थे। यह वह केसेस हैं जिनके मुतल्लिक सी-बी-आई ने परमीशन मांगी थी, प्रोसेक्यूट करने के लिए। पिछले 15 दिनों के अंदर-अंदर वह नंबर अब आधे से कम हो गया है और मैंने हिदायत दी है। कि पिछले 30 दिनों के अंदर सब केस खत्म होने चाहिए। एक भी केस किसी मिनिस्ट्री में नहीं रहना चाहिए और सब मिनिस्टर्स को मैंने कहा है कि जिस में परमीशन मांगी गई हो और परमीशन न दी गयी हो, अगर परमीशन नहीं दी गयी, किसी केस में, और कोई ऐसी क्यूबल हो तो वह केस मेरे पर्सनल नोटिस में लाया जाए, ताकि मैं खुद फैसला कर सकू कि परमीशन देने की बात है या नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए और वह सब से जरूरी है कि मैंने इस बदल दिए हैं। आगे से मिनिस्टर के पास भेजने की जरूरत नहीं है। तीन सेक्रेटरीज की कमेटी देखेगी और जब आए तो कभी फैसला कर दे ताकि इस तरह भी ध्यान रहे।

करप्शन को दूर करने के मुतल्लिक दो-तीन बातें और उठाई गई हैं। एक बात उठाई गई है, खासकर अपराधीकरण की। इलेक्शन कमीशन ने यह चीज उठाई है। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। मैं उन के साथ हूं इस पर क्योंकि मैं समझता हूं कि जब तक इस मामले में हम लोग मोर्चा नहीं लेंगे अपराधीकरण के खिलाफ, तब तक हाउस की सेक्रेटरी को हम बिजब नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? ... (व्यवधान) ...

श्री एस० एस० अहलुवालिया: महोदय, जैसा कि मैं आप ने करप्शन के मामले में कहा कि सेक्रेटरी लेबल की कमेटी फैसला करेगी और मिनिस्टर के पास फाइल नहीं आएगी।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: यह ठीक नहीं है।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: अभी हाल ही में जानता हूं वोहरा कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने काफी साफ शब्दों में कहा है... (व्यवधान) ... मेरा सम्मरीशन सुन लें, मैं उन को एड्रेस कर रहा हूं। सर, वोहरा कमीशन की रिपोर्ट में नेक्सस बताया गया है क्रिमिनल वीज-आ-बी पॉलीटीशियन, क्रिमिनल वीज-आ-बी जूडिसियरी, क्रिमिनल वीज-आ-बी ब्यूरोक्रेसी और आज जब आजादी की 50वीं वर्षगांठ हम मन रहे हैं, उस समय हम खुद कनेफेस कर रहे हैं कि सारे अर्थ के काम, सारे पाप हम करते हैं और सब धोए हुए तुलसी के पते हैं। यह कैसे हो सकता है? इस पर कुछ प्रधान मंत्री जी का जवाब आना चाहिए क्यों कि इस तरह से कह देना अच्छा नहीं होगा।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: पॉलिटिकल रिसॉसिबिलिटी निकालना ठीक नहीं है।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: पॉलिटिकल रिसॉसिबिलिटी निकालना नहीं है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: इस का मतलब यह नहीं कि मुझे अपने मिनिस्टर्स पर या पॉलिटिसियंस पर विश्वास नहीं है। इसके लिए तेजी से फैसला होना चाहिए ताकि इसके टाइम फैक्टर को कट किया जा सके। आपने वोहरा कमेटी की बात की, वह चीज इस से अलग है। वोहरा कमेटी के मुतल्लिक कर ही मैंने फैसला किया है कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस सारे मामले को तफसील से देखे कि जो उस वक्त बात की गयी थी अपराधीकरण की, कि उसमें पॉलिटिशियंस हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई और हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह हैं, उन को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएं, मैं अगले सेशन में तफसील लेकर आपके पास आऊंगा।

SHRIMATI MARGARET ALVA:
Most of the delays take place because the bureaucrats don't clear the permission for action against their own junior colleagues. I would like you to make a study. I have known it. It is the bureaucrats at the senior level who prevent any enquiry into the affairs of the junior officers. It is not the Ministers; don't blame the Ministers.

SHRI I.K. GUJRAL: Sir, this is an issue on which I would not like to join in any debate. What was my main point? The main point is that I have given the number of cases that are pending which we have been harping on in the last fortnight. I want to finish all the pendency. That is why I have said that wherever a bureaucrat or a bureaucrats' committee want to deny permission, that case must come to me directly and that is what I am trying to say. The main point is, I am not in favour of trying to delay anything, be it a bureaucrat or be it anybody. The main point simply is this: How to expedite the process of prosecution? Of course, there is another problem that we are confronted with and that is quick trials. Judiciary takes a longer time than it should. I would not like to mention that in this House nor would it be right for me to say that here. I can only assure this House that I am trying to. ...*(Interruptions)*...

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): प्रधानमंत्री जी ...*(जबबजान)*... मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। ...*(जबबजान)*... चेयरमैन सर, मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि करप्शन पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ कई प्रकार की बातें आप करते रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के जो फैसले आप जल्दी करना चाहते हैं उसके लिए आई०एन० लोगों की आपने कमेटी बनाई है। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ का मूल कारण अगर है तो आई०एन० है। इसके ऊपर किस प्रकार से आप प्रतिबंध लगाएंगे?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: अगर आप थोड़ा सन्न करते तो मैं आपकी बात का जवाब पहले दे चुका होता। जरा सुन लें मेरी बात को। दूसरा सवाल जो इसमें आया, वह यह कि मैंने 4 और 5 सितंबर को यहां पर एक मीटिंग बुलाई है, दो दिन के बाद, जिसमें सारे डिपार्टमेंट स्टेटस के विजलेन्स आफिसर्स और पब्लिक सेक्टर विजलेन्स आफिसर्स की कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल करने के लिए कि विजलेन्स के प्रोसेस को कैसे तेज किया जाए। सबसे बड़ी बात ट्रांसपैरेंसी की है। जब तक पूरी साफ बात सामने नहीं आ जाती, शब्द अफवाहें ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले एच०डी० रात्री की "टेन" की एक कमेटी बनाई गई थी, उसने कुछ सिफारिशें की हैं राइट आफ इन्फोरमेशन के लिए। वह आज करीब

करीब हम तैयार कर चुके हैं। अगले सेशन में "राइट टू इन्फोरमेशन" बिल हम आपके सामने लाएंगे। जब तक राइट इन्फोरमेशन नहीं मिलती, तब तक काफी बातें आंखों से ओझल रहती हैं और छिपी रहती हैं। इसीलिए ट्रांसपैरेंसी की तरफ हम काफी करना चाहते हैं। एक बात ध्यान में रखिए जो हम सब करना चाहते हैं, जब तक हम इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक वह जो जड़ है करप्शन की वह पूरी कटेगी नहीं। उस जड़ को काटना है। उसके लिए करीब-करीब बिल तैयार हो चुका है, लेकिन हज़ूस में लाने से पहले मेरी कोशिश यह है कि आल पार्टीज मीटिंग बुलाएं। आल पार्टीज मीटिंग में हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म हमने करने हैं और कब करने हैं।

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Mr. Prime Minister ...*(Interruptions)*...

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सर, हमें भी बहुत सी बातें कहनी हैं। या तो हम सबको बाद में बराबर टाइम दे दीजिए।

सभापति: देखिए यह, समय नहीं है सवाल करने का। ...*(जबबजान)*...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I want to raise one small issue...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Do it later. No more questions now.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir, the Prime Minister is yielding...*(Interruptions)*...

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: सर, यह मेरे दोस्त ने लोकपाल बिल के मुताबिक पूछा है, मैंने ठीक से सुना नहीं। ...*(जबबजान)*... वह इनका था, मेरी आंख में आ गया। ...*(जबबजान)*... जी, अब कहिए। क्या कहा है?

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: When the Prime Minister is willing to hear me...*(Interruptions)*...

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: हमें भी पूछनी है बहुत सारी बातें। ...*(जबबजान)*...

2002/11

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Mr. Malhotra, you can also put a question. When the Prime Minister yields ... *(Interruptions)* ... I want to know what the view of the Government is on the pending Lok Pal Bill. It was discussed thoroughly.

MR. CHAIRMAN: We are not arguing on that.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Mr. Prime Minister, you have said that you are bringing a Bill on the right to information. I am very happy about that. At the same time, I would like to know whether you would consider allowing the media to watch the proceedings of the Parliamentary Standing Committees also. My point is: Let Parliament be transparent first. Would the Government consider, apart from the Lok Pal Bill, allowing the media to watch the proceedings of the Standing Committees of the Parliament also?

SHRI I.K. GUJRAL: So far as the first question is concerned, Sir, the Lok Pal Bill is already the property of the House. It has gone through the Standing Committee and I hope in the next session of the Parliament, the Parliament will be able to attend to it and finalise it. The Government will support it.

So far as the opening up of Standing Committees to media, etc. is concerned, that is not my area of decision. Sir, that is for you and the hon. Speaker to decide. I don't transgress into areas which do not belong to me. Give unto the Pope that which belongs to the Pope. Therefore, I would not get into that.

Sir, if I had the time, I would have talked at length about education also. I think education is not only a crucial factor in the success and development effort of integrating the human rights. The Common Minimum Programme of this Government lays great emphasis on that. In the other House I have said I am laying a policy paper on the Table of the House and I know the Members are getting impatient. Therefore, I would not

take more time except to say that we have a great deal of emphasis on women's literacy—and I repeat women's literacy—and the girl-child particularly. On the 15th of August I have announced a new policy regarding the girl-child. The second of October, Gandhiji's birthday, will be the first day of its implementation and implementation would be there. We are, therefore, very keen because unless literacy spreads widely and more so in the women's segment, our difficulties continue to be there.

Some friends had asked me about Urdu and the Gujral Committee Report that I wrote about 25 years ago. I say with regret that various Governments have not implemented it. It is receiving my attention now. I will not give details now and I will leave it at that.

I have many more issues to talk about, particularly population. Technically I happen to be the Cabinet Minister in-charge while my colleague—who is the *de jure* or *de facto*—is there as the Minister holding the charge. I must compliment her, she has been giving a great deal of attention to it. Therefore, she has come before the House, I hope, and projected her point of view as to what population policy we want to have. It is a wholesome policy. It covers a lot. It covers health. It covers the child. And more important, apart from this, is the concept of health for all. I hope the Minister has also told the House about that. So, I won't repeat.

I will also take two more minutes to talk about infrastructure and its development. During the last few weeks particularly, I have been paying a great deal of attention to infrastructure because I feel and I continue to believe that naturally our development will not take place unless our infrastructure improves. In the 8th Plan we had targeted, for instance, in the power sector, to generate about 40,000 MW. We fell short of it by

40%. Now again we have come back to 40,000 MW. Imagine for a minute, if we had generated 40,000 MW in the 8th Plan, today we would have taken off to another height and would have covered something. Let us hope we will be able to do it in this Plan. If we are able to generate 40,000 MW, more than 50% of it has to come in the private sector because of the investment that is called for. That is why we have now put a very dynamic Minister in-charge of that and we are trying to push it further so that setting-up of new power projects is accelerated.

We are equally keen about roads. Now as traffic is increasing, India is in a sort of a pincers. In 1971 or 1972, the first conference was held in Stockholm to talk about environment. Mrs. Gandhi at that time was leading the Indian delegation as the Prime Minister of India and I had the privilege of accompanying her as the Minister of Housing. At that time, Mrs. Gandhi in her very enlightened speech had said, "Poverty is the biggest pollutant". Yes, it continues to be today. But now we are in a different situation. It is not only poverty which is a pollutant; affluence also is a pollutant. We have more cars now. They are also pollutants. Therefore, we are caught up in a no-win sort of situation. We don't know how to deal with it. All the same, we are laying a great deal of emphasis on roads and highways that we have to build. Again, massive investment is called for. Again the private sector, from inside India and outside India, is being invited to participate in this. We have made some changes in our laws about land acquisition, etc., and we do hope that will attract them. I will not talk at length about the Railway because the Railway Minister must have talked about it. Nor shall I talk about Civil Aviation because I think Civil Aviation is a very important segment of our development and soon, I think very soon, a new Civil

Aviation Policy will come before this House for discussion.

Telecommunications. How do we develop without telecommunications? If you have to wait for five years to get a telephone connection, then how do you develop? That is where again something needs to be done and we are doing it. We are hoping that by the end of the Ninth Plan, things will have dramatically changed. We are moving in that direction. I want to say this thing at this stage that infrastructure is the main issue before the present Government and we are very keen that infrastructure development should move very speedily and many measures will come to you in the next session itself.

Sir, I will not take more of your time because I know Members are getting impatient and when they give me a dirty look, I get upset. I get demoralised, if not upset. I could talk about liberalisation. I could talk about the new Economic Policy. Dr. Manmohan Singh has developed the point in a great deal. The main point is, what is the new Economic Policy about? Creation of surpluses; creation of wealth and unless we are able to sustain the rate of growth which we are aiming at — 7 per cent we have reached — if we ever come to 10 per cent — only the Government cannot do it, all of us together can do it. Once we are able to achieve that, then we will have surpluses for the infrastructure; we will have surpluses also at the same time for social sector; we will have surpluses for poverty alleviation. Unless we create surpluses, how do we do it? But, one thing we must keep in mind all the time and that is we don't want to create surpluses and keep our people deprived. Development and social justice are two sides of the same coin and that is how India will come stable. India's stability, India's future, India's security does not depend only on rate of the growth. It depends a great deal on what Mrs. Gandhi's slogan was — *Garibi Hato*. Since as Minister of Information and Broadcasting I was associated with that

slogan itself, I come to repeat it again. It has not vanished as yet. For some segments of the society, it has been, but then our eye must remain glued to those people who are still out of that segment. That is why Gandhiji's wiping out the tear of every eye, remains the main programme orientation of this Government and this Government will continue that. That is why I say this thing. Before I sit down, we are concentrating a great deal on everything that can clean public life on one side, create an atmosphere where we are honestly able to deal with our affairs and also our eyes projected to future.

Coming back to my Urdu which I started with, the Hindi which I started with, I said in the beginning and that I want to repeat that this nation is now standing at a threshold.

एक सड़ के पथ पर खड़े हैं आप। इसकाल के सड़ पर कि—

“आहि-नी से डार, लड़ कोड़न पर अड़न,

बकित यही कठिन है लीयों की सिंदरी में”।

If we get stuck in that old groove, if we don't realise the newness and also modernisation of the nation, this is the most critical moment : in the life of any nation and that critical moment is here.

Before I sit down, Sir, I must pay my homage to the Indian armed forces. As a part of our security, these brave soldiers of ours guard our borders and at the same time, we are confronted with a new situation, that is, security cannot be safeguarded only by the army. Internal stability is also security; internal peace is also security. If we always think of deploying our forces for internal peace, then to that extent our security suffers. And that is why it is important for us to create internal tranquillity in the same fashion so that we can possibly spare these forces and their energies for safeguarding our borders. They are doing it but one thing I must say and I have said it in the beginning and I want to repeat it before I close. Let us keep it in our mind the fact that in the past हमारा

पुराना राज इतिहास यह है कि हिन्दुस्तानियों ने कभी वीरता की कमी नहीं होती थी किसी सेच पर। हमारी कमी सिर्फ एक थी टेक्नॉलोजी की। किसी के पास तोन थी तो हमारे पास बरफार थी, किसी के पास बंदूक थी तो उससे पास नहीं तोन थी। टेक्नॉलोजी से हम पीछे हैं और मैंने यह बयान किया है और यह दोहराना चाहता हूँ और आपकी भावने को यह बयान करना चाहता हूँ कि

We will not let them down on technology. Indian security and technology will always be updated and will be kept as modern as we can afford to and see to it that nobody would repeat that history which we suffered in the past. I could have spoken on several subjects but I think it will be unfair on my part if I now expand my speech on these subjects. But, at the same time, before I sit down, may I repeat what I have said in the beginning? That was, what you have done is remarkable in the House. The basic instinct is to look at ourselves, to examine the journeys we have travelled and to look at the future. This is very important.

हिन्दुस्तान की परम्परा तो प्रबल रही है कि कोई कज़म है, कोई अंशुमन से—

“एक सलार अपना लकीर है जहाँ रोसनी की कमी देखो,

वहाँ एक निम्न बरखरो ।”

VALEDICTORY REMARKS

MR CHAIRMAN: I place the following Resolution before the House:

We, the Members of Rajya Sabha meeting in a specially convened golden Jubilee Session of both Houses of Parliament, to commemorate the completion of half a century of freedom;

Having recalled remembered with gratitude the great sacrifices made and the salutary service rendered by our freedom fighters;

Having recalled with deep satisfaction and pride the maturity of our people in vigilantly preserving democracy and safeguarding the unity of the nation and the valour of our soldiers, sailors and airmen in service to the country;